



तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2008-2009

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

फरवरी February, 2009

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा और अंतिम बैच, 2008-2009

वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरे और अंतिम बैच में 83 अनुदान और 4 विनियोग शामिल हैं। 4,71,718.53 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 10,765.48 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 4,60,951.89 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 116 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए साधन वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Third and Final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2008-2009.

The third and final batch of Supplementary Demands for Grants for 2008-2009 includes 83 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of 4,71,718.53 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 10,765.48 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 4,60,951.89 crore. Besides, token provision of Rs. 116 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता अनुदान हेतु (i) फसल विज्ञान के तहत (1.18 करोड़ रुपए), (ii) बागवानी हेतु (0.61 करोड़ रुपए), (iii) मुख्यालय प्रशासन हेतु (67.53 करोड़ रुपए), (iv) कृषि संबंधी विस्तार हेतु (0.04 करोड़ रुपए), (v) कृषि शिक्षा पर (0.01 करोड़ रुपए), (vi) आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंधन (0.03 करोड़ रुपए), (vii) कृषि इंजीनियरिंग (0.67 करोड़ रुपए), (viii) केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान (0.16 करोड़ रुपए), (ix) कृषि-वानिकी अनुसंधान सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (0.17 करोड़ रुपए), (x) पशु पालन के तहत (2.62 करोड़ रुपए), और (xi) मात्स्यिकी (0.05 करोड़ रुपए)।	(a) For Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research for meeting additional expenditure (i) under Crop Science (Rs. 1.18 crore), (ii) for Horticulture (Rs. 0.61 crore), (iii) for Headquarters Administration (Rs. 67.53 crore), (iv) on Agricultural Extension (Rs. 0.04 crore), (v) on Agricultural Education (Rs. 0.01 crore), (vi) on Economic Statistics and Management (Rs. 0.03 crore), (vii) on Agricultural Engineering (Rs. 0.67 crore), (viii) on Central Soil and Water Conservation Research Institute (Rs. 0.16 crore), (ix) Other Natural Resource Management Institutes including Agro-Forestry Research (Rs. 0.17 crore), (x) under Animal Husbandry (Rs. 2.62 crore), and (xi) Fisheries (Rs. 0.05 crore).	-	65.94	65.94
(ख) सचिवालय के प्रशासनिक व्यय हेतु।	(b) For administrative expenses of the Secretariat.	-	0.62	0.62
नागरिक विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8. नागरिक विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
(क) (i) अन्य सचिवालय व्यय (1.05 करोड़ रुपए) और (ii) वायुपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना संबंधी व्यय (1 करोड़ रुपए) के लिए।	(a) For (i) other Secretariat expenditure (Rs. 1.05 crore) and (ii) establishment expenditure of Airports Economic Regulatory Authority (Rs. 1 crore).	-	2.05	2.05
(ख) (i) हज चार्टरों का परिचालन संबंधी व्यय (201.65 करोड़ रुपए), (ii) नागरिक विमानन महानिदेशक की स्थापना संबंधी व्यय (0.20 करोड़ रुपए), नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (0.07 करोड़ रुपए) और इंदिरा	(b) For (i) expenditure towards operation of Haj Charters (Rs. 201.65 crore), (ii) establishment expenditure of Director General of Civil Aviation (Rs. 0.20 crore), Bureau of Civil Aviation			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (2.95 करोड़ रुपए) के लिए।	Security (Rs. 0.07 crore) and Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (Rs.2.95 crore).	-	195.74	195.74
(ग) अन्य सचिवालय व्यय के लिए।	(c) For other Secretariat expenditure.	-	0.07	0.07
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10. वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को 2 प्रतिशत ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु (200 करोड़ रुपए)।	(a) For providing 2% interest subvention to Scheduled Commercial Bank in respect of Rupee Export Credit to the Exporters (Rs. 200 crore).	-	89.47	89.47
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन, पेंशन के संबंध में (i) चाय बोर्ड (3.11 करोड़ रुपए), (ii) सबड़ बोर्ड (3 करोड़ रुपए) और (iii) मसाला बोर्ड (1 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For Grants-in-aid to (i) Tea Board (Rs.3.11 crore), (ii) Rubber Board (Rs.3 crore) and (iii) Spices Board (Rs. 1 crore) towards Salary, Pension for implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations accepted by the Government.	-	6.92	6.92
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
12. डाक विभाग	12 Department of Posts			
(क) सामान्य प्रशासन और डाक प्रचालन के तहत न्यायालय डिक्रियों की वजह से भुगतान की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting payment arising out of court decrees under General Administration and Postal Operation.	-	0.13	0.13
(ख) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (234.87 करोड़ रुपए), पेंशन (462.30 करोड़ रुपए) (ii) "ग्रामीण डाक सेवा" समिति रिपोर्ट और अन्य प्रचालनात्मक व्यय (87.44 करोड़ रुपए) संबंधी व्यय हेतु।	(b) For expenditure on (i) account of salaries (Rs. 234.87 crore), pensions (Rs. 462.30 crore) on implementation of the ons of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, (ii) 'Grameen Dak Seva' committee report and other operational expenses (Rs.87.44 crore).	-	727.96	727.96
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15. उपभोक्ता मामले विभाग	15 Department of Consumer Affairs			
दलहनों के आयात पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के संबंध में (क) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (48.96 करोड़ रुपए), एमएमटीसी लिमिटेड (50 करोड़ रुपए), (ग) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) और (घ) पीईसी लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) को सब्सिडी प्रदान करने हेतु।	For subsidy to (a) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (Rs. 48.96 crore), MMTC Limited (Rs. 50 crore), (c) State Trading Corporation of India Limited (Rs. 50 crore), and (d) PEC Limited (Rs. 50 crore) on account of reimbursement of losses on import of pulses.	-	145.86	145.86
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18. संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु विभिन्न संस्थाओं/ निकायों को (32.82 करोड़ रुपए), (ख) "राष्ट्रीय स्मारकों के रखरखाव" योजना के तहत फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति की आधारभूत निधि के लिए (0.45 करोड़ रुपए) सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid (a) to various institutions/ bodies (Rs. 32.82 crore) for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, (b) for the Corpus Fund of Fakhruddin Ali Ahmed Memorial Committee under the scheme 'Maintenance of National Memorials' (Rs. 0.45 crore).	-	11.93	11.93

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21. रक्षा सेवाएं - थल सेना	21 Defence Services - Army			
निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी (5895.75 करोड़ रुपए) और (ख) न्यायालयी आदेश की वजह से (0.65 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure (a) on account of salaries (Rs. 5895.75 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and (b) arising out of court decree (Rs. 0.65 crore).	-	527.42	527.42
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
30. विदेश मंत्रालय	30 Ministry of External Affairs			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) विशेष राजनयिक व्यय (69.75 करोड़ रुपए), (ii) क्षेत्रीय सहयोग विकास निधि के लिए दक्षिण एशियाई संघ के सामाजिक विंडो के लिए भारत के अंशदान के भुगतान संतुलन का व्यय (272.64 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) Special Diplomatic Expenditure (Rs. 69.75 crore), (ii) expenses of balance payment of India's contribution for the Social Window of the South Asian Association for Regional Cooperation Development Fund (Rs.272.64 crore).	-	342.39	342.39
(ख) अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional requirement of funds for Capital Outlay on Other Administrative Services.	-	14.92	14.92
(ग) भूटान (300 करोड़ रुपए) और मालदीव (480 करोड़ रुपए) को वैकल्पिक ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु।	(c) For standby credit facility to Bhutan (Rs. 300 crore) and Maldives (Rs. 480 crore).	-	671.00	671.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31. आर्थिक कार्य विभाग	31 Department of Economic Affairs			
लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में रेलवे को अतिरिक्त सब्सिडियां प्रदान करने हेतु (27.48 करोड़ रुपए) और सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों के परिचालन पर रेलवे को होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए (146 करोड़ रुपए)।	For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs. 27.48 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs. 146 crore).	-	149.60	149.60
32. वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	32 Payments to Financial Institutions			
(क) गारंटी मोचन निधि की आधारभूत निधि को बढ़ाने हेतु।	(a) For enhancing the corpus of Guarantee Redemption Fund.	-	175.00	175.00
(ख) निम्नलिखित के लिए (i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) को रबी 2008-09 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को नकदी सहायता प्रदान करने के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के एवज में भुगतान (130 करोड़ रुपए) (ii) वर्ष 2008-09 के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के संबंध में नबार्ड को अतिरिक्त भुगतान (1000 करोड़ रुपए) (iii) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि में अंशदान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (27.97 करोड़ रुपए) (iv) नबार्ड को अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान (418.26 करोड़ रुपए)।	(b) For (i) payment to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (Rs. 130 crore), against interest subvention for providing liquidity support to Regional Rural Banks and Cooperative Credit Institutions during Rabi-2008-2009, (ii) additional payment to NABARD (Rs. 1000 crore) towards interest subvention for providing short term crop loan to farmers for the year 2008-2009, (iii) meeting additional expenditure (Rs. 27.97 crore) towards contribution to International Fund for Agricultural Development, (iv) payment of additional amount (Rs. 418.26 crore) to NABARD for strengthening the short terms co-operative credit structure.	-	1,278.30	1,278.30
(ग) भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के अभिदान के एवज में जारी	(c) For payment towards contribution to Securities Redemption Fund for			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्रतिभूतियों के मोचन हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान के संबंध में भुगतान हेतु।	redeeming Securities issued against subscription to the Rights Issue of equity Shares of State Bank of India.	-	625.00	625.00
(घ) निम्नलिखित के लिए (i) गरीबी में कमी और विकास सुविधा के पात्र सदस्य देशों को आपातकालीन प्राकृतिक आपदा सहायता में भारत के अंशदान के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान (2.54 करोड़ रुपए), (ii) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मूल्यांकन प्रभागों के संबंध में विनिमय परिवर्तन के लिए भुगतान (0.12 करोड़ रुपए) और (iii) अफगानिस्तान-पुनर्निर्माण ट्रस्टनिधि में अंशदान (0.04 करोड़ रुपए)। गरीबी में कमी और विकास सुविधा के पात्र सदस्य देशों को आपातकालीन प्राकृतिक आपदा सहायता में भारत के अंशदान के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान।	(d) For (i) payment (Rs. 2.54 crore) to International Monetary Fund (IMF) towards India's contribution to Emergency Natural Disaster Assistance (ENDA) to Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) eligible member countries, (ii) payment (Rs.0.12 crore) for exchange variation towards assessment charges to IMF, and (iii) contribution (Rs. 0.04 crore) to Afghanistan Reconstruction Trust Fund. payment MF towards India's contribution to Emergency Natural Disaster Assistance to Poverty Reduction and Growth Facility eligible member countries.	-	2.70	2.70
(ङ.) निम्नलिखित को भुगतान हेतु (i) भारत के निर्यात आयात बैंक को अपनी शेयरपूँजी के अंशदान के लिए भुगतान (200 करोड़ रुपए) और (ii) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड को इक्विटी सहायता के संबंध में भुगतान (300 करोड़ रुपए)।	(e) For payment to (i) Export-Import Bank of India (Rs. 200 crore) towards subscription to its share Capital and (ii) India Infrastructure Finance Company Limited (Rs. 300 crore) towards equity support.	-	500.00	500.00
(च) भारत के पूँजीगत भुगतानों के कोटे के संवर्धन के कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अतिरिक्त भुगतान करने हेतु।	(f) For additional payment to IMF on account of enhancement of the quota of India's capital payments.	-	156.89	156.89
33. वित्तीय सेवा विभाग	33 Department of Financial Services			
(क) अभिरक्षक कार्यालय की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional establishment expenditure of office of Custodian.	-	2.21	2.21
(ख) निम्नलिखित के लिए (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (1.19 करोड़ रुपए) और (ii) ऋण माफी और ऋण राहत योजना के "विज्ञापन" और "प्रचार" अभियान संबंधी व्यय (2.21 करोड़ रुपए)।	(b) For (i) meeting additional expenditure (Rs. 1.19 crore) on salaries on account of implementation of Sixth Central Pay Commissions recommendations as accepted by the Government, and (ii) expenditure (Rs. 2.21 crore) relating to 'advertisement' and 'publicity' campaign for Debt Waiver and Debt Relief Scheme.	-	3.40	3.40
(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण ऋण वसूली न्यायाधिकरणों/ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के कार्यालय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3.13 करोड़ रुपए)।	(c) For meeting additional expenditure (Rs.3.13 crore) of the office of Debt Recovery Tribunals/Debt Recovery Appellate Tribunals on account of implementation of Sixth Central Pay Commissions recommendations as accepted by the Government.	-	2.79	2.79
38. व्यय विभाग	38 Department of Expenditure			
निम्नलिखित के लिए (क) अतिरिक्त स्थापना व्यय (3.61 करोड़ रुपए) और (ख) नेशनल प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड को पेंशन निधि की योजनाओं के अभिदाताओं के लिए अभिलेखन, लेखाकरण, प्रशासन और ग्राहक सेवाओं के कार्य निष्पादन हेतु सेवा प्रभार के संबंध में शुल्क भुगतान (6.31 करोड़ रुपए)।	For (a) additional establishment expenditure (Rs. 3.61 crore) and (b) payment of fee (Rs.6.31 crore) to National Securities Depository Limited, towards service charges for performing the functions of record keeping, accounting, administration and customer services for subscribers to the schemes of pension fund.	-	6.92	6.92

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
39 पेंशन निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में (572.24 करोड़ रुपए) और (ख) निम्नलिखित के संबंध में (i) पेंशन भोगियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति (40 करोड़ रुपए), (ii) भविष्य निधि में अंशदान (0.15 करोड़ रुपए) और (iii) अनुग्रह राशि का भुगतान (1 करोड़ रुपए)।	39 Pensions For meeting additional expenditure (a) on account of pensions and other retirement benefits, etc on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 572.24 crore) and (b) on account of (i) medical reimbursement of Pensioners (Rs. 40 crore), (ii) contribution to Provident Fund (Rs. 0.15 crore) and (iii) ex-gratia payment (Rs. 1 crore).	-	613.39	613.39
40 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग निम्नलिखित के लिए (क) स्थापना संबंधी व्यय (272.79 करोड़ रुपए) और (ख) मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास भवन का निर्माण संबंधी भुगतान (0.29 करोड़ रुपए)।	40 Indian Audit and Accounts Department For (a) establishment related expenditure (Rs. 272.79 crore) and (b) construction related payments to Mumbai Mahanagar Regional Development Authority (Rs. 0.29 crore), in respect of Regional Training Institute and Hostel Building.	-	273.08	273.08
41 राजस्व विभाग (क) निम्नलिखित के लिए (i) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (8.89 करोड़ रुपए), (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के संबंध में राष्ट्रीय लोकवित्त और नीति संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान और अतिरिक्त भवन निर्माण अनुदान प्रदान करने हेतु (3.69 करोड़ रुपए)। (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्यालयों संबंधी वेतन के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ग) मूल्य वर्धित कर आरम्भ करने के कारण राज्य सरकारों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (515.37 करोड़ रुपए)।	41 Department of Revenue (a) For (i) meeting additional establishment expenditure (Rs. 8.89 crore), (ii) providing additional Grants-in-aid (Rs. 3.69 crore) to National Institute of Public Finance and Policy towards salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and additional building grant. (b) For meeting additional expenditure on salary on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government in respect of offices of the Central Bureau of Narcotics. (c) For meeting additional requirement for compensation to State Governments (Rs. 515.37 crore) for revenue loss due to introduction of Value Added Tax.	-	8.89	8.89
42 प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित के लिए (क) आयकर विभाग का स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय (204.13 करोड़ रुपए) और (ख) संपदा शुल्क, धनकर और उपहार कर के संग्रहण हेतु व्यय (47.45 करोड़ रुपए)।	42 Direct Taxes For meeting (a) establishment related expenditure of the Income Tax Department (Rs. 204.13 crore) and (b) expenditure for collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax (Rs. 47.45 crore).	-	0.71	0.71
43 अप्रत्यक्ष कर (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (393.16 करोड़ रुपए)। (ख) सीमा शुल्क कार्यालयों की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	43 Indirect Taxes (a) For meeting additional establishment related expenditure of Central Excise Offices (Rs. 393.16 crore). (b) For meeting additional establishment related expenditure of Customs Offices.	-	473.76	473.76
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी	48 Department of Health Research For Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research for meeting additional	-	239.08	239.08
		-	353.96	353.96
		-	113.75	113.75

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अतिरिक्त व्यय (64 करोड़ रुपए), की पूर्ति हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को सहायता अनुदान हेतु।	expenditure (Rs. 64 crore) on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	35.18	35.18
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
50 सरकारी उद्यम विभाग	50 Department of Public Enterprises			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के मद पर (0.11 करोड़ रुपए) (ख) लम्बित मेडिकल बिलों के लिए (0.02 करोड़ रुपए), (ग) स्थापना से संबंधित मदों पर (0.87 करोड़ रुपए) और (घ) कार्यालय खर्चों और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए (0.21 करोड़ रुपए) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure (a) on account of salaries (Rs. 0.11 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, (b) for pending medical bills (Rs. 0.02 crore), (c) on establishment related items (Rs. 0.87 crore) and (d) towards Office Expenses and Other Administrative Expenses (Rs. 0.21 crore).	-	1.21	1.21
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
54 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
(क) स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और अन्य लाभों पर व्यय को पूरा करने के लिए (51.58 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting expenditure on Pension and Other Benefits to the Freedom Fighters (Rs. 51.58 crore).	-	22.80	22.80
(ख) वर्ष 2002 में गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों में रिहायशी सम्पत्तियों की क्षति के लिए अतिरिक्त राहत (212 करोड़ रुपए) (ii) भागलपुर, बिहार में साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत (20 करोड़ रुपए) और पुनर्वास (iii) 1984 के दंगा पीड़ितों को बढ़ा हुआ मुवाअजा (20 करोड़ रुपए) और (iv) जम्मू व कश्मीर में राहत और पुनर्वास (70 करोड़ रुपए)।	(b) For providing (i) additional relief (Rs.212 crore) towards damage to residential properties in 2002 Gujarat communal riots, (ii) relief (Rs. 20 crore) and rehabilitation to the victims of communal riots in Bhagalpur, Bihar (iii) enhanced compensation (Rs. 20 crore) to victims of 1984 riots and (iv) relief and rehabilitation (Rs. 70 crore) in Jammu and Kashmir.	-	322.00	322.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
(क) कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (200 करोड़ रुपए) (ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (14.50 करोड़ रुपए) और (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और पेंशन के मद में केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अतिरिक्त सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपए)।	For (a) meeting additional expenditure towards contribution to Employees Pension Scheme (Rs. 200 crore), (b) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 14.50 crore) and (c) additional Grants-in-aid to Central Board for Workers Education on account of salaries and pension on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 3 crore).	-	134.12	134.12
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61. निर्वाचन आयोग	61 Election Commission			
आयोग की वेबसाइट के रख रखाव और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण सहित निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on establishment related expenditure of the Election Commission including maintenance of the Commission's website and National Voters Awareness Campaign/Training.	-	1.96	1.96

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
63. विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय विदेशी यात्रा खर्चों और व्यावसायिक सेवाओं के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों सहित भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश; माननीय न्यायाधीशों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन के संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	63 Appropriation - Supreme Court of India For meeting additional expenditure on account of revision of salaries of Hon'ble Chief Justice of India, Hon'ble Judges, officers and staff members of the Supreme Court of India including committed liabilities under Foreign Travel Expenses and Professional Services.	-	8.32	8.32
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65. खान मंत्रालय (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (32 करोड़ रुपए), (ख) भारतीय खान ब्यूरो (3.36 करोड़ रुपए) के संबंध में वेतन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	65 Ministry of Mines For meeting additional expenditure on salaries in respect of (a) Geological Survey of India (Rs. 32 crore), (b) Indian Bureau of Mines (Rs. 3.36 crore).	-	15.61	15.61
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
77 राज्य सभा राज्यसभा के सभापति के वेतन में संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय और सभापति के अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने हेतु (0.35 करोड़ रुपए) और सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (7.58 करोड़ रुपए)।	77 Rajya Sabha For meeting additional expenditure on account of revision of salaries of the Chairman, Rajya Sabha and other Administrative Expenses of the Chairman (Rs. 0.35 crore) and for meeting additional expenditure on account of salaries (Rs. 7.58 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	7.93	7.93
78 विनियोग - संघ लोक सेवा आयोग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु, वर्धित सीमा पर बोनस तथा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का बढ़ा हुआ वेतन/बकाया।	78 Appropriation - Union Public Service Commission For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, bonus on enhanced ceilings and enhanced salaries/arrears to Chairman/Members of the Commission.	-	6.34	6.34
79 उप-राष्ट्रपति का सचिवालय संविदात्मक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	79 Secretariat of the Vice-President For meeting additional expenditure on contractual services.	-	0.06	0.06
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को (i) वेतन और पेंशन सहायता के मद में (142 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय	84 Department of Scientific and Industrial Research (a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. (b) For providing Grants-in-aid to the Council for Scientific and Industrial Research for additional expenditure	-	0.74	0.74

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
प्रयोगशालाओं (202 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय के लिए सहायता अनुदान।	(i) on account of salaries and pension assistance (Rs. 142 crore) and (ii) of National Laboratories (Rs.202 crore).	-	112.16	112.16
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
87 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	87 Department of Road Transport and Highways			
(क) (i) सड़क स्कन्ध (156.44 करोड़ रुपए) और सीमावर्ती सड़क स्कंध (30.32 करोड़ रुपए) द्वारा कराए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव और मरम्मत, (iii) अतिमहत्वपूर्ण और सीमावर्ती सड़कों के रखरखाव का कार्य (0.11 करोड़ रुपए), और (iii) भूटान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा शुरू किए गए सड़क कार्यों के लिए सहायता अनुदान (26.04 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on (i) maintenance and repair of national highways undertaken by Road Wing (Rs. 156.44 crore) and Border Road Wing (Rs. 30.32 crore), (ii) Strategic and Border Road maintenance works (Rs. 0.11 crore), and (iii) Grants-in-aid for road works undertaken by Border Road Development Board in Bhutan (Rs. 26.04 crore).	-	161.91	161.91
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और वर्धित सीमाओं पर बोनस के मद में अतिरिक्त व्यय (5.72 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure (Rs.5.72 crore) on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and bonus on enhanced ceilings.	-	0.72	0.72
(ग) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के मामलों में मुआवजे के भुगतान हेतु।	(c) For payment of compensation in Motor Accident Claims Tribunal case.	-	0.30	0.30
(घ) (i) सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा शुरू किए गए सड़क निर्माण कार्य (227.89 करोड़ रुपए), (ii) सड़क का रखरखाव और मरम्मत (0.84 करोड़ रुपए)। (iii) सुरक्षा कवर (11.73 करोड़ रुपए) और (iv) एयरलिफ्ट प्रभार (0.69 करोड़ रुपए)।	(d) For meeting additional expenditure on (i) road work undertaken by Border Road Development Board (Rs. 227.89 crore), (ii) maintenance and repair of Road (Rs. 0.84 crore), (iii) security cover (Rs. 11.73 crore) and (iv) Air lift charges (Rs. 0.69 crore).	-	241.15	241.15
(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सड़क विकास कार्यों के मद में अतिरिक्त व्यय (6 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु।	(e) For meeting additional expenditure (Rs.6 crore) on account of Road Development Works in the North Eastern Region and Sikkim.	5.00	-	5.00
(च) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के मामलों में मुआवजे के भुगतान हेतु।	(f) For payment of compensation in Motor Accident Claims Tribunal case.	-	0.20	0.20
(छ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों पर व्यय के लिए।	(g) For expenditure on development works of National Highways.	-	44.50	44.50
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत "शुल्क मुक्त पारेषण की निकासी का संचालन" की योजना में व्यय (3.80 करोड़ रुपए) हेतु।	For expenditure (Rs. 3.80 crore) in the scheme of 'Handling Clearance of duty free consignment' under Bilateral Agreements.	-	3.28	3.28
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सहायता अनुदान।	(a) For Grants-in-aid to Central Silk Board on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	17.45	17.45

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) विद्यमान ढांचे के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पर अतिरिक्त व्यय हेतु (40 करोड़ रुपए)।	(b) For additional expenditure on National Institute of Fashion Technology towards upgradation of existing infrastructure (Rs. 40 crore).	14.76		14.76
(ग) संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान करने की योजना पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on the scheme for grant of special rebate on sale of accumulated handloom stock.	-	15.00	15.00
(घ) (i) बाजार सहायता प्रचालन पर भारतीय कपास निगम (508.90 करोड़ रुपए) और भारतीय जूट निगम (6.60 करोड़ रुपए) को सब्सिडी और (ii) ऊन अनुसंधान एसोसिएशन को सहायता अनुदान (1.71 करोड़ रुपए)।	(d) For (i) subsidy to Cotton Corporation of India (Rs. 508.90 crore) and Jute Corporation of India (Rs. 6.60 crore) on Market Support Operations and (ii) Grants-in-aid (Rs. 1.71 crore) to Wool Research Association.	-	517.21	517.21
(ङ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम को बकाया वेतन और मजदूरियों (144.99 करोड़ रुपए) के भुगतान के लिए संसाधनों में अंतराल को पूरा करने हेतु व्यय के लिए।	(e) For expenditure towards meeting the gap-in-resources of National Textile Corporation towards payment of outstanding salaries and wages (Rs.144.99 crore).	-	107.42	107.42
गृह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURES)			
95 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	95 Andaman and Nicobar Islands			
(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	(a) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	58.07	158.88	216.95
(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(b) For capital expenditure under various Ministries/Departments.	183.95	-	183.95
96 चंडीगढ़	96 Chandigarh			
(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	(a) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	18.74	73.25	91.99
(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(b) For capital expenditure under various Ministries/Departments.	165.26	0.25	165.51
97 दादरा और नागर हवेली	97 Dadra and Nagar Haveli			
(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	(a) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	18.29	249.64	267.93
(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(b) For capital expenditure under various Ministries/Departments.	4.00	-	4.00
98 दमन और दीव	98 Daman and Diu			
(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	(a) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	13.22	86.90	100.12
(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(b) For capital expenditure under various Ministries/Departments.	8.20	-	8.20
99 लक्षद्वीप	99 Lakshadweep			
(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत राजस्व व्यय हेतु।	(a) For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	5.40	94.57	99.97
(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु।	(b) For capital expenditure under various Ministries/Departments.	0.57	-	0.57
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास विभाग	100 Department of Urban Development			
सामान्य पूल रिहाइशी आवास के परियोजनाओं और अन्य आवासीय परियोजनाओं में व्यय और देश के विभिन्न स्थानों में स्थित आवासीय परियोजनाओं में विद्यमान मकानों के उन्नयन हेतु (49.99 करोड़ रुपए)।	For expenditure in projects under General Pool Residential Accommodation and Other Housing Projects and up-gradation of existing houses in Housing Projects situated at various places in the country (Rs. 49.99 crore).	47.11	-	47.11
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	542.57	10,222.91	10,765.48

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<p>3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 4,60,951.89 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं, जिनके समतुल्य मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियां/वसूलियां अथवा तदनरूपी बचतें हैं, ये मदें निम्नलिखित हैं:</p> <p>तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगें कृषि मंत्रालय</p> <p>2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग</p> <p>(क) महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ को 'कृषि शिक्षा' योजना के अंतर्गत (22.64 करोड़ रुपए); (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को (i) कृषि प्रसार (4 करोड़ रुपए), (ii) मुख्यालय प्रशासन (11.50 करोड़ रुपए), और (iii) केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण (1 करोड़ रुपए) के अंतर्गत सहायता अनुदान हेतु।</p>	<p>3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs.4,60,951.89 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:</p> <p>Technical Supplementary Demands for grants MINISTRY OF AGRICULTURE</p> <p>2 Department of Agricultural Research and Education For Grants-in-aid to (a) Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (Rs. 22.64 crore) under the scheme 'Agriculture Education', (b) Indian Council of Agricultural Research under (i) Agricultural Extension (Rs. 4 crore), (ii) Headquarters Administration (Rs.11.50 crore), and (iii) Central Soil and Water Conservation Institute (Rs. 1 crore).</p>	22.64	-	22.64
<p>नागर विमानन मंत्रालय</p> <p>8 नागर विमानन मंत्रालय</p> <p>(क) हज चार्टरों के प्रचालन के लिए व्यय (201.65 करोड़ रुपए), (ख) (i) महानिदेशक, नागर विमानन (0.20 करोड़ रुपए) (ii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (0.07 करोड़ रुपए) और (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (2.95 करोड़ रुपए) के स्थापना व्यय हेतु।</p>	<p>MINISTRY OF CIVIL AVIATION</p> <p>8 Ministry of Civil Aviation For (a) expenditure towards operation of Haj Charters (Rs. 201.65 crore), (b) establishment expenditure of (i) Director General of Civil Aviation (Rs. 0.20 crore), (ii) Bureau of Civil Aviation Security (Rs.0.07 crore) and (iii) Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (Rs. 2.95 crore).</p>	-	9.13	9.13
<p>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय</p> <p>10 वाणिज्य विभाग</p> <p>अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण के संबंध में 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु (200 करोड़ रुपए)।</p> <p>11 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग</p> <p>उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में निवेश आर्थिक सहायता (पुरानी) के अंतर्गत भुगतान करने हेतु।</p>	<p>MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY</p> <p>10 Department of Commerce For providing 2% interest subvention to Scheduled Commercial Bank in respect of Rupee Export Credit to the Exporters (Rs.200 crore).</p> <p>11 Department of Industrial Policy and Promotion For making payment under Investment Subsidy (Old) in pursuance of Supreme Court Judgement.</p>	-	98.01	98.01
<p>संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p> <p>12 डाक विभाग</p> <p>(क) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (234.87 करोड़ रुपए), पेंशन (462.30 करोड़ रुपए) के मद में, (ii) 'ग्रामीण डाक सेवा' समिति की रिपोर्ट और अन्य प्रचालनात्मक खर्चों (87.44 करोड़ रुपए) पर व्यय हेतु।</p> <p>(ख) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु।</p>	<p>MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY</p> <p>12 Department of Posts (a) For expenditure on (i) account of salaries (Rs. 234.87 crore), pensions (Rs. 462.30 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government, (ii) 'Grameen Dak Seva' committee report and other operational expenses (Rs. 87.44 crore).</p> <p>(b) For meeting expenditure arising out of court decree.</p>	0.45	-	0.45
		-	56.65	56.65
		0.59	-	0.59

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
13 दूर संचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
(क) रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (345.24 करोड़ रुपए) और इसी प्रयोजन हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान में वृद्धि हेतु (37.68 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional expenditure towards OFC based network for Defence Services (Rs. 345.24 crore) and for augmentation of lumpsum provision towards North Eastern States (Rs. 37.68 crore) for the same purpose.	382.92	-	382.92
(ख) मैसर्स भारतीय टेलिफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने हेतु।	(b) For providing interest free loan to M/s Indian Telephone Industries Limited.	-	125.00	125.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15 उपभोक्ता मामले विभाग	15 Department of Consumer Affairs			
(क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (48.96 करोड़ रुपए), एमएमटीसी लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) को आर्थिक सहायता हेतु, और (ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) और (घ) पीईसी लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) को दालों के आयात पर हानियों की प्रतिपूर्ति के मद में।	For subsidy to (a) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (Rs. 48.96 crore), MMTC Limited (Rs. 50 crore), (c) State Trading Corporation of India Limited (Rs. 50 crore), and (d) PEC Limited (Rs. 50 crore) on account of reimbursement of losses on import of pulses.	-	2.54	2.54
16 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	16 Department of Food and Public Distribution			
(क) केन्द्रीय सतर्कता समिति पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenses on Central Vigilance Committee.	-	0.68	0.68
(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण सुविधा के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (10.45 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting additional expenditure (Rs.10.45 crore) for construction of storage facility by Food Corporation of India.	9.55	-	9.55
(ग) चीनी मिलों को (i) उनकी पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण (30 करोड़ रुपए), (ii) खोई आधारित सहउत्पादन विद्युत परियोजना (106.96 करोड़ रुपए) और (iii) एल्कोहल से निर्जलीय एल्कोहल या एथानोल के उत्पादन (30 करोड़ रुपए) के लिए ऋण।	(c) For loan to sugar factories for (i) Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills (Rs. 30 crore), (ii) bagasse based cogeneration power project (Rs. 106.96 crore), and (iii) production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol (Rs. 30 crore).	-	150.96	150.96
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय	19 Ministry of Defence			
(क) (i) भंडारों की खरीद (239.21 करोड़ रुपए), (ii) निवल लाभ से सशस्त्र सेनाओं के हिस्से का उच्चतर योगदान (22.40 करोड़ रुपए) और विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक उपक्रम, कैंटीन स्टोर्स विभाग के भुगतान (6.13 करोड़ रुपए) के मद पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure on account of (i) purchase of stores (Rs.239.21 crore), (ii) higher contribution of Services' share from net profit (Rs.22.40 crore) and (iii) payment of interest on capital employed (Rs. 6.13 crore) by Canteen Stores Department, a departmentally-run commercial undertaking.	-	251.86	251.86
(ख) विशाखापटनम में तटरक्षक संगठन के विवाहित आवास के निर्माण के संबंध में अदालती आदेश के अनुपालन में भुगतान के लिए।	(b) For payment in satisfaction of Court decree in connection with construction of married accommodation of Coast Guard Organisation at Vishakapatnam.	-	1.66	1.66
21 रक्षा सेवाएं- थल सेना	21 Defence Services - Army			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय (5895.75 करोड़ रुपए) और न्यायालय के आदेश से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.65 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure (a) on account of salaries (Rs. 5895.75 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and (b) arising out of court decree (Rs. 0.65 crore).	-	5,368.98	5,368.98

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
22. रक्षा सेवाएं - नौ सेना अदालती आदेश से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	22 Defence Services - Navy For meeting additional expenditure arising out of court decree.	-	0.26	0.26
23 रक्षा सेवाएं - वायु सेना सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वायुसेना के मद में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	23 Defence Services - Air Force For meeting additional expenditure on account of Air Force on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	224.60	224.60
24 रक्षा आयुध कारखाने सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर और टी-90 टैंकों की खरीद के मद पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	24 Defence Ordnance Factories For meeting additional expenditure on account of implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government and stores on account of purchase of T-90 Tanks.	-	1,615.76	1,615.76
25 रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	25 Defence Services-Research and Development For meeting additional expenditure on account of implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	201.64	201.64
26 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय अदालती आदेश से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	26 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure arising out of court decree.	-	2.06	2.06
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
27 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (क) अरुणाचल प्रदेश में तेजु में नए हवाई अड्डे का अवसंरचना विकास (10 करोड़ रुपए), (ख) अरुणाचल प्रदेश में खुप्पी से तमांग तक 132 कि.वा. सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन (10 करोड़ रुपए) (ग) पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े जिलों में 200 पेडिस्ट्रियन टाइप वायर रोप सस्पेंशन पुलों का निर्माण (10 करोड़ रुपए), (घ) बु जनजातियों के पुर्नस्थापन हेतु मिजोरम के पश्चिमी बेल्ट का विकास (10 करोड़ रुपए) (ङ) नागालैण्ड के मोन, तुएनसांग, किफायर और लोंगलेंग जिलों का विकास (5 करोड़ रुपए), (च) कर्बी, आंगलांग और उत्तरी कछार जिला परिषद (5 करोड़ रुपए) (छ) सेना द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सीमावर्ती क्षेत्र (10 करोड़ रुपए)।	27 Ministry of Development of North Eastern Region For meeting the expenditure towards the schemes of (a) Infrastructure Development of a new airport at Teju in Arunachal Pradesh (Rs. 10 crore), (b) 132 KV single circuit transmission line from Khuppi to Tawang in Arunachal Pradesh (Rs. 10 crore), (c) construction of 200 pedestrian type wire rope suspension bridges in backward districts of North Eastern States (Rs. 10 crore), (d) Development of Western Belt of Mizoram for resettlement of Bru Tribals (Rs. 10 crore), (e) Development of Mon, Tuensang, Kiphire and Longleng Districts of Nagaland (Rs. 5 crore), (f) Karbi Anglong and North Kachar District Councils (Rs. 5 crore), (g) Border areas to be implemented by Army (Rs. 10 crore).	60.00	-	60.00
पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
28 पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय (क) समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (49.75 करोड़ रुपए)। (ख) भारतीय उष्णकटिबंधीय प्रबंधन संस्थान (6.57 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय मध्यावधिक मौसम पूर्वानुमान केन्द्र को (2 करोड़ रुपए) को लघु कार्यों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	28 Ministry of Earth Sciences (a) For providing Grants-in-aid (Rs. 49.75 crore) under various schemes relating to Oceanographic research. (b) For providing Grants-in-aid to Indian Institute of Tropical Management (Rs.6.57 crore) and National Centre for Medium Range Weather Forecasting for minor works (Rs. 2 crore).	10.22 7.42	- -	10.22 7.42

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भारतीय उष्णकटिबंधीय प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान (1.53 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।	(c) For providing Grants-in-aid to Indian Institute of Tropical Management (Rs. 1.53 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	1.29	1.29
(घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मौसम विज्ञान विभाग के लिए वेतन के मद पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure on account of Salaries for Meterology on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	7.81	7.81
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
29 पर्यावरण और वन मंत्रालय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में केरल और तमिलनाडु में हाथी गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 'हाथी परियोजना' स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए।	29 Ministry of Environment and Forests For Grants-in-aid under the Scheme 'Project Elephant' for acquiring land for Elephant Corridors in Kerala and Tamil Nadu in pursuant of court order.	1.50	-	1.50
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
30 विदेश मंत्रालय भूटान (300 करोड़ रुपए) और मालदीव (480 करोड़ रुपए) को वैकल्पिक ऋण सहायता के लिए।	30 Ministry of External Affairs For standby credit facility to Bhutan (Rs.300 crore) and Maldives (Rs. 480 crore).	-	109.00	109.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31 आर्थिक कार्य विभाग सिक्युरिटी प्रिंटिंग और मिंगिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए (385.20 करोड़ रुपए)।	31 Department of Economic Affairs For making additional payment to Security Printing and Minting Corporation of India Limited (Rs. 385.20 crore).	-	376.60	376.60
32 वित्तीय संस्थाओं को भुगतान (क) प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन (1500 करोड़ रुपए) और (ख) सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड के गठन (3 करोड़ रुपए) का व्यय पूरा करने के लिए।	32 Payments to Financial Institutions For meeting expenditure towards (a) redemption of securities issued to Stressed Asset Stabilisation Fund (Rs. 1500 crore) and (b) setting up of Irrigation and Water Resources Finance Corporation Limited (Rs. 3 crore).	-	1,062.08	1,062.08
33 वित्तीय सेवा विभाग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण ऋण वसूली न्यायाधिकरण ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (3.13 करोड़ रुपए)।	33 Department of Financial Services For meeting additional expenditure (Rs. 3.13 crore) of the office of Debt Recovery Tribunals/Debt Recovery Appellate Tribunals on account of implementation of Sixth Central Pay Commissions recommendations as accepted by the Government.	-	0.01	0.01
35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	35 Transfers to State and Union Territory Governments			
(क) (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता (500 करोड़ रुपए), (ii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (1429.50 करोड़ रुपए), (iii) अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (200 करोड़ रुपए), (iv) बाढ़ में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण (561.63 करोड़ रुपए) और (v) सूनामी पुनर्वास कार्यक्रम (125.97 करोड़ रुपए) के लिए।	(a) For (i) Normal Central Assistance (Rs.500 crore), (ii) Additional Central Assistance for Externally Aided Project (Rs. 1429.50 crore), (iii) Additional Central Assistance for other Projects (Rs. 200 crore), (iv) reconstruction of assets damaged in floods (Rs. 561.63 crore), and (v) Tsunami Rehabilitation Programme (Rs. 125.97 crore).	2,817.10	-	2,817.10

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को सहायता-अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid to Government of Arunachal Pradesh.	-	100.00	100.00
(ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु।	(c) For Additional Central Assistance for Externally Aided Project.	1,161.50	-	1,161.50
37 विनियोग- ऋण की वापसी अदायगी	37 Appropriation-Repayment of Debt			
(क) (i) 91-दिवसीय राजकोषीय ऋण्डियों (58,831.45 करोड़ रुपए), (ii) 182 दिवसीय राजकोषीय ऋण्डियों (5308 करोड़ रुपए), (iii) 14-दिवसीय राजकोषीय ऋण्डियों (3,23,769 करोड़ रुपए), (iv) अर्थोपाय अग्रिम (1,43,026 करोड़ रुपए) सामान्य बाजार उधारों के अंतर्गत, (v) बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियां (59,544.22 करोड़ रुपए), (vi) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (12 करोड़ रुपए), (vii) अफ्रीकी विकास निधि (2.03 करोड़ रुपए), (viii) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (5315.23 करोड़ रुपए), (ix) 10% राहत बांड, 1993 (0.20 करोड़ रुपए), (x) 10% राहत बांड, 1995 (5.24 करोड़ रुपए), (xi) 9% राहत बांड, 1987 (1.92 करोड़ रुपए), (xii) 9% राहत बांड, 1993 (14.31 करोड़ रुपए), (xiii) 9% राहत बांड, 1999 (14.31 करोड़ रुपए), (xiv) 6.50% बचत बांड, 2003 (कर योग्य-भिन्न) (777.45 करोड़ रुपए) की चुकौती के लिए।	(a) Towards discharge of (i) 91 day Treasury Bills (Rs. 58,831.45 crore), (ii) 182 day Treasury Bills (Rs. 5,308 crore), (iii) 14 day Treasury Bills (Rs.3,23,769 crore), (iv) Ways and Means Advances (Rs. 1,43,026 crore) under normal market borrowings, (v) Dated Securities under Market Stabilisation Scheme (Rs. 59,544.22 crore), (vi) International Bank for Reconstruction and Development (Rs.12 crore), (vii) African Development Fund (Rs. 2.03 crore), (viii) International Monetary Fund (Rs. 5315.23 crore), (ix) 10% Relief Bond, 1993 (Rs. 0.20 crore), (x) 10% Relief Bond, 1995 (Rs.5.24 crore), (xi) 9% Relief Bond, 1987 (Rs. 1.92 crore), (xii) 9% Relief Bond, 1993 (Rs. 0.81 crore), (xiii) 9% Relief Bond, 1999 (Rs. 14.31 crore), (xiv) 6.50% Savings Bonds, 2003 (Non-taxable) (Rs. 777.45 crore).	-	4,32,216.15	4,32,216.15
(ख) विदेशी ऋण की वापसी-अदायगी के लिए	(b) Towards repayment of external debt.	-	1,754.49	1,754.49
38. व्यय विभाग	38 Department of Expenditure			
(क) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय (3.61 करोड़ रुपए) और (ख) नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को अभिलेखपाल, लेखाकरण, प्रशासन और पेंशन निधि की स्कीमों के अभिदाताओं के लिए ग्राहक सेवा के कार्य निष्पादन हेतु सेवा प्रभागों (6.31 करोड़ रुपए) के लिए।	For (a) additional establishment expenditure (Rs. 3.61 crore) and (b) payment of fee (Rs.6.31 crore) to National Securities Depository Limited, towards service charges for performing the functions of record keeping, accounting, administration and customer services for subscribers to the schemes of pension fund.	-	3.00	3.00
41 राजस्व विभाग	41 Department of Revenue			
मूल्य वर्धित कर लागू होने से राज्य सरकारों को हुई राजस्व हानि (515.37 करोड़ रुपए) की भरपाई हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	For meeting additional requirement for compensation to State Governments (Rs.515.37 crore) for revenue loss due to introduction of Value Added Tax.	-	0.12	0.12
42 प्रत्यक्ष कर	42 Direct Taxes			
संपदा शुल्क, धन कर और उपहार कर के संग्रहण हेतु व्यय (47.45 करोड़ रुपए) पूरे करने के लिए।	For meeting expenditure for collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax (Rs. 47.45 crore).	-	12.50	12.50
43 अप्रत्यक्ष कर	43 Indirect Taxes			
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय (393.16 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए।	For meeting additional establishment related expenditure of Central Excise Offices (Rs.393.16 crore).	-	39.20	39.20
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन	For (a) Grants-in-aid to National Institute of Health and Family Welfare (Rs. 1.35 crore)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन (1.35 करोड़ रुपए) और (ख) 'मिशन फ्लेक्सी पूल' स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता (8.75 करोड़ रुपए) पूरी करने के लिए सहायता अनुदान।	towards salary on implementation of VI Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and (b) meeting additional requirement (Rs. 8.75 crore) under the scheme of 'Mission Flexi Pool'.	8.75	-	8.75
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49 भारी उद्योग विभाग	49 Department of Heavy Industry			
(क) निम्नलिखित से सम्बद्ध लेखांकन समायोजन निष्पादित करने के लिए (i) एचएमटी लि. (2.14 करोड़ रुपए), एंड्रयू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड से सम्बद्ध गारंटी शुल्क की माफी (0.35 करोड़ रुपए), भारी इन्जीनियरिंग निगम लिमिटेड (1.50 करोड़ रुपए) और भारतीय टायर निगम लिमिटेड (1.82 करोड़ रुपए), (ii) ब्याज माफी (547.09 करोड़ रुपए) और भारतीय टायर निगम लि. की इक्विटी को कम करना, (266.68 करोड़ रुपए) और (iii) ऋण को बट्टे खाते डालना (30.97 करोड़ रुपए) और नागालैंड लुग्दी तथा कागज निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में ब्याज माफी (13.52 करोड़ रुपए)।	(a) For carrying out accounting adjustment relating to (i) Waiver of Guarantee Fee relating to Andrew Yule and Company Limited (Rs. 0.35 crore), HMT Ltd. (Rs.2.14 crore), Heavy Engineering Corporation Limited (Rs.1.50 crore) and Tyre Corporation of India Limited (Rs.1.82 crore), (ii) waiver of interest (Rs. 547.09 crore) and write down of equity (Rs. 266.68 crore) of Tyre Corporation of India Limited and (iii) write off of loan (Rs. 30.97 crore) and waiver of interest (Rs. 13.52 crore) in respect of Nagaland Pulp and Paper Corporation Limited.	-	864.07	864.07
(ख) भारी इन्जीनियरिंग निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में बकाया तथा दांडिक ब्याज को इक्विटी में बदलने के संबंध में लेखांकन समायोजनों को निष्पन्न करना।	(b) For carrying out accounting adjustments relating to conversion of outstanding and penal interest into equity in respect of Heavy Engineering Corporation Limited.	-	56.48	56.48
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53 पुलिस	53 Police			
(क) केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु।	(a) For establishment expenditure of Central Para Military Forces.	-	34.00	34.00
(ख) निम्नलिखित के सुरक्षा सम्बन्धी व्यय हेतु (i) जम्मू तथा कश्मीर (232 करोड़ रुपए) (ii) नक्सल प्रभावित राज्यों (12 करोड़ रुपए), और (iii) पूर्वोत्तर (78 करोड़ रुपए)।	(b) For security related expenditure in (i) Jammu and Kashmir (Rs. 232 crore), (ii) Naxal affected States (Rs. 12 crore), and (iii) North East (Rs. 78 crore).	-	40.09	40.09
54 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन तथा अन्य लाभों के सम्बन्ध में व्यय (51.58 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure (Rs. 51.58 crore) on Pension and Other Benefits to the Freedom Fighters.	-	9.40	9.40
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) नवोदय विद्यालय समिति निर्माण गतिविधियों पर व्यय (336 करोड़ रुपए), (ख) 'वयस्क शिक्षा तथा दक्षता विकास' पर अतिरिक्त व्यय (19.71 करोड़ रुपए), (ग) स्वैच्छिक संगठनों के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति मामलों का भुगतान (0.05 करोड़ रुपए), (घ) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन-योजना पर व्यय (1 करोड़ रुपए),	For (a) expenditure on construction activities of Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs. 336 crore), (b) additional expenditure on 'Adult Education and Skill Development' (Rs. 19.71 crore), (c) payment of reimbursement cases to the voluntary organisations (Rs. 0.05 crore),			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ड) राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (11.54 करोड़ रुपए)।	(d) expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs. 1 crore), (e) National Means cum Merit Scholarship Scheme (Rs. 11.54 crore).	11.54	-	11.54
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60 श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) कर्मचारी पेंशन योजना को अंशदान देने हेतु अतिरिक्त व्यय (200 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु, (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (14.50 करोड़ रुपए), और (iii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों तथा पेंशन के कारण केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अतिरिक्त सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) meeting additional expenditure towards contribution to Employees Pension Scheme (Rs. 200 crore), (ii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs. 14.50 crore) and (iii) additional Grants-in-aid to Central Board for Workers Education on account of salaries and pension on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 3 crore).	-	14.50	14.50
(ख) सम्बद्ध आईटीआई की प्रबन्ध समिति संस्थान को प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सम्बन्ध में 2.50 करोड़ रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु।	(b) For providing interest free loan upto Rs.2.50 crore per Industrial Training Institute (ITI) to Institute Management Committee of the concerned ITI.	2.50	-	2.50
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65 खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines			
(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण (32 करोड़ रुपए), (ख) भारतीय खान ब्यूरो (3.36 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में व्ययों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on salaries in respect of (a) Geological Survey of India (Rs. 32 crore), (b) Indian Bureau of Mines (Rs. 3.36 crore).	-	11.00	11.00
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विज्ञापन तथा प्रचार संबंधी स्थापना व्यय हेतु।	For establishment expenditure relating to Advertising and Publicity of Central Vigilance Commission.	-	0.18	0.18
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72 पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
निम्नलिखित के लिए (i) संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के लिए तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना (10,000 करोड़ रुपए), (ख) एपीएम अवधि से सम्बद्ध तेल विपणन कम्पनियों के आकस्मिक देयता दावों का निपटान (10.30 करोड़ रुपए) और (ग) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (242.47 करोड़ रुपए)।	For (a) providing compensation (Rs. 10,000 crore) through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products, (b) settlement of contingent liability claims of Oil Marketing Companies pertaining to APM period (Rs. 10.30 crore) and (c) additional equity investment in the bonus shares issued by Gas Authority of India Limited (Rs. 242.47 crore).	-	10,242.47	10,242.47

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
निम्नलिखित के लिए (क) टिहरी पन बिजली विकास निगम को विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की प्रतिपूर्ति (2.04 करोड़ रुपए) और (ख) ऊर्जा संरक्षण जागरूकता पुरस्कार तथा चित्रकला प्रतियोगिता की योजना के तहत व्यय (18.70 करोड़ रुपए)।	For (a) reimbursement of aid received from World Bank (Rs. 2.04 crore), to Tehri Hydro Development Corporation and (b) expenditure (Rs. 18.70 crore) under the scheme of Energy Conservation Awareness Awards and Painting Competition.	2.04	-	2.04
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
76 लोक सभा	76 Lok Sabha			
अतिरिक्त घरेलू यात्रा व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional domestic travel expenditure.	-	0.20	0.20
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग	84 Department of Scientific and Industrial Research			
अतिरिक्त व्यय हेतु वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त व्यय (क) वेतनों तथा पेंशन सहायता के कारण (142 करोड़ रुपए) और (ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं (202 करोड़ रुपए)।	For providing Grants-in-aid to the Council for Scientific and Industrial Research for additional expenditure (a) on account of salaries and pension assistance (Rs. 142 crore) and (b) of National Laboratories (Rs.202 crore).	-	2.00	2.00
पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
87 सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग	87 Department of Road Transport and Highways			
(क) निम्नलिखित को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) सड़क स्कन्ध द्वारा निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव तथा मरम्मत (156.44 करोड़ रुपए) और सीमा सड़क स्कन्ध (30.32 करोड़ रुपए), (ii) सामरिक तथा सीमा सड़क रख रखाव कार्य (0.11 करोड़ रुपए), और (iii) भूटान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित सड़क निर्माण कार्य हेतु सहायता अनुदान (26.04 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional expenditure on (i) maintenance and repair of national highways undertaken by Road Wing (Rs. 156.44 crore) and Border Road Wing (Rs. 30.32 crore), (ii) Strategic and Border Road maintenance works (Rs. 0.11 crore), and (iii) Grants-in-aid for road works undertaken by Border Road Development Board in Bhutan (Rs. 26.04 crore).	-	50.50	50.50
(ख) वाराणसी मुगलसराय बाइपास के सम्बन्ध में पंचाट फैसले के भुगतान हेतु।	(b) For payment of arbitral award in respect of Varanasi Mughalsarai Bypass.	3.64	-	3.64
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम में इक्विटी निवेश हेतु।	For equity investments in National Handicapped Finance and Development Corporation.	9.00	-	9.00
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
91 इस्पात मंत्रालय	91 Ministry of Steel			
(क) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड के सम्बन्ध में इसके भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	(a) For carrying out necessary accounting adjustments relating to write-off of			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
में विलयन होने पर आयोजना-भिन्न ऋण (175.46 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालना और इक्विटी के मूल्यहास (226.04 करोड़ रुपए) से सम्बन्ध आवश्यक लेखांकन समायोजनों का निष्पादन।	Non-Plan loan (Rs. 175.46 crore) and write down of equity (Rs. 226.04 crore) in respect of Bharat Refractories Limited, following its merger with Steel Authority of India Limited.	-	400.20	400.20
(ख) एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा बोनस शेयरों के रूप में जारी इक्विटी निवेश हेतु (260.04 करोड़ रुपए)।	(b) For equity investment (Rs. 260.04 crore) issued by NMDC Limited in the form of bonus shares.	-	252.04	252.04
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में ब्याज माफी के सम्बन्ध में लेखांकन समायोजन का निष्पादन।	For carrying out accounting adjustments relating to waiver of interest in respect of British India Corporation Limited.	-	390.80	390.80
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
93 पर्यटन मंत्रालय	93 Ministry of Tourism			
गंतव्य स्थलों तथा सर्किटों की परियोजना/ढांचागत विकास के अंतर्गत चालू योजनाएं/परियोजनाओं के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हेतु (23.32 करोड़ रुपए)।	For meeting the expenditure for ongoing schemes/projects under Project/Infrastructure Development for Destination and Circuits (Rs. 23.32 crore).	12.00	-	12.00
गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (विधानसभा रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURES)			
95 अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	95 Andaman and Nicobar Islands			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	27.03	27.03
96 चंडीगढ़	96 Chandigarh			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	47.00	47.00
97 दादर तथा नगर हवेली	97 Dadra and Nagar Haveli			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	93.13	93.13
98 दमन और दीव	98 Daman and Diu			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	41.60	41.60
99 लक्षद्वीप	99 Lakshadweep			
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत राजस्व व्यय हेतु।	For revenue expenditure under various Ministries/Departments.	-	3.04	3.04
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास विभाग	100 Department of Urban Development			
(क) राष्ट्रपति सम्पदा में स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु।	(a) For establishment related expenses in President's Estate.	-	9.85	9.85
(ख) सामान्य पूल के आवासीय स्थानों के अंतर्गत परियोजनाओं और अन्य आवासीय परियोजनाओं तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित आवासीय परियोजनाओं में विद्यमान मकानों के उन्नयन पर होने वाले व्यय के लिए (49.99 करोड़ रुपए)।	(b) For expenditure in projects under General Pool Residential Accommodation and Other Housing Projects and up-gradation of existing houses in Housing Projects situated at various places in the country (Rs. 49.99 crore).	2.00	-	2.00
101 लोक निर्माण कार्य	101 Public Works			
स्थापना संबंधी व्यय के लिए।	For establishment related expenditure.	-	8.41	8.41

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
105 युवा कार्य और खेल मंत्रालय	105 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) यूवा छात्रावासों के निर्माण हेतु व्यय के लिए।	(a) For expenditure towards construction of Youth Hostel.	1.50	-	1.50
(ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजन समिति को ऋण देने के लिए।	(b) For providing loan to the Organising Committee for Commonwealth Games, 2010.	-	35.00	35.00
जोड़ तकनीकी	Total Technical	4,526.86	4,56,425.03	4,60,951.89

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रुपए प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोजन से की जाएगी।

4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें

कृषि मंत्रालय

1. कृषि और सहकारिता विभाग

- (क) राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (0.10 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय बांस मिशन (20 करोड़ रुपये) के लिए सहायता-अनुदान।
- (ख) राष्ट्रीय बांस मिशन को सहायता-अनुदान।
- (ग) बाजार अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास (20 करोड़ रुपये) और ग्रामीण गोदामों के निर्माण (10 करोड़ रुपये) के अंतर्गत सहायता-अनुदान के लिए।

Token Supplementary Demands for grants

MINISTRY OF AGRICULTURE

1 Department of Agriculture and Cooperation

- (a) For Grants-in-aid for National Institute of Plant Health Management (Rs. 0.10 crore) and National Bamboo Mission (Rs. 20 crore).
- (b) For Grants-in-aid to National Bamboo Misison.
- (c) For Grants-in-aid under Development of Market Infrastructure, Grading and Standardisation (Rs. 20 crore) and Construction of Rural Godowns (Rs. 10 crore).

2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

- (क) कृषि विस्तार (10 करोड़ रुपये) (ख) कृषि शिक्षा (30 करोड़ रुपये), और (ग) बाह्य परियोजनाएं/स्कीम-कृषि शिक्षा (4 करोड़ रुपये) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता-अनुदान के लिए।

2 Department of Agricultural Research and Education

- For Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research under (a) Agricultural Extension (Rs. 10 crore), (b) Agricultural Education (Rs. 30 crore), and (c) Externally Aided Projects/Scheme-Agricultural Education (Rs. 4 crore).

3. पशुपालन, डेरी कार्य और मात्सियकी विभाग

- (क) 'पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य' योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को सहायता-अनुदान।
- (ख) कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् विभिन्न दुग्ध संघों/दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाले संघों और 'सघन डेरी विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन को सहायता-अनुदान के लिए।
- (ग) 'पाकिस्तान द्वारा जब्त किए गए मछली पकड़ने के जहाजों के बदले में पैकेज' के अंतर्गत मछुआरों को सहायता-अनुदान के लिए।

3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries

- (a) For Grants-in-aid to Uttar Pradesh State Industrial Corporation under the scheme 'Veterinary Services and Animal Health'.
- (b) For Grants-in-aid to the implementing agency i.e. various milk unions/federations for increasing milk production and generation of additional of additional employment opportunities under the scheme 'Intensive Dairy Development Programme'.
- (c) For Grants-in-aid to fishermen under 'Package for Replacement of Fishing Vessels seized by Pakistan'.

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6. रसायन और पेट्रोसायन विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
(क) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (6.15 करोड़ रुपए) और (ख) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2 करोड़ रुपये) को अपनी सहायता कंपनियों में इक्विटी निवेश करने हेतु अनुदान देने के लिए।	For providing Grants to (a) Hindustan Antibiotics Limited (Rs. 6.15 crore), and (b) Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (Rs. 2 crore) for equity investments in their respective subsidiary companies.	8.15	-	8.15
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10. वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) (i) चाय बोर्ड को सब्सिडी का भुगतान (8 करोड़ रुपए), (ii) सरकार द्वारा स्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु कॉफी बोर्ड को सहायता अनुदान (13 करोड़ रुपए), (iii) इलायची बागानों के पुनःपौधारोपण और पुनरुद्धार के लिए मसाला बोर्ड (3 करोड़ रुपये) को सब्सिडी के भुगतान हेतु।	(a) For (i) payment of subsidy to Tea Board (Rs. 8 crore), (ii) Grants-in-aid to Coffee Board for implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations accepted by the Government (Rs. 13 crore), (iii) payment of subsidy to Spices Board for replantation and rejuvenation of cardamom plantations (Rs. 3 crore).	24.00	-	24.00
(ख) (i) परिवहन सहायता योजना के अंतर्गत निर्यातकों को दावों का भुगतान (12.52 करोड़ रुपये) और (ii) भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान को सहायता-अनुदान (0.75 करोड़ रुपये) के लिए।	(b) For (i) payment of claims of exporters under Transport Assistance Scheme (Rs. 12.52 crore) and (ii) Grants-in-aid to Indian Institute of Plantation Management (Rs. 0.75 crore).	13.27	-	13.27
11. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	11 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) (i) भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (10 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (1.50 करोड़ रुपये), (iii) केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (4.50 करोड़ रुपये) और (iv) लुगदी और कागज संबद्ध उद्योग विकास परिषद (0.46 करोड़ रुपये) को सहायता-अनुदान देने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid to (i) Indian Leather Development Programme (Rs.10 crore), (ii) National Council for Cement and Building Material (Rs.1.50 crore), (iii) Central Manufacturing Technology Institute (Rs. 4.50 crore) and (iv) Development Council for Pulp and Paper Allied Industries (Rs. 0.46 crore).	-	16.46	16.46
(ख) 'अभिवृद्धि केंद्र' योजना के अंतर्गत (11 करोड़ रुपये) और (ii) विशेष श्रेणी वाले राज्यों को अतिरिक्त निधियां (10 करोड़ रुपये) जारी करने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(b) For meeting additional expenditure (i) under the scheme 'Growth Centre' (Rs.11 crore) and (ii) towards releasing additional funds to Special Category States (Rs. 10 crore).	21.00	-	21.00
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	14 Department of Information Technology			
(क) (i) स्वास्थ्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की योजना (0.87 करोड़ रुपये), (ii) मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (0.85 करोड़ रुपये), और (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (1.48 करोड़ रुपये) में व्यय के लिए।	(a) For expenditure (i) under the scheme of Electronics in Health (Rs. 0.87 crore), (ii) in Standardisation Testing and Quality Certification Directorate (Rs. 0.85 crore) and (iii) in National Informatics Centre (Rs. 1.48 crore) for projects in North Eastern Region and Sikkim .	3.20	-	3.20

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) (i) अग्रिम संगणना विकास केन्द्र (24 करोड़ रुपये), (ii) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (3.50 करोड़ रुपये) और (iii) घटक और सामग्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र (2.50 करोड़ रुपये) पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure on (i) Centre for Development of Advanced Computing (Rs. 24 crore), (ii) Society for Applied Microwave Electronic Engineering and Research (Rs. 3.50 crore) and (iii) Centre for Materials for Electronic Technology under Components and Material Development Programme (Rs. 2.50 crore).	30.00	-	30.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15. उपभोक्ता मामले विभाग	15 Department of Consumer Affairs			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ: परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रचार और प्रसार पर व्यय के लिए।	(a) For expenditure on Advertising and Publicity under Consumer Protection Cell for the projects and schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	3.00	-	3.00
(ख) परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रचार और प्रसार पर व्यय के लिए।	(b) For expenditure on Advertising and Publicity under Consumer Protection Cell for the projects and schemes.	14.50	-	14.50
(ग) तौल और माप अवसंरचना मजबूत करने के लिए मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए।	(c) For procurement of machinery and equipments for strengthening of Weights and Measures Infrastructure.	5.40	-	5.40
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	16 Department of Food and Public Distribution			
(क) खाद्यान्नों की विकेंद्रित खरीद करने पर राज्य सरकारों को सब्सिडी के भुगतान के लिए।	(a) For payment of Subsidy to State Governments on decentralised procurement of food grains.	-	460.00	460.00
(ख) व्यावसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on professional services.	-	0.05	0.05
(ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को सहायता-अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid to State Trading Corporation of India Limited.	-	0.18	0.18
कारपोरेट मामले मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17. कारपोरेट मामले मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
भारतीय कारपोरेट मामले संस्थान को विभिन्न प्रचालनात्मक खर्चों के लिए सहायता-अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid to Indian Institute of Corporate Affairs for various operational expenses.	2.70	-	2.70
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18. संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
(क) कला और संस्कृति से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और योजनाओं के लिए सहायता-अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid to various institutions and schemes relating to Art and Culture.	36.40	-	36.40
(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सामान्य पूल के कार्यालय भवन के निर्माण का व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For expenditure towards construction of General Pool Office Accommodation for Archaeological Survey of India.	10.00	-	10.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19. रक्षा मंत्रालय	19 Ministry of Defence			
(क) (i) रक्षा लेखा विभाग के लिए नए कार्यालय भवन के निर्माण (5.44 करोड़ रुपये) और (ii) नए गठित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और इसकी शाखाओं के अवसंरचना विकास	(a) For meeting additional expenditure on (i) construction of new office accommodation for Defence Accounts Department (Rs. 5.44 crore)			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(13.90 करोड़ रुपये) पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	and (ii) infrastructure development for newly setup of Armed Forces Tribunal and its branches (Rs. 13.90 crore).	-	19.34	19.34
(ख) मैसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड के इक्विटी निवेश के लिए।	(b) For equity investment of M/s Mishra Dhatu Nigam Limited.	-	9.00	9.00
(ग) मैसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड को ऋण निवेश के लिए।	(c) For loan investment of M/s Mishra Dhatu Nigam Limited.	-	9.00	9.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	27 Ministry of Development of North Eastern Region			
एशियाई विकास बैंक से सहायताप्राप्त पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना प्रबंधक एकक के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting establishment related expenditure of the Asian Development Bank assisted North East State Road Project Management Unit.	1.00	-	1.00
पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
28. पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	28 Ministry of Earth Sciences			
भूकंपीय और भूकंप पूर्वगामी कार्यक्रमों के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सहायता-अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid for implementation of activities in Seismicity and Earthquake Precursors programmes.	4.00	-	4.00
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
29. पर्यावरण और वन मंत्रालय	29 Ministry of Environment and Forests			
(क) (i) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.30 करोड़ रुपये), (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (23.28 करोड़ रुपये), (iii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (0.55 करोड़ रुपये), (iv) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (1.87 करोड़ रुपये) और (v) भारतीय वन्य जीवन संस्थान (2.90 करोड़ रुपये) को सहायता-अनुदान के लिए।	(a) For Grants-in-aid to (i) Indian Institute of Forestry Management (Rs. 0.30 crore), (ii) Indian Council of Forestry Research and Education (Rs. 23.28 crore), (iii) Indian Plywood Industries Research Institute (Rs. 0.55 crore), (iv) National Tiger Conservation Authority (Rs. 1.87 crore) and (v) Wildlife Institute of India (Rs. 2.90 crore).	28.90	-	28.90
(ख) (i) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.20 करोड़ रुपये) और (ख) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (1 करोड़ रुपये) को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से वेतन के कारण सहायता-अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid to (i) Indian Institute of Forestry Management (Rs. 0.20 crore) and (ii) Indian Council of Forestry Research and Education (Rs. 1 crore) on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	1.20	1.20
(ग) (क) गांवों के पुनर्वास और महत्वपूर्ण सामरिक बाघों के प्राकृतिक आवासों के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु 'बाघ परियोजना' की स्कीम के अंतर्गत (10.80 करोड़ रुपये), और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों के विकास एकीकृत विकास के लिए सहायता की योजना (1.50 करोड़ रुपये) के अंतर्गत सहायता अनुदान।	(c) For Grants-in-aid (a) under the scheme of 'Project Tiger' for additional requirement of National Tiger Conservation Authority for rehabilitation of villages and for core critical tiger habitats (Rs. 10.80 crore) and (b) under the scheme of "Assistance of Development of National Park and Sanctuaries/Integrated Development (Rs. 1.50 crore) in North Eastern Region and Sikkim.	12.30	-	12.30

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) (i) हिमालय अनुसंधान और विकास को सहायता-अनुदान (2.75 करोड़ रुपये). (ii) पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरण आयोग व न्यायाधिकरण की स्थापना (1.56 करोड़ रुपए), (iii) राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम (1.28 करोड़ रुपए), (iv) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन (0.40 करोड़ रुपये), (v) भारत सरकार-यूएनडीपी पर्यावरण सहायता कार्यक्रम को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से वेतनों के कारण (0.60 करोड़ रुपये) और (vi) गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम को सहायता-अनुदान (22 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure on account of (i) Grants-in-aid to Himalayan Research and Development (Rs. 2.75 crore), (ii) Establishment of Environment Authorities and Environment Commission and Tribunal (Rs. 1.56 crore), (iii) National Coastal Management Programme (Rs. 1.28 crore), (iv) Hazarduous Substances Management (Rs. 0.40 crore), (v) GOI-UNDP Environment Support Programme (Rs. 0.60 crore) on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and (vi) Grants-in-aid to National River Conservation Programme for meeting additional requirement for setting up of Ganga River Basin Authority (Rs. 22 crore).	28.59	-	28.59
(ङ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृति छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से वेतन व पेंशन के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता-अनुदान हेतु।	(e) For Grants-in-aid to Central Pollution Control Board on account of Salaries and Pensions on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	5.04	5.04
(च) गांवों के पुनर्वास और महत्वपूर्ण सामरिक बाघों के प्राकृतिक आवासों के लिए "राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु 'बाघ परियोजना' की स्कीम के अंतर्गत।	(f) For Grants-in-aid under the scheme of 'Project Tiger' for additional requirement of National Tiger Conservation Authority for rehabilitation of villages and for core critical tiger habitats.	56.00	-	56.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31. आर्थिक कार्य विभाग	31 Department of Economic Affairs			
(क) स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting establishment expenditure.	-	0.10	0.10
(ख) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल होने के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करने हेतु।	(b) For payment towards membership fee for joining the Organisation for Economic Cooperation and Development.	-	0.13	0.13
(ग) श्रीलंका सरकार को विस्तारित भारत सरकार की ऋण श्रृंखला के अंतर्गत अग्रिम देने के लिए।	(c) For making advances under Government of India Line of Credit extended to Government of Sri Lanka.	-	10.51	10.51
32. वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	32 Payments to Financial Institutions			
(क) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को की गई ब्याज की अदायगी की पुनःपूर्ति के भुगतान के लिए।	(a) For payment to NABARD towards reimbursement of interest paid by them to Reserve Bank of India, under Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme.	-	149.79	149.79
(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी पूंजीगत निधियों के सुदृढीकरण के लिए टियर-1 लिखतों में अभिदान हेतु।	(b) For subscribing to Tier-1 Instruments of Nationalised Banks to augment their capital funds.	-	1,900.00	1,900.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) बल्लभभाई पटेल चैस्ट संस्थान, नई दिल्ली (23.30 करोड़ रुपये), (ii) अखिल	(a) For Grants-in-aid to (i) Vallabhbhai Patel Chest Institute, New Delhi			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (80 करोड़ रुपए), (iii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (12 करोड़ रुपए), (iv) स्नातकोत्तर चिकित्सा स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (10 करोड़ रुपए), (v) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (0.15 करोड़ रुपए), (vi) राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (4 करोड़ रुपए), और (vii) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (75 करोड़ रुपए) को सहायता-अनुदान के लिए।	(Rs.23.30 crore), (ii) All India Institute of Medical Sciences (Rs. 80 crore), (iii) National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore (Rs. 12 crore), (iv) Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Rs. 10 crore), (v) National Academy of Medical Sciences (Rs.0.15 crore), (vi) National Vector Borne Disease Control Programme (Rs. 4 crore), and (vii) Rashtriya Arogya Nidhi (Rs. 75 crore).	204.45	-	204.45
(ख) (1) वल्लभभाई पटेल चैस्ट संस्थान, नई दिल्ली (1.09 करोड़ रुपए), (2) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (2.77 करोड़ रुपए), (3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (130 करोड़ रुपए), (4) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर (9 करोड़ रुपए), (5) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (36.96 करोड़ रुपए) और (6) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (0.24 करोड़ रुपए), (ii) गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह को परिक्रामी निधि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए (1 करोड़ रुपए), (iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंशदान (2 करोड़ रुपए) की सहायता-अनुदान के लिए।	(b) For (i) Grants-in-aid to (1) Vallabhbhai Patel Chest Institute, New Delhi (Rs.1.09 crore), (2) Chitaranjan National Cancer Institute, Kolkata (Rs. 2.77 crore), (3) All India Institute of Medical Sciences (Rs. 130 crore), (4) National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore (Rs. 9 crore), (5) Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Rs. 36.96 crore) and (6) National Academy of Medical Sciences (Rs. 0.24 crore), (ii) providing financial assistance to patients below poverty line and to Union Territory of Andaman and Nicobar Islands towards revolving fund (Rs. 1 crore), (iii) contribution to World Health Organisation (Rs. 2 crore).	-	183.06	183.06
(ग) (i) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (35.63 करोड़ रुपए), और (ii) क्षेत्रीय पराचिकित्सा और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आईजोल (2.24 करोड़ रुपए) को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से वेतन के लिए सहायता-अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid to (i) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (Rs. 35.63 crore) and (ii) Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizwal (Rs. 2.24 crore) towards salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	37.87	-	37.87
(घ) गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान हेतु।	(d) For Grants-in-aid to State Governments to provide financial assistance to patients below poverty line.	-	1.35	1.35
(ङ) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एंबुलेंस की खरीद (1.23 करोड़ रुपए), (ii) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के चालू बड़े निर्माण कार्य (16.07 करोड़ रुपए) (iii) केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची को चालू निर्माण कार्यों की देनदारी (2.98 करोड़ रुपए), (iv) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी की चालू निर्माण परियोजनाएं (62.07 करोड़ रुपए) और (v) बारह चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों के लिए कीमती मशीनरी और उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह के	(e) for meeting expenditure towards (i) procurement of ambulance under Central Government Health Scheme (Rs. 1.23 crore), (ii) ongoing major works of Safdarjung Hospital, New Delhi (Rs. 16.07 crore), (iii) liability of ongoing works of Central Institute of Psychiatry, Ranchi (Rs. 2.98 crore), (iv) ongoing construction projects of Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Rs. 62.07 crore) and (v) establishment of All India Institute of			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सुपर स्पेशलिटी हस्पतालों की स्थापना (198 करोड़ रुपये) का व्यय पूरा करने के लिए।	Medical Sciences type Super-speciality Hospitals towards centralised procurement of high-end machinery and equipments for twelve Medical College Institutions (Rs. 198 crore).	280.35	-	280.35
47 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)	47 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) (i) 'सूचना शिक्षा व संचार पर व्यय' स्कीम के लिए (1 करोड़ रुपये), (ii) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को सहायता-अनुदान (0.02 करोड़ रुपये), (iii) 'आयुष अस्पताल' योजना (25 करोड़ रुपये), (iv) 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सहायता' योजना (1.46 करोड़ रुपये), (v) केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद योजना (7.95 करोड़ रुपये), (vi) 'केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद' योजना (5.60 करोड़ रुपये), (vii) 'केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली', योजना (8.46 करोड़ रुपये), (viii) 'केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली योजना (5.05 करोड़ रुपये), (ix) राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नै (2.61 करोड़ रुपये), (x) 'आयुष का पुनः विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम और 'चिकित्सा शिक्षा जारी रखने' की स्कीमें (1 करोड़ रुपये), और (xi) आयुष शिक्षा/ दवा विकास और अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक औषधि आदि में लगे गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र में अधिकृत आयुष उत्कृष्टता के केंद्रों को सहायता' योजना (6.02 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For additional expenditure (i) for the scheme 'Expenditure on Information Education and Communication' (Rs. 1 crore), (ii) towards Grants-in-aid to Central Council of Homoeopathy (Rs.0.02 crore), (iii) for the scheme 'AYUSH Hospitals' (Rs. 25 crore), (iv) for the scheme 'Assistance for International Co-operation' (Rs. 1.46 crore), (v) for the scheme 'Central Council for Research in Ayurveda and Siddha' (Rs. 7.95 crore), (vi) for the scheme 'Central Council for Research in Homoeopathy' (Rs. 5.60 crore), (vii) for the scheme 'Central Council for Research in Unani Medicines, New Delhi' (Rs. 8.46 crore), (viii) for the scheme 'Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi' (Rs. 5.05 crore), (ix) for National Institute of Siddha, Chennai (Rs. 2.61 crore), (x) for the schemes 'Re-orientation Training Programme of AYUSH' and 'Continuing Medical Education' (Rs. 1 crore), and (xi) for the scheme 'Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-government/private sector engaged in AYUSH Education/Drug Development & Research/Clinical Research/Folk Medicine, etc.' (Rs. 6.02 crore).	64.17	-	64.17
(ख) (i) मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद के चुनाव कराने के लिए (0.10 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (0.95 करोड़ रुपये), केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (7.43 करोड़ रुपये), केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (3.95 करोड़ रुपये) और केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली (0.03 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For additional expenditure for (i) conducting Central Council of Indian Medicine election in the States of Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu (Rs. 0.10 crore), (ii) payments of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rs. 0.95 crore), Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi (Rs. 7.43 crore), Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi (Rs. 3.95 crore) and Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi (Rs. 0.03 crore).	-	12.46	12.46

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से वेतनों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सहायता-अनुदान के लिए।	48 Department of Health Research For Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	104.18	-	104.18
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मन्त्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49 भारी उद्योग विभाग (क) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में इक्विटी को ऋण में अंतरण के लिए। (ख) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में इक्विटी को ऋण में अंतरण के लिए। (ग) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण देने के लिए।	49 Department of Heavy Industry (a) For conversion of loan into equity in respect of Heavy Engineering Corporation Limited. (b) For conversion of loan into equity in respect of Tyre Corporation of India Limited. (c) For providing loan to Heavy Engineering Corporation Limited.	108.04 202.86 -	- - 60.00	108.04 202.86 60.00
गृह मन्त्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 गृह मन्त्रालय (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मोटर वाहनों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नव स्थापित कार्यालय पर स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	51 Ministry of Home Affairs (a) For meeting the expenditure on Motor Vehicles of Narcotics Control Bureau. (b) For meeting the establishment related expenditure on the newly established office of National Investigation Agency.	- -	1.50 0.50	1.50 0.50
53 पुलिस केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के अन्य प्रशासनिक खर्च पूरे करने के लिए।	53 Police For expenditure on Other Administrative Expenses of Central Forensic Science Laboratory.	0.10	-	0.10
55 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण केंद्रीय बिक्री कर संग्रहणों की पुनःपूर्ति हेतु पुडुचेरी सरकार को अनुदान देने के लिए।	55 Transfers to Union Territory Governments For providing grant to the Government of Puducherry towards reimbursement of Central Sales Tax collections.	-	128.89	128.89
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (क) नवोदय विद्यालय समिति (15.74 करोड़ रुपए) और (ii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (188.53 करोड़ रुपए) को वेतन/पेंशन/मानदेय के संशोधन के कारण व्यय। (ख) (i) नवोदय विद्यालय समिति के क्रिया कलापों की संरचना (59 करोड़ रुपए) और (ii) बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (24.53 करोड़ रुपए) के व्यय हेतु। (ग) बालिकाओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना हेतु राज्य सरकारों को अनुदान सहायता। (घ) बालिकाओं के प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना हेतु संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान सहायता।	57 Department of School Education and Literacy (a) For expenditure on account of revision of salary/pension/bonus to (i) Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs. 15.74 crore) and (ii) Kendriya Vidyalaya Sangathan (Rs. 188.53 crore). (b) For expenditure on (i) construction activities of Navodaya Vidyalaya Samiti (Rs. 59 crore) and (ii) National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs.24.53 crore). (c) For Grants-in-aid to State Governments on National Scheme for Incentive to Girl Child. (d) For Grants-in-aid to Union Territory Governments on National Scheme for Incentive to Girl Child.	- 83.53 169.59 5.43	204.27 - - -	204.27 83.53 169.59 5.43

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
58 उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) (i) मुम्बई विश्वविद्यालय (20 करोड़ रुपए), कोलकाता विश्वविद्यालय (20 करोड़ रुपए) और मद्रास विश्वविद्यालय (20 करोड़ रुपए) के उत्कृष्ट संस्थानों, (ii) ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना (0.25 करोड़ रुपए), (iii) हिन्दी शिक्षा मंडल, आगरा (0.60 करोड़ रुपए और (iv) लघुकार्यों और रखरखाव हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी प्रौद्योगिकी शुरू करने की योजनाओं के तहत अनुदान सहायता।	(a) For Grants-in-aid under the scheme of (i) Institutions of Excellence to the University of Mumbai (Rs. 20 crore), University of Calcutta (Rs. 20 crore) and University of Madras (Rs. 20 crore), (ii) establishment of Rural University (Rs. 0.25 crore), (iii) Hindi Shiksha Mandal, Agra (Rs. 0.60 crore) and (iv) Commission for Scientific and Technical Technology for minor works and maintenance (Rs. 0.30 crore).	61.15	-	61.15
(ख) (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (29.97 करोड़ रुपए), (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान (39.54 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान (25 करोड़ रुपए और (iv) तीन नए आईआईटीज की स्थापना (10 करोड़ रुपए) हेतु अनुदान सहायता।	(b) For Grants-in-aid under the scheme of (i) All India Council for Technical Education (Rs. 29.97 crore), (ii) National Institute of Technology (Rs.39.54 crore), (iii) Indian Institute of Science for Education Research (Rs.25 crore) and (iv) Setting of three new IITs (Rs. 10 crore).	104.51	-	104.51
(ग) क्षेत्र विशिष्ट और मद्रास आधुनिकीकरण कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत मद्रास को अनुदान सहायता।	(c) For Grants-in-aid to Madrasa under the scheme 'Area Intensive and Madrasa Modernisation Programme'.	2.00	-	2.00
(घ) क्षेत्र विशिष्ट और मद्रास आधुनिकीकरण कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को अनुदान सहायता।	(d) For Grants-in-aid to State Governments under the scheme 'Area Intensive and Madrasa Modernisation Programme'.	18.00	-	18.00
(ङ) (i) सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति पर कार्यान्वयन हेतु विभिन्न संस्थानों को बढ़े हुए वेतन को पूरा करने पर व्यय (376.75 करोड़ रुपए), (ii) भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा फाउंडेशन को आयकर और सीमाशुल्क की वापसी की योजना के अन्तर्गत (0.92 करोड़ रुपए), (iii) विदेशों के शिक्षा संस्थानों के स्थापना संबंधी व्ययों की योजना के अन्तर्गत (1.13 करोड़ रुपए) और (iv) विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति, ब्रिटेन के एवज में विदेश जा रहे भारतीय स्कूलों की योजना के अन्तर्गत (0.11 करोड़ रुपए)।	(e) For Grants-in-aid (i) to various institutions for meeting additional expenditure (Rs. 376.75 crore) on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government, (ii) under the scheme 'Refund of Income Tax and Customs Duty to United States Education Foundation in India' (Rs. 0.92 crore), (iii) under the scheme 'Education Institutions Abroad for establishment related expenditure (Rs. 1.13 crore) and (iv) under the scheme 'Indian Scholars going abroad' against scholarships offered by Foreign Government/ Organisations for Commonwealth Scholarship, UK (Rs. 0.11 crore).	-	378.91	378.91
(च) सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति पर कार्यान्वयन हेतु विभिन्न संस्थानों को बढ़े हुए वेतन को पूरा करने पर व्यय के लिए सहायता-अनुदान।	(f) For Grants-in-aid to various institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	282.73	282.73
(छ) पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इटानगर को सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति पर कार्यान्वयन हेतु विभिन्न संस्थानों को बढ़े हुए वेतन को पूरा करने पर व्यय के लिए सहायता अनुदान।	(g) For Grants-in-aid to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	6.50	6.50

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
(ज) (i) सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के क्रियान्वयन से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान में सुधार की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में सहायता-अनुदान।	(h) For Grants-in-aid under the scheme 'Improvement in the Scale of University and College Teachers' to meet Government of India's share of liability payable to States on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government.	-	59.53	59.53
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) "भारत निर्माण" संचार अभियान विकास के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under Development Communication Campaign for "Bharat Nirman".	27.42	-	27.42
(ख) प्रसार भारती को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूचना सुविधाओं में सुधार हेतु अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान करना।	(b) For providing additional Grants-in-aid to Prasar Bharati for improvement in Network facility in North East Areas.	15.64	-	15.64
(ग) साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीयकता बढ़ावे के लिए मल्टीमीडिया अभियान के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure for multimedia campaign on Communal Harmony and National Integration enhancement.	-	15.00	15.00
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
62 विधि और न्याय	62 Law and Justice			
(क) अन्तर्राष्ट्रीय विधि संगठन को अनुदान सहायता।	(a) For Grants-in-aid to the International Law Association.	-	1.50	1.50
(ख) (i) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (0.15 करोड़ रुपए) और (ii) विधायी विभाग की भाषायी विंग के अतिरिक्त व्यय (0.18 करोड़ रुपए) हेतु अनुदान सहायता।	(b) For (i) Grants-in-aid to the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (Rs. 0.15 crore) and (ii) additional expenditure (Rs. 0.18 crore) of Official Language Wing of the Legislative Department.	-	0.33	0.33
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) (i) प्रौद्योगिकी की गुणता सहायता संस्थान कार्यक्रम (1.64 करोड़ रुपए), (ii) सब्सिडी पर पूंजीगत सब्सिडी योजना से संबंधित ऋण (16.85 करोड़ रुपए), (iii) ऋण सहायता कार्यक्रम (32.18 करोड़ रुपए) और (iv) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को सब्सिडियों पर विपणन सहायता योजना (1.60 करोड़ रुपए)।	(a) To meet the additional expenditure under the schemes of (i) Quality of Technology Support Institution Programme (Rs. 1.64 crore), (ii) Credit Linked Capital Subsidy Scheme on subsidies (Rs. 16.85 crore), (iii) Credit Support Programme (Rs. 32.18 crore) and (iv) Marketing Assistance Schemes on Subsidies (Rs. 1.60 crore) to National Small Industries Corporation Limited.	52.27	-	52.27
(ख) एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम तथा एमएसएमई विकास पोलस के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधानों में वृद्धि (1.55 करोड़ रुपए) और अंशदान के सम्बन्ध में ऋण सहायता कार्यक्रम (6.73 करोड़ रुपए)।	(b) For augmentation of provisions for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim in respect of MSME Clusters Development Programme and MSME Growth Poles (Rs. 1.55 crore) and Credit Support Programme towards contribution (Rs.6.73 crore).	8.28	-	8.28

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
67 नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	67 Ministry of New and Renewable Energy			
(क) बायोगैस तथा राष्ट्रीय विकास निधि के तहत पिछले वर्षों के लेखों के निपटान हेतु व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting expenses for settlement of the accounts of previous years under Biogas and National Development Fund.	7.00	-	7.00
(ख) निम्नलिखित के सम्बन्ध में व्यय हेतु (i) क्षेत्रीय जांच केन्द्र (0.15 करोड़ रुपए), (ii) सौर ऊर्जा केन्द्र के तहत उपस्करों की अधिप्राप्ति और अन्य अनुसंधान तथा विकास निर्माण कार्य (0.20 करोड़ रुपए), (iii) फोटोवोल्टिक डेमो तथा टेक्नों के तहत पुरानी वचनबद्ध देयताएं (0.05 करोड़ रुपए), (iv) पवन पम्प कार्यक्रम को सहायता अन्तर्गत पुरानी वचनबद्धताएं (0.85 करोड़ रुपए), (v) शहरी तथा कृषि अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा के तहत अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं (0.30 करोड़ रुपए) और (vi) सौर विद्युत तथा लघु पन बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में विद्युत उपलब्ध कराना (25 करोड़ रुपए)।	(b) For expenditure towards (i) Regional Test Centres (Rs. 0.15 crore), (ii) procurement of equipment and other R&D works under Solar Energy Centre (Rs. 0.20 crore), (iii) old committed liabilities (Rs. 0.05 crore) under Photovoltaic Demo and Tech, (iv) old committed liabilities (Rs. 0.85 crore) under Assistance to Wind Pump Programme, (v) R&D projects (Rs. 0.30 crore) under Energy from Urban and Agricultural Wastes and (vi) providing electricity to Solar power as well as small hydro power projects (Rs. 25 crore).	26.55	-	26.55
(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वर्धित वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For additional expenditure on account of enhanced salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	1.88	-	1.88
भारतीय अप्रवासी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS			
68 भारतीय अप्रवासी कार्य मंत्रालय	68 Ministry of Overseas Indian Affairs			
(क) 'महा उत्प्रवासन संरक्षक' के नवसृजित अधीनस्थ कार्यालय की संस्थापना (3.57 करोड़ रुपए), लघु निर्माण कार्य (0.01 करोड़ रुपए) और सूचना प्रौद्योगिकी (0.78 करोड़ रुपए) से सम्बद्ध व्यय हेतु।	(a) For expenditure on establishment (Rs.3.57 crore), Minor Works (Rs. 0.01 crore) and Information Technology (Rs. 0.78 crore) of the newly formed Subordinate Office of 'Protector General of Emigrants.	-	4.36	4.36
(ख) (i) अन्य योजनाएं (0.10 करोड़ रुपए), (ii) ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (1.60 करोड़ रुपए), (iii) 'भारत को जानें' कार्यक्रम (0.80 करोड़ रुपए), (iv) डाइसपोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), (v) डाइसपोरा बच्चों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन (0.02 करोड़ रुपए), (vi) जागरूकता अभियान/मीडिया प्लान (7.23 करोड़ रुपए), (vii) भारतीय विकास फाउंडेशन (0.10 करोड़ रुपए), (viii) समुद्रपारीय भारतीय सूचना और सुविधा केन्द्र (0.95 करोड़ रुपए), (ix) समुद्रपारीय कामगार संसाधन केन्द्र (0.25 करोड़ रुपए), (x) उत्प्रवासन कामगार के प्री-डिपार्टर ऑरिएंटेशन और दक्षता उन्नयन (5 करोड़ रुपए), (xi) समुद्रपारीय भारतीय केन्द्र (0.50 करोड़ रुपए), (xii) समुद्रपारीय रोजगार प्रोत्साहन परिषद (0.50 करोड़ रुपए) और (xiii) एनआरआई विवाह सम्बन्धी समस्याओं का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी सहायता (0.02 करोड़ रुपए)।	(b) For expenditure under the schemes of (i) Other Schemes (Rs. 0.10 crore), (ii) Overseas Citizenship of India (Rs.1.60 crore), (iii) Know India Programme (Rs. 0.80 crore), (iv) Scholarship Schemes for Diaspora Children (Rs.3.08 crore), (v) Promotion of Cultural ties with Diaspora Children (Rs. 0.02 crore), (vi) Awareness Campaign/Media Plan (Rs. 7.23 crore), (vii) Indian Development Foundation (Rs. 0.10 crore), (viii) Overseas Indian Facilitation Centre (Rs. 0.95 crore), (ix) Overseas Workers Resource Centre (Rs. 0.25 crore), (x) Pre-Departure Orientation and Skill Upgradation of Emigrant Worker (Rs. 5 crore), (xi) Overseas Indian Centres (Rs. 0.50 crore), (xii) Council for Promotion of Overseas Employment (Rs. 0.50 crore) and (xiii) legal assistance to women facing problems in NRI marriage (Rs.0.02 crore).	-	20.15	20.15

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
69 पंचायती राज मंत्रालय	69 Ministry of Panchayati Raj			
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय (11.85 करोड़ रुपए) और कार्रवाई अनुसंधान तथा अनुसंधान अध्ययन (1 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting the additional expenditure on Rashtriya Gram Swaraj Yojana (Rs. 11.85 crore) and Action Research and Research Studies (Rs. 1 crore).	12.85	-	12.85
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यालय की भूमि खरीद हेतु।	For purchase of land for North Eastern Region Office of the Staff Selection Commission.	-	0.72	0.72
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
(क) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid to the National Power Training Institute.	-	2.22	2.22
(ख) पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कोरपोरेशन को ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के पूर्व अवधि समायोजना के निष्पादन हेतु।	(b) For carrying out prior period adjustment of conversion of loan into equity of North Eastern Electric Power Corporation.	361.10	-	361.10
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग तथा उप राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
75 विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास एवं भत्ते	75 Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President			
जरूरतमंद व्यक्तियों को अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on grants to needy persons.	-	0.30	0.30
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
80 ग्रामीण विकास विभाग	80 Department of Rural Development			
निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु	For meeting additional expenditure on:-			
(क) इन्दिरा आवास योजना।	(a) Indira Awaas Yojana.	1.67	-	1.67
(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं।	(b) National Rural Employment Guarantee Schemes.	194.84	-	194.84
(ग) डीआरडी प्रशासन	(c) DRDA Administration.	42.00	-	42.00
(घ)	(d) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.	232.64	-	232.64
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
83 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	83 Department of Science and Technology			
(क) (i) मान 1:10000 (10 करोड़ रुपए) में न्यू मैप सीरीज के लिए भारत का सर्वेक्षण (ii) प्रौद्योगिकी व्यापार उष्मायित्र और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यम कार्यक्रम (6 करोड़ रुपए) के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास (iii) प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली, उपकरण विकास कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (8 करोड़ रुपए), (iv) राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य परिषद (4 करोड़ रुपए) और (v)	(a) For Grants-in-aid support to (i) Survey of India for new map series in the scale 1:10000 (Rs. 10 crore), (ii) Science and Technology Entrepreneurship Development for Technology Business Incubators and Science and Technology Entrepreneurship Programmes (Rs. 6 crore), (iii) Technology Development Programme for Natural Resources Data Management System, Instrument Development Programme and Disaster			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसएक्शन और सिक्युरिटी सोसाइटी चेन्नई के अधीन इन्फोरमेशन सिक्युरिटी एंड क्रिप्टोलॉजी और सीनर्जी परियोजनाओं के तहत क्वैन्टम वेल इन्फ्रार्ड फोटो डिटेक्टर्स के विकास के लिए सहायता अनुदान हेतु (8 करोड़ रुपए)।	Management (Rs. 8 crore), (iv) various State Councils for Science and Technology Programme (Rs. 4 crore) and (v) the Advanced Facility for Information Security and Cryptology under the Society for Electronics Transactions and Security, Chennai and development of Quantum Well Infrared Photo detectors array under Synergy Projects (Rs. 8 crore).	36.00	-	36.00
(ख) देहरादून और हैदराबाद में दो केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भारतीय सर्वेक्षण के लिए सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid to Survey of India for two Kendriya Vidyalaya Schools at Dehradun and Hyderabad.	-	1.10	1.10
(ग) मरम्मत सहित मुख्य निर्माण कार्यों के लिए भारतीय सर्वेक्षण को सहायता अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid to Survey of India for major works including repairs.	3.00	-	3.00
84 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	84 Department of Scientific and Industrial Research			
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing Grants-in-aid to Council of Scientific and Industrial Research.	43.00	-	43.00
85 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	85 Department of Biotechnology			
निम्नलिखित के तहत सहायता अनुदान हेतु (i) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन और विभिन्न विश्वविद्यालयों का सुदृढीकरण (6 करोड़ रुपए) और (ii) अनुमोदित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पर्यावरण संबंधी जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (3 करोड़ रुपए)।	For Grants-in-aid under (i) Biotechnology Education and Training Programme for Post Graduation Techning Programme, Implementation of Biotechnology Industrial Training Programme and strengthening of various Universities (Rs. 6 crore) and (ii) Environmental Biotechnology Programme for funding approved projects (Rs. 3 crore).	9.00	-	9.00
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 पोत परिवहन विभाग	86 Department of Shipping			
(क) कम्प्यूटरीकरण संबंधी व्यय हेतु।	(a) For expenditure on account of computerisation.	0.50	-	0.50
(ख) कोलकाता पत्तन ट्रस्ट को अतिरिक्त तलकर्षण सब्सिडी।	(b) For additional dredging subsidy to Kolkata Port Trust.	-	31.19	31.19
(ग) निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (i) भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान (1.90 करोड़ रुपए) और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (1 करोड़ रुपए)।	(c) For Grants-in-aid to (i) Indian Institute of Maritime Studies (Rs. 1.90 crore) and Indian Maritime University (Rs. 1 crore).	-	2.90	2.90
(घ) न्यायालय मामले के प्रतिवाद के लिए व्यावसायिक सेवाओं संबंधी व्यय हेतु।	(d) For expenditure towards professional services for defending court case.	-	2.00	2.00
(ङ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निवेश हेतु।	(e) For investment in Hindustan Shipyard Limited.	10.90	-	10.90
(च) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय संबंधी सिविल निर्माण कार्य संबंधी व्यय हेतु।	(f) For expenditure on civil works in respect of Indian Maritime University.	9.00	-	9.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) राजीव गाँधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid to Rajiv Gandhi National Fellowship scheme.	12.94	-	12.94
(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सहायता अनुदान	(b) For Grants-in-aid to National Commission for Backward Classes.	-	0.31	0.31

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
90 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	90 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid to Indian Statistical Institute, Kolkata.	-	4.78	4.78
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
91 इस्पात मंत्रालय	91 Ministry of Steel			
भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के अनुमोदित पूँजी पुनर्निर्माण के भाग के रूप में 7% गैर संचयी अधिमानी शेयर के मोचन के संबंध में ऋण के इक्विटी में रूपांतरण (16.50 करोड़) और इक्विटी के नए निर्गम (12.05 करोड़ रुपए) संबंधी आवश्यक लेखा समायोजनों को पूरा करने हेतु।	For carrying out necessary accounting adjustments relating to conversion of loan into equity (Rs. 16.50 crore) and fresh issue of equity (Rs. 12.05 crore) towards redemption of 7% non-cumulative preference share, as a part of approved capital restructuring of Bharat Refractories Limited.	28.55	-	28.55
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
(क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय के लिए (i) हस्तकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (5.17 करोड़ रुपए), (ii) विविधिकृत हस्तकरघा विकास योजना (0.85 करोड़ रुपए)। (iii) कल्याण और अन्य योजना (11.93 करोड़ रुपए) (iv) रेशम उद्योग का विकास (6 करोड़ रुपए) और (v) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (6 करोड़ रुपए)।	(a) For additional expenditure on (i) Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (Rs. 5.17 crore), (ii) Diversified Handloom Development Scheme (Rs. 0.85 crore), (iii) Welfare and other Scheme (Rs. 11.93 crore), (iv) Development of Silk Industries (Rs. 6 crore), and (v) National Institute of Fashion Technology (Rs. 6 crore).	29.95	-	29.95
(ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय के लिए (i) डिजाइन और तकनीकी उन्नयन (2.77 करोड़ रुपए), (ii) मिल गेट प्राइस स्कीम (4.59 करोड़ रुपए), (iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (10 करोड़ रुपए) और (iv) विद्युतकरघा उद्योग (2 करोड़ रुपए)।	(b) For additional expenditure on (i) Design and Technical Upgradation (Rs. 2.77 crore), (ii) Mill Gate Price Scheme (Rs. 4.59 crore), (iii) Central Silk Board (Rs. 10 crore) and (iv) Powerloom Industries (Rs. 2 crore).	19.36	-	19.36
(ग) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में ऋण को इक्विटी में बदलने संबंधी लेखाकरण समायोजन करने के लिए।	(c) For carrying out accounting adjustments relating to conversion of loan into equity in respect of British India Corporation Limited.	-	249.62	249.62
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
93 पर्यटन मंत्रालय	93 Ministry of Tourism			
होटेल प्रबंधन संस्थान, फुड क्राफ्ट संस्थान, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय होटेल प्रबंधन केंटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद के तहत चालू स्कीमों/परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु केन्द्रीय वित्त सहायता के लिए।	For Central Financial Assistance to meet the additional expenditure for the on-going schemes/projects under assistance to Institutes of Hotel Management, Food Craft Institute, India Institute of Tourism and Travel Management and National Council of Hotel Management Catering Technology.	12.00	-	12.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
94 जनजातीय कार्य मंत्रालय	94 Ministry of Tribal Affairs			
(क) निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान (i) अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन (3.50 करोड़ रुपए) और (ii) मानीटरिंग और मूल्यांकन स्कीम के तहत मूल्यांकन अध्ययन करना	(a) For Grants-in-aid for (i) implementing various schemes for the Welfare of Scheduled Tribe (Rs. 3.50 crore) and (ii) conducting evaluation studies under the scheme 'Monitoring and			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(0.25 करोड़ रुपए) तथा सूचना और मास मीडिया स्कीम के तहत (0.25 करोड़ रुपए)।	Evaluation' (Rs. 0.25 crore) and under the scheme of information and Mass Media (Rs. 0.25 crore).	4.00	-	4.00
(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) आदि जनजाति समूह का विकास योजना के अधीन (16 करोड़ रुपए) और (ii) जनजाति के कल्याण के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीमों के तहत (0.01 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting expenditure (i) under the scheme of 'Development of Primitive Tribal Groups' (Rs. 16 crore) and (ii) under Coaching and Allied Schemes for the welfare of Scheduled Tribes (Rs.0.01 crore).	16.01	-	16.01
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास विभाग	100 Department of Urban Development			
(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड को सहायता अनुदान के लिए।	(a) For Grants-in-aid to National Capital Regional Planning Board.	-	0.25	0.25
(ख) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन में निवेश के लिए।	(b) Towards investment in Bangalore Metro Rail Corporation.	21.99	-	21.99
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
103 जल संसाधन मंत्रालय	103 Ministry of Water Resources			
लघु सिंचाई जनगणना कार्य पूरा करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए।	For Grants-in-aid to State Governments to complete the Minor Irrigation Census Work.	3.00	-	3.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
104 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	104 Ministry of Women and Child Development			
(क) निम्नलिखित के सहायता अनुदान के लिए (i) बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत योजना के तहत (2.50 करोड़ रुपए) और (ii) कार्यरत बच्चों और देखभाल एवं रक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना के तहत (1.50 करोड़ रुपए)।	(a) For Grants-in-aid (i) under the "Integrated Scheme for Street Children" (Rs. 2.50 crore) and (ii) under the "Scheme for the Welfare of working Children and Children in need of Care and Protection" (Rs. 1.50 crore).	4.00	-	4.00
(ख) निम्नलिखित हेतु सहायता अनुदान के लिए (i) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (0.88 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (0.16 करोड़ रुपए) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर वेतन/पेंशन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For Grants-in-aid to (i) National Institute of Public Cooperation and Child Development (Rs. 0.88 crore), and (ii) National Commission for Women (Rs.0.16 crore) for meeting the additional requirement of salaries/pension on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations, as accepted by the Government.	-	1.04	1.04
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
105 युवा मामले और खेल मंत्रालय	105 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) भारतीय खेल प्राधिकरण/सीपीडब्ल्यूडी को कॉमन वेल्थ खेल 2010 के लिए (105 करोड़ रुपए), (ii) दिल्ली विश्वविद्यालय (50 करोड़ रुपए) और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (2 करोड़ रुपए) में कॉमन वेल्थ खेल 2010 के लिए प्रतियोगिता स्थान और प्रशिक्षण स्थान का विकास एवं उन्नयन/पुनरुद्धार (iii) अखिल भारतीय कॉमन वेल्थ खेल 2010 संघ के तहत लॉन टेनिस के लिए आर.के. खन्ना	(a) For meeting additional requirement for (i) Sports Authority of India/CPWD for Commonwealth Games, 2010 (Rs. 105 crore), (ii) development and upgradation/renovation of competition venues and training venues for Commonwealth Games, 2010 at Delhi University (Rs.50 crore) and Jamia Millia Islamia University (Rs. 2 crore), (iii) upgradation/renovation of R.K. Khanna Stadium for Lawn Tennis under All India Association			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
स्टेडियम का उन्नयन/पुनरुद्धार (10 करोड़ रुपए) और (iv) राष्ट्रीय खेल विकास निधि योजना के तहत (40.76 करोड़ रुपए)।	for Commonwealth Games, 2010 (Rs.10 crore), and (iv) under the scheme of 'National Sports Development Funds' (Rs. 40.76 crore).	207.76	-	207.76
(ख) निम्नलिखित को सहायता अनुदान के लिए (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (13.24 करोड़ रुपए) (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (0.25 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण (1.74 करोड़ रुपए) और (iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (0.25 करोड़ रुपए)।	(b) For Grants-in-aid to (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (Rs. 13.24 crore), (ii) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (Rs. 0.25 crore), (iii) Sports Authority of India (Rs. 1.74 crore), and (iv) Laxmibai National Institute of Physical Education (Rs.0.25 crore).	-	15.48	15.48
(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	(c) For meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.	-	0.59	0.59
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.70	0.46	1.16
कुल जोड़	GRAND TOTAL	5,070.13	4,66,648.40	4,71,718.53
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	542.57	10,222.91	10,765.48
तकनीकी पूरक अनुदान	Technical Supplementary	4,526.86	4,56,425.03	4,60,951.89
सांकेतिक पूरक अनुदान	Token Supplementary	0.70	0.46	1.16

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.03	...	0.03	
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	89.21	...	89.21	
3. पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.03	...	0.03	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
6. रसायन और पेट्रोसायन विभाग	स्वीकृत	6. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	0.01	...	0.01	
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	206.99	...	206.99	
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted	194.42	...	194.42	
11. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	भारित स्वीकृत	11. Department of Industrial Policy and Promotion	Charged Voted	0.45 0.02	0.45 0.02	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
12. डाक विभाग	भारित स्वीकृत	12. Department of Posts	Charged Voted	0.13 784.61	0.59 ...	0.72 784.61	
13. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13. Department of Telecommunications	Voted	...	507.92	507.92	
14. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	14. Department of Information Technology	Voted	0.02	...	0.02	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	15. Department of Consumer Affairs	Voted	148.43	...	148.43	
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	भारित स्वीकृत	16. Department of Food and Public Distribution	Charged Voted	0.68 0.03	... 160.51	0.68 160.54	
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01	...	0.01	
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18. संस्कृति मंत्रालय		18. Ministry of Culture	Voted	11.94	0.01	11.95	
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
19. रक्षा मंत्रालय	भारित स्वीकृत	19. Ministry of Defence	Charged Voted	... 251.86	1.66 0.03	1.66 251.89	

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
21.	रक्षा सेवा-थल सेना	भारित	21. Defence Services - Army	Charged	0.65	...	0.65
		स्वीकृत		Voted	5895.75	...	5895.75
22.	रक्षा सेवा-नौसेना	भारित	22. Defence Services - Navy	Charged	0.26	...	0.26
23.	रक्षा सेवा-वायु सेना	स्वीकृत	23. Defence Services - Air Force	Voted	224.60	...	224.60
24.	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	स्वीकृत	24. Defence Ordnance Factories	Voted	1615.76	...	1615.76
25.	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	स्वीकृत	25. Defence Services - Research and Development	Voted	201.64	...	201.64
26.	रक्षा सेवाएं पर पूंजी परिव्यय	भारित	26. Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	2.06	2.06
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.01	60.00	60.01
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
28.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Earth Sciences	Voted	26.75	...	26.75
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	भारित	29. Ministry of Environment and Forests	Charged	1.50	...	1.50
		स्वीकृत		Voted	0.06	...	0.06
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
30.	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of External Affairs	Voted	342.39	794.92	1137.31
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
31.	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	31. Department of Economic Affairs	Voted	149.62	376.61	526.23
32.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत	32. Payments to Financial Institutions	Voted	3143.09	656.90	3799.99
33.	वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	33. Department of Financial Services	Voted	8.41	...	8.41
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	भारित	35. Transfers to State and Union Territory Governments	Charged	...	1161.50	1161.50
		स्वीकृत		Voted	2917.10	...	2917.10
37.	विनियोग-ऋण की अदायगी	भारित	37. Appropriation - Repayment of Debt	Charged	...	433970.64	433970.64
38.	व्यय विभाग	स्वीकृत	38. Department of Expenditure	Voted	9.92	...	9.92
39.	पेंशन	भारित	39. Pensions	Charged	28.22	...	28.22
		स्वीकृत		Voted	585.17	...	585.17
40.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	भारित	40. Indian Audit and Accounts Department	Charged	7.51	...	7.51
		स्वीकृत		Voted	265.28	0.29	265.57
41.	राजस्व विभाग	स्वीकृत	41. Department of Revenue	Voted	483.48	...	483.48
42.	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	42. Direct Taxes	Voted	251.58	...	251.58
43.	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	43. Indirect Taxes	Voted	506.91	...	506.91
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	8.79	0.01	8.80
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	47. Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02	...	0.02
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	48. Department of Health Research	Voted	35.19	...	35.19

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
49.	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	49. Department of Heavy Industry	Voted	864.07	56.51	920.58
50.	सरकारी उद्यम विभाग	स्वीकृत	50. Department of Public Enterprises	Voted	1.21	...	1.21
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
51.	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	51. Ministry of Home Affairs	Voted	0.02	...	0.02
53.	पुलिस	स्वीकृत	53. Police	Voted	74.10	...	74.10
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	54. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	354.20	...	354.20
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	स्वीकृत	55. Transfers to Union Territory Governments	Voted	0.01	...	0.01
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	11.58	...	11.58
58.	उच्च शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.08	...	0.08
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.03	...	0.03
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	148.62	2.50	151.12
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61.	निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	61. Election Commission	Voted	1.96	...	1.96
62.	विधि और न्याय	स्वीकृत	62. Law and Justice	Voted	0.02	...	0.02
63.	विनियोग- भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	63. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	8.32	...	8.32
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
65.	खान मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Mines	Voted	26.61	...	26.61
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.03	...	0.03
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS					
68.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Overseas Indian Affairs	Voted	0.02	...	0.02
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
69.	पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01	...	0.01

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS				
71. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	71. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged	0.18	...	0.18
भारित स्वीकृत		Voted	...	0.01	0.01
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS				
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	10000.00	242.47	10242.47
स्वीकृत					
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER				
74. विद्युत मंत्रालय	74. Ministry of Power	Voted	2.05	0.01	2.06
स्वीकृत					
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT				
75. विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते	75. Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President	Charged	0.01	...	0.01
भारित					
76. लोकसभा	76. Lok Sabha	Charged	0.20	...	0.20
भारित					
77. राज्यसभा	77. Rajya Sabha	Charged	0.35	...	0.35
भारित					
स्वीकृत		Voted	7.58	...	7.58
78. विनियोग - संघ लोक सेवा आयोग	78. Appropriation - Union Public Service Commission	Charged	6.34	...	6.34
भारित					
79. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	79. Secretariat of the Vice-President	Voted	0.06	...	0.06
स्वीकृत					
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT				
80. ग्रामीण विकास विभाग	80. Department of Rural Development	Voted	0.04	...	0.04
स्वीकृत					
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY				
83. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	83. Department of Science and Technology	Voted	0.02	0.01	0.03
स्वीकृत					
84. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	84. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	114.91	...	114.91
स्वीकृत					
85. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	85. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01
स्वीकृत					
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS				
86. नौवहन विभाग	86. Department of Shipping	Voted	0.04	0.02	0.06
स्वीकृत					
87. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	87. Department of Road Transport and Highways	Charged	0.30	3.84	4.14
भारित					
स्वीकृत		Voted	454.28	49.50	503.78
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT				
88. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	88. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	3.30	9.00	12.30
स्वीकृत					
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION				
90. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	90. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01
स्वीकृत					

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
91. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Steel	Voted	400.20	252.05	652.25	
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
92. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Textiles	Voted	955.24	107.43	1062.67	
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
93. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Tourism	Voted	0.01	12.00	12.01	
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
94. जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित	94. Ministry of Tribal Affairs	Charged	0.01	...	0.01	
	स्वीकृत		Voted	0.01	...	0.01	
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
संघ राज्य क्षेत्र		UNION TERRITORIES (WITHOUT					
(विधान-मंडल रहित)		LEGISLATURE)					
95. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	95. Andaman and Nicobar Islands	Voted	243.98	183.95	427.93	
96. चंडीगढ़	भारित	96. Chandigarh	Charged	8.57	...	8.57	
	स्वीकृत		Voted	130.42	165.51	295.93	
97. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	97. Dadra and Nagar Haveli	Voted	361.06	4.00	365.06	
98. दमन और दीव	स्वीकृत	98. Daman and Diu	Voted	141.72	8.20	149.92	
99. लक्षद्वीप	स्वीकृत	99. Lakshwadweep	Voted	103.01	0.57	103.58	
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
100. शहरी विकास विभाग	भारित	100. Department of Urban Development	Charged	9.85	...	9.85	
	स्वीकृत		Voted	0.01	49.12	49.13	
101. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	101. Public Works	Voted	8.41	...	8.41	
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
103. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	103. Ministry of Water Resources	Voted	0.01	...	0.01	
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
104. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	...	0.02	
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
105. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.03	36.50	36.53	
कुल जोड़		GRAND TOTAL		32841.68	438876.85	471718.53	
	भारित		Charged	73.53	435140.29	435213.82	
	स्वीकृत		Voted	32768.15	3736.56	36504.71	
अनुबंध		ANNEXURE					

मांग संख्या DEMAND NO.1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिए)।
(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	...	188.80
	स्वीकृत	Voted:	10455.20	90.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	280.39	65.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10735.62	344.93	11080.55
	भारित	Charged:	...	188.80
	स्वीकृत	Voted:	10735.62	156.13

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-फसल कार्य	2401-Crop Husbandry	Voted:	0.01 (का)	...
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	...
2435-अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes	Voted:	0.01 (गc)	...
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	...

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (0.10 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय बाँस मिशन (20 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान।
- (ख) राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपए)।
- (ग) बाजार अवसंरचना विकास, ग्रेड निर्धारण और मानकीकरण (20 करोड़ रुपए) और ग्रामीण गोदामों का निर्माण (10 करोड़ रुपए) के तहत सहायता अनुदान।

- (a) Grants-in-aid for National Institute of Plant Health Management (Rs. 0.10 crore) and National Bamboo Mission (Rs. 20 crore).
- (b) Grants-in-aid under National Bamboo Mission (Rs.20 crore).
- (c) Grants-in-aid under Development of Market Infrastructure, Grading and Standardization (Rs. 20 crore) and Construction of Rural Godowns (Rs. 10 crore).

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)।
(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	2680.00	...	2680.00
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	213.44	...	213.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	89.21	...	89.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	Voted:	2982.65	...	2982.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2415-कृषि अनुसंधान		2415- Agricultural Research				
तथा शिक्षा	स्वीकृत	and Education	Voted:	22.64 (का)	65.94(खb)	88.58
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3451-सचिवालय - आर्थिक		3451- Secretariat - Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	0.62 (घd)	0.62
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	22.65	66.56	89.21

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2415- Agricultural Research and Education	(-)22.64	...	(-)22.64

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों है:

- (क) (i) कृषि शिक्षा योजना के तहत महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, महाराष्ट्र को सहायता अनुदान (22.64 करोड़ रुपए); और
- (ii) कृषि विस्तार के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) (4.00 करोड़ रुपए) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन जिसमें कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, कृषि स्थापना तथा प्रचार निदेशालय और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रबन्धन (11.50 करोड़ रुपए), केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण संस्थान (1.00 करोड़ रुपए) शामिल है, को सहायता अनुदान।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid to Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth (MPKV), Rahuri, Maharashtra under the scheme Agricultural Education (Rs. 22.64 crore); and
- (ii) Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for meeting additional expenditure under Agricultural Extension (Rs. 4.00 crore), ICAR Hqrs. Admn. including Agricultural Scientists Recruitment Board, Directorate of Information & Publication in Agriculture and Intellectual Property Rights Management (Rs. 11.50 crore), Central Soil & Water Conservation Institute (Rs. 1.00 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 16.50 करोड़ रुपए की बचतों और भारत के लोक लेखे में सामाजिक तथा ढांचागत विकास निधि से पूर्ति की गयी 22.64 करोड़ रुपए की राशि को ध्यान में रखने के बाद इसमें कोई निवल नगद व्यय नहीं होगा।

(ख) फसल विज्ञान (1.18 करोड़ रुपए), बागवानी (0.61 करोड़ रुपए), डीआईपीए, आईपीआर प्रबन्धन (67.53 करोड़ रुपए), कृषि विस्तार (0.04 करोड़ रुपए), कृषि शिक्षा (0.01 करोड़ रुपए), आर्थिक सांख्यिकी और प्रबन्धन (0.03 करोड़ रुपए), कृषि इंजीनियरिंग (0.67 करोड़ रुपए), केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, (0.16 करोड़ रुपए), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संस्थान जिसमें कृषि वानिकी अनुसंधान (0.17 करोड़ रुपए), पशुपालन (2.62 करोड़ रुपए) और मात्स्यिकी (0.05 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत 73.07 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय पूर्ति हेतु आईसीएआर को सहायता अनुदान।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 7.13 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें 65.94 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

(ग) कृषि विस्तार (10.00 करोड़ रुपए), कृषि शिक्षा (30.00 करोड़ रुपए) और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं - कृषि शिक्षा (4.00 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(घ) सचिवालय के प्रशासनिक खर्च के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।

Taking into account the savings of Rs. 16.50 crore available in the same section of the Grant and also a sum of Rs. 22.64 crore met from the Social and Infrastructure Development Fund in the Public Account of India, there will be no net cash outgo.

(b) Grants-in-aid to ICAR for meeting additional expenditure under Crop Science (Rs. 1.18 crore), Horticulture (Rs. 0.61 crore), ICAR Headquarters Admn. including ASRB & DIPA, IPR Management (Rs. 67.53 crore), Agricultural Extension (Rs. 0.04 crore), Agricultural Education (Rs. 0.01 crore), Economic Statistics and Management (Rs. 0.03 crore), Agricultural Engineering (Rs. 0.67 crore), Central Soil & Water Conservation Research Institute (Rs. 0.16 crore), Other Natural Resource Management Institutes including Agro-Forestry Research (Rs. 0.17 crore), Animal Husbandry (Rs. 2.62 crore) and Fisheries (Rs. 0.05 crore), amounting to Rs. 73.07 crore.

As savings of Rs. 7.13 crore are available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs. 65.94 crore.

(c) Grants-in-aid to ICAR for meeting additional expenditure under Agricultural Extension (Rs. 10.00 crore), Agricultural Education (Rs. 30.00 crore) and Externally Aided Projects/ Schemes- Agricultural Education (Rs. 4.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) To meet additional requirements under administrative expenses of the Secretariat. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशुपालन, डेयरी (कार्य) एवं मात्स्यिकी विभाग
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4-5 देखिए)।

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 4-5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1357.97	16.00
				1373.97
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.43	...
	स्वीकृत	Voted:	24.66	0.01
				24.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...
				0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1383.09	16.01	1399.10
	भारित	Charged:	0.43	...
	स्वीकृत	Voted:	1382.66	16.01
				1398.67

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशुपालन	स्वीकृत	2403- Animal Husbandry	Voted:	0.01 (क) ...
2404-डेयरी विकास	स्वीकृत	2404- Dairy Development	Voted:	0.01 (ख) ...
2405-मात्स्यिकी	स्वीकृत	2405- Fisheries	Voted:	... 0.01 (ग) ...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02 0.01 0.03

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत के चालू कार्यालय भवन के निर्माण हेतु "पशु सेवा एवं पशु स्वास्थ्य" योजना के तहत सहायता अनुदान (0.68 करोड़ रुपए)।

(a) Grants-in-aid to Uttar Pradesh State Industrial Corporation under the scheme "Veterinary Services and Animal Health" for construction of ongoing Office Building of National Institute of Animal Health, Baghpat (Rs. 0.68 crore).

(ख) कार्यान्वयनकारी एजेंसी अर्थात् "गहन डेयरी विकास कार्यक्रम" योजना के तहत दुग्ध उत्पादन एवं अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन में वृद्धि करने वाले विभिन्न दुग्ध युनियनों/संघों को सहायता अनुदान (2.50 करोड़ रुपए)।

(b) Grants-in-aid to the implementing agency i.e. various milk unions/federations for increasing milk production and generation of additional employment opportunities under the scheme "Intensive Dairy Development Programme" (Rs. 2.50 crore).

(ग) मछुआरों को "पाकिस्तान द्वारा जब्त मत्स्य पोतों के स्थानापन्न सम्बन्धी पैकेज" योजना के तहत सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपए)।

(c) Grants-in-aid to fishermen under the scheme "Package for Replacement of Fishing Vessels seized by Pakistan" (Rs. 1 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 6

रसायन तथा पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)।

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत Voted:	296.80	50.20	347.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत Voted:	7.11	...	7.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)Voted:	303.92	50.20	354.12

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852-Industries	Voted: 0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (6.15 करोड़ रुपए) और इंडिया ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2.00 करोड़ रुपए) को अपनी सहायक कम्पनियों क्रमशः कर्नाटक एंटीबायोटिक्स तथा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और राजस्थान ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को आगे अपनी इक्विटी निवेशों हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary is sought for grants to Hindustan Antibiotic Limited (Rs.6.15 crore) and Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (Rs.2.00 crore) for further equity investment in their subsidiary companies Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited and Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited respectively. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 8
नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।
(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 11 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	476.06	171.98	648.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	10.14	...	10.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	206.99	...	206.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	693.19	171.98	865.17

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-	3451-Secretariat-			
आर्थिक सेवाएं	Economic Services	Voted:	...	2.05 (क)
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	Voted:	...	204.87 (ख)
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services	Voted:	...	0.07 (ग)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	206.99

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

(क) अन्य सचिवालय व्यय (1.05 करोड़ रुपए) और विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ईआरए) की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (1.00 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

(ख) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लि. को हज चार्टरों के प्रचालन (201.65 करोड़ रुपए) और महानिदेशक, नागर विमानन का स्थापना संबंधी व्यय (0.20 करोड़ रुपए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (0.07 करोड़ रुपए) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (2.95 करोड़ रुपए) का भुगतान। चूंकि 9.13 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, अतः 195.74 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए निवल नकद व्यय होगा।

(ग) अन्य सचिवालय व्यय संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for :

(a) Other Secretariat Expenditure (Rs.1.05 crore) and establishment expenditure of Airports Economic Regulatory Authority (AERA) (Rs. 1.00 crore). This will entail net cash outgo.

(b) Payment to National Aviation Company of India Ltd. towards operation of Haj Charters (Rs. 201.65 crore) and establishment expenditure of Director General of Civil Aviation (Rs.0.20 crore), Bureau of Civil Aviation Security (Rs. 0.07 crore) and Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (Rs. 2.95 crore). As an amount of Rs. 9.13 crore will be met from savings in the Capital Section of the Grant, the balance of Rs. 195.74 crore will entail net cash outgo.

(c) For meeting expenditure on account of Other Secretariat Expenditure. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10, वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 13 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09 and page 6 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत	Voted:	2823.74	711.00	3534.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	1317.35	0.01	1317.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	194.42	...	194.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4336.02	711.01	5047.03	
	भारित	Charged:	0.51	...	0.51
	स्वीकृत	Voted:	4335.51	711.01	5046.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2407-वृक्षारोपण	स्वीकृत	2407- Plantations	Voted:	0.01 (का)	6.92 (खb)	6.93
3453-विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	स्वीकृत	3453- Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	0.01 (गक)	187.48 (घd)	187.49
जोड़ (परक)		Total (Supplementary)		0.02	194.40	194.42

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए माँगा गया है:

The supplementary grant is sought for:

(क) (i) चाय संवर्धन विकास योजना/विशेष प्रयोजन चाय निधि योजना के लिए चाय बोर्ड को सब्सिडी का भुगतान (8 करोड़ रुपए), (ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कॉफी बोर्ड में पेंशनभोगियों को सहायता अनुदान (13 करोड़ रुपए) और (iii) इलायची के पुनः वृक्षारोपण और सुधार के लिए मसाला बोर्ड को अतिरिक्त सब्सिडी का भुगतान (3 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(a) (i) payment of subsidy to Tea Board for Tea Promotion Development Scheme/Special Purpose Tea Fund Scheme (Rs.8 crore), (ii) grants-in-aid towards payment of pension in the Coffee Board on implementation of Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.13 crore) and (iii) payment of additional subsidy to Spices Board for replantation and rejuvenation of Cardamom Plantations (Rs.3 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर चाय बोर्ड (3.11 करोड़ रुपए), रबड़ बोर्ड (3 करोड़ रुपए) और मसाला बोर्ड (1 करोड़ रुपए) को वेतन और पेंशन सहायता संबंधी सहायता अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के उसी भाग में 0.19 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग करने के बाद, इसमें 6.92 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(b) meeting additional expenditure on grants-in-aid on account of Salaries and Pensions assistance to the Tea Board (Rs.3.11 crore), Rubber Board (Rs.3 crore) and Spices Board (Rs.1 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. After utilizing the savings of Rs.0.19 crore available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs.6.92 crore.

(ग) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को परिवहन सहायता योजना के तहत निर्यातकों के दावों का भुगतान (12.52 करोड़ रुपए) और (ii) बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन के निर्माण हेतु भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान (0.75 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(घ) निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण प्रदान करने के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को 2% ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु (200 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूँजी भाग से 98.01 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित किए जाने और फिर अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 12.52 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग करने पर इसमें 89.47 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(c) payment of claims of the exporters under Transport Assistance Scheme to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Rs.12.52 crore) and (ii) grants-in-aid to Indian Institute of Plantation Management for construction of hostel building for girls (Rs.0.75 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) for providing 2% interest subvention to Scheduled Commercial Banks in respect of rupee export credit to the exporters (Rs.200 crore). As an amount of Rs.98.01 crore will be surrendered from the Capital Section of the Grant, and further utilizing savings of Rs.12.52 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs.89.47 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.11

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।
(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 15 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	673.45	50.00	723.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	27.89	...	27.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	0.45	...	0.45
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	701.81	50.00	751.81
भारित	Charged:	0.45	...	0.45
स्वीकृत	Voted:	701.36	50.00	751.36

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	Voted:	...	0.01 (का)
2885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	Charged:	0.45 (खब)	...
भारित		Voted:	0.01 (गक)	...
स्वीकृत				0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.46	0.01	0.47
भारित		Charged:	0.45	...
स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (क) निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में: (i) भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (10 करोड़ रुपए) को तमिलनाडु में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स उन्नयन हेतु; (ii) राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद को (1.50 करोड़ रुपए); (iii) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (4.50 करोड़ रुपए); और (iv) तथा लुग्दी एवं कागज अनुप्रयुक्त उद्योग विकास परिषद (0.46 करोड़ रुपए) को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ख) उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में निवेश सब्सिडी के (पुरानी) तहत भुगतान हेतु (0.45 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (a) Towards providing additional grants-in-aid to (i) Indian Leather Development Programme (Rs.10 crore) for upgradation of Common Effluent Treatment Plants in Tamil Nadu (ii) National Council for Cement and Building Material (Rs.1.50 crore) (iii) Central Manufacturing Technology Institute (Rs.4.50 crore); and (iv) Development Council for Pulp and Paper Allied Industries (Rs.0.46 crore) for meeting the additional expenditure on salaries on implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government. As equivalent savings are available within the revenue section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) For making payment under Investment Subsidy (Old) in pursuance of Supreme Court Judgment (Rs.0.45 crore). As savings are available in Voted section of the grant, a technical supplementary is sought.

- (ग) 'विकास केन्द्र' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (11 करोड़ रुपए) तथा विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड को विशेष श्रेणी राज्य पैकेज के तहत अतिरिक्त निधियां जारी करने हेतु (10 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (c) For meeting additional expenditure under the scheme 'Growth Centre' (Rs.11 crore) and releasing additional funds to Special Category States viz. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand under Package for Special Category States (Rs.10 crore). As savings are available within the revenue section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)।
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 16 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.24	...	0.24
	स्वीकृत	Voted:	7562.16	426.61	7988.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	1945.25	...	1945.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.13	0.59	0.72
	स्वीकृत	Voted:	784.61	...	784.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10292.39	427.20	10719.59	
	भारित	Charged:	0.37	0.59	0.96
	स्वीकृत	Voted:	10292.02	426.61	10718.63

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों/विनियोग के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3201-डाक सेवा	भारित	3201-Postal Services	Charged:	...	0.13 (का)	0.13
	स्वीकृत		Voted:	...	784.61 (खb)	784.61
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5201-डाक सेवाओं पर		5201-Capital Outlay on				
परिव्यय	भारित	Postal Services	Charged:	0.59 (गc)	...	0.59
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		0.59	784.74	785.33
	भारित		Charged:	0.59	0.13	0.72
	स्वीकृत		Voted:	...	784.61	784.61
टिप्पणी: उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।						
Note: The above estimates do not include the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.						
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3201-डाक सेवाएं		3201-Postal Services		...	(-)56.65	(-)56.65

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगा गया है:

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (क) सामान्य प्रशासन और डाक संचालन के अंतर्गत न्यायालय डिक्रियों की वजह से होने वाले भुगतान की पूर्ति हेतु (0.13 करोड़ रुपए); इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (ii) ग्रामीण डाक सेवा समिति पर रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मुख्य रूप से वेतनों (234.87 करोड़ रुपए) और पेंशनों (462.30 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय और अन्य परिचालन संबंधी

- (a) for meeting payment arising out of court decrees under General Administration and Postal Operation (Rs. 0.13 crore). This entails cash outgo;
- (b) for meeting additional expenditure, mainly, on account of salaries (Rs.234.87 crore), pensions (Rs.462.30 crore) on implementation of the recommendations of the (i) Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government

व्यय (87.44 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। 56.65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूलियों को देखते हुए इस पूरक अनुदान में 727.96 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

- (ग) न्यायालय डिक्रियों के परिणामस्वरूप डाकघरों, प्रशासनिक कार्यालयों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण संबंधी 0.59 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) 'Grameen Dak Seva' Committee report and other operational expenses (Rs.87.44 crore). After taking into account the additional recoveries of Rs.56.65 crore, this supplementary entails cash outgo of Rs.727.96 crore.

- (c) for meeting additional expenditure of Rs.0.59 crore arising out of court decrees in construction of Post Offices, Administrative Offices and Staff Quarters. As matching savings are available in the Capital voted section of the grant, this supplementary will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.13

दूरसंचार विभाग
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)।
(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	5939.25	200.75	6140.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.07	...	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	...	507.92	507.92
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5939.32	708.67	6647.99	
	भारित	Charged:	0.07	...	0.07
	स्वीकृत	Voted:	5939.25	708.67	6647.92

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services				
	स्वीकृत	Voted:	345.24 (का)	...	345.24
6859-दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों हेतु ऋण	6859-Loans for Telecommunication and Electronic Industries				
	स्वीकृत	Voted:	...	125.00 (खb)	125.00
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas				
	स्वीकृत	Voted:	37.68 (गc)	...	37.68
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	382.92	125.00	507.92	
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	382.92	125.00	507.92

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गयी है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) और (ग) रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के लिए अतिरिक्त व्यय (345.24 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु तथा इसी प्रयोजनार्थ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक मुश्त प्रावधान बढ़ाने हेतु (37.68 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ख) मैसर्स इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को 31.3.2009 तक इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु (125 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(a)&(c) For meeting additional expenditure towards OFC based network for Defence Services (Rs.345.24 crore) and for augmentation of lumpsum provision towards North Eastern States (Rs.37.68 crore) for the same purpose.</p> <p>(b) For providing interest free loan to M/s. Indian Telephone Industries Limited towards payment of salaries to its employees upto 31.3.2009 (Rs.125 crore).</p> |
|--|--|

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए, इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account savings available in the Revenue Section of the Grant, which will be surrendered, this supplementary does not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 14

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।
(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 18 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1616.50	99.50	1716.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	100.00	...	100.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1716.52	99.50	1816.02	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत 2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852-Industries	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में स्वास्थ्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित योजनाएं (0.87 करोड़ रुपए), (ii) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (0.85 करोड़ रुपए) तथा (iii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (1.48 करोड़ रुपए) हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।
- (ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (i) उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (24 करोड़ रुपए) (ii) अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान सोसाइटी (3.50 करोड़ रुपए) और (iii) संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (2.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for:

- (a) (i) meeting additional expenditure for the schemes in North Eastern Region and Sikkim on Electronics in Health (Rs.0.87 crore), (ii) Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (Rs. 0.85 crore) and (iii) National Informatics Centre (Rs. 1.48 crore).
- (b) meeting additional expenditure on (i) Centre for Development of Advanced Computing (Rs. 24 crore), (ii) Society for Applied Microwave Electronic Engineering and Research (Rs. 3.50 crore) and (iii) Centre for Materials for Electronic Technology under Components and Material Development Programme (Rs. 2.50 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought, in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.15

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2008-2009 अनुदानों की पहली पूरक मांगों की पृष्ठ 19 देखिए)।
(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
स्वीकृत	Voted:	231.99	32.04	264.03		
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:					
स्वीकृत	Voted:	8.66	...	8.66		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:					
स्वीकृत	Voted:	148.43	...	148.43		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)					
स्वीकृत	Voted:	389.08	32.04	421.12		
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3456-नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत	3456-Civil Supplies	Voted:	0.01 (खब)	148.40 (गक)	148.41
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3475-Other General Economic Services	Voted:	0.01 (घद)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	148.40	148.43	

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ-हेतु परियोजनाओं और योजनाओं के प्रवधानों के संवर्धन और उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के तहत विज्ञापन और प्रचार संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3 करोड़ रुपए) है; और

(ख) उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के तहत विज्ञापन और प्रचार संबंधी अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (14.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गए हैं।

(ग) दालों के 198.96 करोड़ रुपए के आयात पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के संबंध में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि., (48.96 करोड़ रुपए), एमएमटीसी ली. (50 करोड़ रुपए), स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (50 करोड़ रुपए) तथा पीईसी लिमिटेड (50 करोड़ रुपए) का सब्सिडी। 50.56 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखने के बाद इसे अनुदान के राजस्व भाग से पूरा काया जाएगा और अनुदान के पूंजी भाग से 2.54 करोड़ रुपए की बचतों जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, इस पूरक अनुदान में 145.86 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर तोल एवं माप अवसंरचना के सुदृढीकरण हेतु केन्द्र स्तर पर मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु (5.40 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(a) Augmentation of provisions meant for projects and schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim for additional expenditure on Advertising and Publicity (Rs.3 crore) under Consumer Protection Cell; and

(b) To meet the requirements of additional expenditure on Advertising and Publicity (Rs. 14.50 crore) under Consumer Protection Cell.

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

(c) Subsidy to National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd.(Rs.48.96 crore), MMTC Ltd. (Rs.50 crore), State Trading Corporation of India Ltd. (Rs.50 crore) and PEC Ltd. (Rs.50 crore) on account of reimbursement of losses on import of pulses amounting to Rs. 198.96 crore. After taking into account savings of Rs.50.56 crore which will be met from within the Revenue Section of the Grant and savings of Rs.2.54 crore from the Capital Section of the Grant which will be surrendered, the supplementary Grant will entail a net cash outgo of Rs. 145.86 crore.

(d) Procurement of machinery and equipments (Rs.5.40 crore) centrally, for strengthening of Weights and Measures Infrastructure at States/Union Territories level. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 16

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16, केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09 and page 7 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	33735.55	375.45	34111.00
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	1.64	...	1.64
	स्वीकृत	Voted:	11609.45	...	11609.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.68	...	0.68
	स्वीकृत	Voted:	0.03	160.51	160.54
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		45347.35	535.96	45883.31
	भारित	Charged:	2.32	...	2.32
	स्वीकृत	Voted:	45345.03	535.96	45880.99

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार	2408-Food, Storage and Warehousing	Voted :	...	0.01 (का)	0.01
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.01 (खब)	0.01
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	Charged :	...	0.68 (गं)	0.68
		Voted :	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section		...	0.71	0.71
	भारित	Charged :	...	0.68	0.68
	स्वीकृत	Voted :	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted:	9.55 (ङे)	...	9.55
6860-उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	Voted :	...	150.96 (चं)	150.96
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted :	9.55	150.96	160.51
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		9.55	151.67	161.22
	भारित	Charged :	...	0.68	0.68
	स्वीकृत	Voted :	9.55	150.99	160.54

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में वे वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note : The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों	6860-Loans for Consumer			
हेतु ऋण	Industries	...	(-)150.96	(-)150.96

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्योगों हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) खाद्यान्नों की विकेन्द्रित अधिप्राप्ति पर राज्य सरकारों को सब्सिडी (460.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p> <p>(ख) सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क बिलों आदि के सम्बन्ध में भुगतान हेतु व्यावसायिक सेवाओं की अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.05 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।</p> <p>(ग) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार गठित केन्द्रीय सतर्कता समिति पर अतिरिक्त व्यय (0.68 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(घ) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को सरकारी लेखे में अपने व्यापार प्रचालन में वित्तीय वर्ष 2001-02 के सरकारी लेखे पर खाद्य तेल प्रचालन पर घाटे का भुगतान करने हेतु हानियों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए (0.18 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p> <p>(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एफसीआई द्वारा भण्डारण सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (10.45 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 0.90 करोड़ रुपए की बचतों और अनुदान के राजस्व (स्वीकृत भाग) में उपलब्ध बचतों (9.55 करोड़ रुपए) जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(च) चीनी फैक्ट्रियों को (i) चीनी मिलों को पुनर्स्थापित/आधुनिकीकरण के लिए (30 करोड़ रुपए) (ii) खोई आधारित सहनिर्माण विद्युत परियोजना (106.96 करोड़ रुपए) और (iii) अल्कोहल से एनहाईड्रस अल्कोहल अथवा इथानोल अल्कोहल उत्पादन के लिए (30 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 16.00 करोड़ रुपए की बचतों और चीनी विकास निधि से प्राप्त वसूलियों से 150.96 करोड़ रुपए के व्यय को पूरा करने के पश्चात पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) Subsidy to State Governments on decentralized procurement of food grains (Rs. 460.00 crore). As Savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) For meeting additional expenditure of professional services for making payment in respect of fee bills etc. of the Government advocates (Rs. 0.05 crore). As Savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) For meeting additional expenses on Central Vigilance Committee constituted as per the direction of Supreme Court of India (Rs. 0.68 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue (Voted) Section of the Grant, there will be no cash outgo.</p> <p>(d) For providing Grants-in-Aid (Rs. 0.18 crore) towards reimbursement of losses to State Trading Corporation of India Ltd. (STC) in its Trading operation on Government Account for making payment for deficit on Edible Oil operation on Government Account for the financial year 2001-02. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(e) For meeting additional expenditure for construction of storage by FCI in North Eastern Areas (Rs. 10.45 crore). Taking into account savings of Rs. 0.90 crore available within the same Section of the Grant and savings of Rs. 9.55 crore available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, which will be surrendered, the supplementary will not entail cash outgo.</p> <p>(f) Additional loans to sugar factories for (i) Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills (Rs. 30.00 crore), (ii) bagasse based cogeneration power project (Rs. 106.96 crore) and (iii) production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol (Rs. 30.00 crore). After taking into account savings of Rs. 16.00 crore available in the same Section of the Grant and the expenditure of Rs. 150.96 crore matched by recoveries from the Sugar Development Fund, the supplementary will not entail cash outgo.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO.17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)।
 (See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 22 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:
स्वीकृत	Voted:	158.00	45.00	203.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	14.48	30.00	44.48
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	172.49	75.00	247.49

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान को विभिन्न प्रचालनात्मक खर्चों (2.70 करोड़ रुपए) के संबंध में सहायता अनुदान जारी करने हेतु व्यय की पूर्ति के लिए है। यह संस्थान कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी है।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is required for meeting expenditure for release of Grants-in-aid to Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), a society registered under the Societies Act, 1860 under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs, for various operational expenses (Rs.2.70 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.18

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)।
(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 23 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	978.68	46.32	1025.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	98.89	...	98.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	11.94	0.01	11.95
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1089.51	46.33	1135.84

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205- Art and Culture	Voted:	0.01 (का)	11.93 (खb)	11.94
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत	Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	11.93	11.94
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4202- Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	11.93	11.95

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजकों हेतु है:

- (क) (i) नेशनल म्यूजियम ऑफ परफोर्मिंग आर्ट्स के लिए संगीत नाटक अकादमी को भूमि प्राप्त करने, कथक केन्द्रों की भवन परियोजनाओं और मेघदूत थियेटर कम्प्लेक्स के पुनरुद्धार आदि के लिए सहायता अनुदान (9.34 करोड़ रुपए)।
- (ii) साहित्यिक उत्सव और कार्यक्रम के निष्पादन हेतु साहित्य अकादमी को सहायता अनुदान (3.90 करोड़ रुपए)।
- (iii) अकादमी के चालू पुनरुद्धार कार्य के कारण ललित कला अकादमी को सहायता अनुदान।
- (iv) सामग्री की बढ़ती लागत और अनियत कलाकार/थियेटर विशेषज्ञों की वेतन बढ़ोतरी के कारण राष्ट्रीय नाट्य स्कूल को सहायता अनुदान (2.30 करोड़ रुपए)।
- (v) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र को सहायता अनुदान (0.71 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) (i) Grant-in-aid to Sangeet Natak Akademi for acquiring land for National Museum of Performing Arts, building projects of Kathak Kendras and renovation of Meghdoot Theatre Complex etc. (Rs. 9.34 crore).
- (ii) Grant-in-aid to Sahitya Akademi for carrying out literary function and programme (Rs. 3.90 crore).
- (iii) Grant-in-aid to Lalit Kala Akademy on account of ongoing renovation work of the Akademy (Rs. 8.00 crore).
- (iv) Grant-in-aid to National School of Drama on account of rising cost of material and hike in salary of casual artist/ theatre experts (Rs.2.30 crore).
- (v) Grant-in-aid to Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.71 crore).

- (vi) अग्नि संरक्षण प्रणाली के संस्थापन हेतु भुगतान के कारण रामपुर राजा लाइब्रेरी को सहायता अनुदान (0.55 करोड़ रुपए)।
- (vii) पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा डा. सी. राजगोपालाचारी से सम्बन्धित विशेष प्रकाशन परियोजनाओं के लिए नेहरू मैमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को सहायता अनुदान, कनिष्ठ तथा वरिष्ठ फैलोशिप को वेतन, म्यूजिम का विकास तथा सीसीटीवी प्रणाली का संस्थापन आदि (5.00 करोड़ रुपए)।
- (viii) राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, मुम्बई में लार्ज फॉर्मेट फिल्म प्रोजेक्शन सिस्टम (एलएफएफपी) के संस्थापन हेतु राष्ट्रीय विज्ञान म्यूजियम परिषद को सहायता अनुदान; विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी म्यूजिम बंगलौर पर इलेक्ट्रो-टेक्निक गैलरी, वीआईटीएम पर पोपुलर साइंस गैलरी, कोलकाता का पुनरुद्धार तथा जिला विज्ञान केन्द्र दीघा में जुरासिक पार्क में भवनों का पुनरुद्धार (3.50 करोड़ रुपए)।
- (ix) फरवरी 2009 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोकनृत्य उत्सव (लोक तरंग) के आयोजन हेतु जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों को सहायता अनुदान (2.50 करोड़ रुपए)।
- (x) विभिन्न राज्यों में योजना की चालू परियोजनाओं की वचनबद्ध देयताओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु बहुदेशीय सांस्कृतिक परिसरों की योजना हेतु सहायता अनुदान (0.60 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (ख) (1) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सहायता अनुदान:
- (i) संगीत नाटक अकादमी (3.68 करोड़ रुपए)।
- (ii) साहित्य अकादमी (2.72 करोड़ रुपए)।
- (iii) ललित कला अकादमी (2.71 करोड़ रुपए)।
- (iv) राष्ट्रीय नाट्य स्कूल (1.43 करोड़ रुपए)।
- (v) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी (0.85 करोड़ रुपए)।
- (vi) केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह (1.25 करोड़ रुपए)।
- (vii) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (2.70 करोड़ रुपए)।
- (viii) सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र (0.18 करोड़ रुपए)।
- (ix) गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति, नई दिल्ली (1.60 करोड़ रुपए)।
- (x) नव नालन्दा, महावीर तथा हवेनन्सांग मेमोरियल हॉल (0.10 करोड़ रुपए)।
- (xi) कलाक्षेत्र, चेन्नई (0.70 करोड़ रुपए)।
- (xii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली (2.60 करोड़ रुपए)।
- (xiii) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता (1.10 करोड़ रुपए)।

- (vi) Grant-in-aid to Rampur Raja Library on account of making payment for installation of Fire Protection System (Rs.0.55 crore).
- (vii) Grant-in-aid to Nehru Memorial Museum and Library for undertaking the special publication projects on Pandit Jawahar Lal Nehru and Dr. C. Rajgopalachari, salary to junior and senior fellowship, development of museum and installation of CCTV system etc. (Rs.5.00 crore).
- (viii) Grant-in-aid to National Council of Science Museum for installation of Large Format Film Projections System (LFFP) at National Science Centre, Mumbai, renovation of Electro-Technique Gallery at Visvesvaraya Industrial and Technical Museum (VITM), Bangalore, Popular Science Gallery at VITM, Kolkata and renovation of buildings at Jurassic Park in District Science Centre, Digha (Rs. 3.50 crore).
- (ix) Grant-in-aid to Zonal Cultural Centres for organizing National Folk Dance Festival (Lok Tarang) scheduled to be held in the month of February 2009 (Rs.2.50 crore).
- (x) Grant-in-aid for the scheme Multipurpose Cultural Complexes (MPCC) to meet the additional expenditure on committed liabilities of ongoing projects of the scheme in various States (0.60 crore).

As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.

- (b) (1) Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:
- (i) Sangeet Natak Akademy (Rs. 3.68 crore) .
- (ii) Sahitya Akademy (Rs. 2.72 crore).
- (iii) Lalit Kala Akademy (Rs. 2.71 crore).
- (iv) National School of Drama (Rs. 1.43 crore).
- (v) Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi (Rs.0.85 crore).
- (vi) Central Institute of Buddhist Studies, Leh (Rs. 1.25 crore).
- (vii) The Asiatic Society, Kolkata (Rs. 2.70 crore).
- (viii) Centre for Cultural Resources and Training (Rs. 0.18 crore).
- (ix) Gandhi Samriti and Darshan Samiti, New Delhi (Rs. 1.60 crore).
- (x) Nav Nalanda Mahavira and Huen Tsang Memorial Hall (Rs. 0.10 crore).
- (xi) Kalakshetra, Chennai (Rs. 0.70 crore).
- (xii) Delhi Public Library, Delhi (Rs. 2.60 crore).
- (xiii) Raja Rammohan Roy Library Foundation, Kolkata (Rs. 1.10 crore).

- (xiv) खुदा बक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना (1.25 करोड़ रुपए)।
- (xv) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर (0.25 करोड़ रुपए)।
- (xvi) सलारजंग म्यूजियम (2.60 करोड़ रुपए)।
- (xvii) विक्टोरिया मैमोरियल हॉल, कोलकाता (1.45 करोड़ रुपए)।
- (xviii) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल (0.65 करोड़ रुपए)।
- (xix) इलाहाबाद म्यूजियम (0.65 करोड़ रुपए)।
- (xx) नेहरू मैमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी, नई दिल्ली (1.40 करोड़ रुपए)।
- (xxi) भारतीय म्यूजियम, कोलकाता (0.90 करोड़ रुपए)।
- (xxii) राष्ट्रीय विज्ञान म्यूजियम, कोलकाता (2.00 करोड़ रुपए)।
- (xxiii) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कनजरवेशन एंड म्यूसिओलॉजी (0.05 करोड़ रुपए)।

- (2) 'राष्ट्रीय मैमोरियल का रखरखाव' योजना के तहत फखरुद्दीन अली अहमद मैमोरियल कमेटी की आधारभूत निधि के लिए सहायता अनुदान (0.45 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 21.34 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें 11.93 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

- (ग) नई दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सामान्य पूल आफिस स्थान के निर्माण हेतु पूंजी भाग के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय अपेक्षित है (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (xiv) Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna (Rs. 1.25 crore).
- (xv) Rampur Raza Library, Rampur (Rs. 0.25 crore).
- (xvi) Salarjung Museum (Rs. 2.60 crore).
- (xvii) Victoria Memorial Hall, Kolkata (Rs. 1.45 crore).
- (xviii) Indira Gandhi Rastriya Manav Sangrahalaya, Bhopal (Rs. 0.65 crore).
- (xix) Allahabad Museum (Rs. 0.65 crore).
- (xx) Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (Rs. 1.40 crore).
- (xxi) Indian Museum, Kolkata (Rs. 0.90 crore).
- (xxii) National Council of Science Museum, Kolkata (Rs. 2.00 crore).
- (xxiii) National Museum Institute of History of Arts Conservation and Museology (Rs. 0.05 crore).

- (2) Grant-in-aid for the Corpus Fund of Fakhruddin Ali Ahmed Memorial Committee under the scheme 'Maintenance of National Memorials'(Rs. 0.45 crore).

As savings of Rs.21.34 crore are available within the same section of the grant, this will entail cash outgo of Rs. 11.93 crore.

- (c) Additional expenditure is required under Capital section for construction of General Pool office accommodation for Archaeological Survey of India in New Delhi (Rs.10.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.19

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)।
 (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 24 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.24	...	0.24
	स्वीकृत	Voted:	7756.97	1006.68	8763.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	354.39	9.81	364.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	...	1.66	1.66
	स्वीकृत	Voted:	251.86	0.03	251.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8363.46	1018.18	9381.64	
	भारित	Charged:	0.24	1.66	1.90
	स्वीकृत	Voted:	8363.22	1016.52	9379.74

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075- Miscellaneous General Services				
	स्वीकृत	Voted:	...	251.86 (का)	251.86
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4047- Capital Outlay on Other Fiscal Services	Charged:	...	1.66 (खब)	1.66
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059- Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01 (गक)	0.01
4853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4853- Capital Outlay on Non-Ferrous Mining & Metallurgical Industries	Voted:	...	0.01 (घद)	0.01
6853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों के लिए ऋण	6853- Loans for Non-Ferrous Mining & Metallurgical Industries	Voted:	...	0.01 (झे)	0.01
जोड़- पूंजी भाग	Total-Capital Section	Voted:	...	1.69	1.69
	भारित	Charged:	...	1.66	1.66
	स्वीकृत	Voted:	...	0.03	0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	253.55	253.55	
	भारित	Charged:	...	1.66	1.66
	स्वीकृत	Voted:	...	251.89	251.89

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

(क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) स्टोर्स की खरीद (239.21 करोड़ रुपए), (ii) निवल लाभ से सेवाओं के हिस्से का उच्च योगदान (22.40 करोड़ रुपए) और (iii) कैटीन स्टोर विभाग, जो विभाग द्वारा चलाया जाने वाला वाणिज्यिक उपक्रम है, द्वारा प्रयुक्त पूंजी पर ब्याज का भुगतान (6.13

The Supplementary Appropriation/Grant is sought for the following purposes:

(a) Towards meeting additional expenditure on account of (i) purchase of stores (Rs.239.21crore), (ii) higher contribution of Services' share from net profit (Rs.22.40 crore) and (iii) payment of interest on capital employed (Rs.6.13 crore) by Canteen Stores Department, a

करोड़ रुपए)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध 15.88 करोड़ रुपए की बचतों को देखते हुए 251.86 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान माँगा गया है। इस पूरक अनुदान के नकद व्यय नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रतिपूर्ति अतिरिक्त प्राप्तियों द्वारा की जाएगी;

- (ख) विशाखापट्टनम में तटरक्षक संगठन के विवाहित कर्मचारियों के आवास के निर्माण संबंधी न्यायालय डिक्री के निर्णय की अनुपालना में भुगतान (1.66 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं अतः तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ग) रक्षा लेखा विभाग के नए कार्यालय भवन के निर्माण (5.44 करोड़ रुपए) और नवनिर्मित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और इसकी शाखाओं के ढाँचागत विकास पर (13.90 करोड़ रुपए) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। चूंकि अनुदान के पूँजी भाग में पर्याप्त बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (घ) मिश्र धातु निगम लिमिटेड में इक्विटी के रूप में (9 करोड़ रुपए) निवेश और मशीन और उपकरणों के आधुनिकीकरण के जरिए क्षमता उपयोग को बढ़ाने हेतु ऋण (9 करोड़ रुपए) चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगे गए हैं।

departmentally-run commercial undertaking. Taking the savings of Rs. 15.88 crore available within Revenue section of the Grant, supplementary for the balance amount of Rs. 251.86 crore is sought. This supplementary does not entail cash outgo as the same is matched by additional receipts;

- (b) Payment in satisfaction of a Court decree in connection with construction of married accommodation of Coast Guard Organization at Vishakhapatnam (Rs. 1.66 crore). A technical supplementary is sought as equivalent savings are available in the voted section of the Grant;
- (c) Towards meeting additional expenditure on construction of new office accommodation for Defence Accounts Department (Rs. 5.44 crore) and on infrastructure development for newly set up of Armed Forces Tribunal and its branches (Rs. 13.90 crore). As sufficient savings are available within the capital section of the grant, a token supplementary is sought;
- (d) Towards investment in Mishra Dhatu Nigam Limited as equity (Rs. 9 crore) and loan (Rs. 9 crore) for enhancement of their capacity utilization through modernization of machinery and equipments. As matching savings are available within the capital section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.21

रक्षा सेवाएं - थल सेना
DEFENCE SERVICES - ARMY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)।
 (See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	16.48	...	16.48
	स्वीकृत	Voted:	37661.77	...	37661.77
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	6303.26	...	6303.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.65	...	0.65
	स्वीकृत	Voted:	5895.75	...	5895.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	49877.91	...	49877.91	
	भारित	Charged:	17.13	...	17.13
	स्वीकृत	Voted:	49860.78	...	49860.78

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं -	2076-Defence Services -			
थल सेना	Army	Charged:	...	0.65 (का)
	भारित	Voted:	...	5895.75 (खb)
	स्वीकृत			5895.75
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	5896.40	5896.40
		Charged:	...	0.65
		Voted:	...	5895.75

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं - थलसेना	2076-Defence Services - Army	...	(-)4.34	(-)4.34

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary appropriation/grant is sought for the following purposes:

- (क) न्यायालय डिक्रियों से होने वाले के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 0.65 करोड़ रुपए।
- (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए थल सेना के वेतन एवं भत्तों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु 5895.75 करोड़ रुपए।

- (a) Rs.0.65 crore to meet additional expenditure arising out of Court decrees.
- (b) Rs.5895.75 crore for meeting additional expenditure under pay and allowances of Army on account of implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान में उपलब्ध अतिरिक्त वसूलियां/प्राप्तियां और बचतें जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, को देखते हुए इस पूरक में 527.42 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

After taking into account the additional recoveries/receipts and savings available in the Capital Grant of Defence Services, which shall be surrendered, this Supplementary entails a cash outgo of Rs. 527.42 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.22

रक्षा सेवाएं - नौसेना
DEFENCE SERVICES - NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)।
(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.37	...	1.37
	स्वीकृत	Voted:	7501.68	...	7501.68
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	688.88	...	688.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.26	...	0.26
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8192.19	...	8192.19
	भारित	Charged:	1.63	...	1.63
	स्वीकृत	Voted:	8190.56	...	8190.56

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2077-रक्षा सेवाएं -		2077-Defence Services -			
नौसेना	भारित	Navy	Charged:	...	0.26
				0.26	0.26

0.26 करोड़ रुपए के इस पूरक विनियोग की आवश्यकता न्यायालय की डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध हैं, अतः इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation of Rs.0.26 crore is required to meet additional expenditure arising out of Court decree. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent savings are available in the voted section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO.23

रक्षा सेवाएं - वायुसेना
DEFENCE SERVICES - AIR FORCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।
 (See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	2.04	...	2.04
	स्वीकृत	Voted:	11286.82	...	11286.82
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	1120.79	...	1120.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Voted:	224.60	...	224.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12634.25	...	12634.25	
	भारित	Charged:	2.04	...	2.04
	स्वीकृत	Voted:	12632.21	...	12632.21

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2078-रक्षा सेवाएं -		2078-Defence Services -			
वायुसेना	स्वीकृत	Air Force	Voted:	...	224.60
				224.60	224.60

यह पूरक अनुदान छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वायु सेना के वेतन और भत्तों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा, क्योंकि समतुल्य राशि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से अभ्यर्पित की जाएगी।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure under pay and allowances of Air Force on account of implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

मांग संख्या DEMAND NO.24

रक्षा आयुध कारखाने

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)।
(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.00	1.00
	स्वीकृत	Voted:	1108.99	1108.99
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	100.00	100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	1615.76	1615.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2825.75	...	2825.75
	भारित	Charged:	1.00	1.00
	स्वीकृत	Voted:	2824.75	2824.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2079-रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	2079-Defence Services - Ordnance Factories			
	स्वीकृत	Voted:	...	1615.76
				1615.76

इस पूरक अनुदान की मांग छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और भत्तों के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय तथा टी-90 टैंकों के कारण भंडारों की पूर्ति हेतु की गयी है। चूंकी रक्षा सेवाओं के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure under pay and allowances on account of implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission and stores on account of T-90 Tanks. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

मांग संख्या DEMAND NO.25

रक्षा सेवाएँ - अनुसंधान तथा विकास

DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।
(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.64	...	0.64
	स्वीकृत	Voted:	3412.95	...	3412.95
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	259.65	...	259.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	201.64	...	201.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3874.88	...	3874.88
	भारित	Charged:	0.64	...	0.64
	स्वीकृत	Voted:	3874.24	...	3874.24

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2080-रक्षा सेवाएं -		2080- Defence Services -			
अनुसंधान तथा विकास	स्वीकृत	Research & Development	Voted: ...	201.64	201.64

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और भत्तों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है। चूंकि रक्षा सेवाओं के पूंजी अनुदान से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इस पूरक में कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required to meet additional expenditure towards pay and allowances on account of implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the Capital Grant of Defence Services.

मांग संख्या DEMAND NO. 26

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)।

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	...	30.90
	स्वीकृत	Voted:	...	47976.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	...	2.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	48009.06	48009.06
	भारित	Charged:	...	32.96
	स्वीकृत	Voted:	...	47976.10

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर	4076-Capital Outlay on			
पूंजी परिव्यय	Defence Services	Charged:	...	2.06

कोर्ट डिक्री की वजह से हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु इस पूरक विनियोग की मांग की गयी है। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is sought to meet additional expenditure arising out of Court decree. This supplementary does not entail cash outgo, as equivalent amount will be surrendered from the voted section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1327.50	143.50	1471.00
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1.90	...	1.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	60.00	60.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1329.41	203.50	1532.91

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी		4552- Capital Outlay on				
परिव्यय	स्वीकृत	North Eastern Areas	Voted:	60.00 (खb)	...	60.00
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	60.01	...	60.01

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।
Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय		4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	(-) 60.00	...	(-) 60.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

(क) एशियाई विकास बैंक की सहायता से चलाए जा रहे पूर्वोत्तर राज्य सड़क परियोजना प्रबन्धन एकक से संबद्ध स्थापना संबंधी व्यय (1.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि, अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) निम्नलिखित योजनाओं के व्यय के पूर्ति हेतु:

- अरुणाचल प्रदेश के तेजु में एक नए एयरपोर्ट का अवसंरचना विकास (10 करोड़ रुपए)
- अरुणाचल प्रदेश के खुप्पी से तवंग तक 132 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन (10 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- For meeting establishment related expenditure of the Asian Development Bank assisted North East State Road Project Management Unit (Rs. 1.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- For meeting the expenditure of the following schemes:
 - Infrastructure Development of a new airport at Teju in Arunachal Pradesh (Rs. 10 crore).
 - 132 KV single circuit transmission line from Khuppi to Tawang in Arunachal Pradesh (Rs. 10 crore).

- (iii) पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े जिलों में 200 पैदल यात्री वाले वायर रोप सस्पेंशन ब्रिजों का निर्माण (10 करोड़ रुपए)।
- (iv) ब्रु जनजाति के पुर्नस्थापना के लिए मिजोरम के पश्चिमी क्षेत्र का विकास (10 करोड़ रुपए)।
- (v) नागालैंड के मोन, टवेनसांग, किफिरे और लोगलेंग जिलों का विकास (5 करोड़ रुपए)।
- (vi) कर्बी अगल्लोंग और उत्तरी कचर जिला परिषद् में योजना (5 करोड़ रुपए)।
- (vii) थल सेवा द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं (10 करोड़ रुपए)।

- (iii) Construction of 200 Pedastrian type wire rope suspension bridges in backward districts of North Eastern States (Rs. 10 crore).
- (iv) Development of Western Belt of Mizoram for resettlement of Bru Tribals (Rs. 10 crore).
- (v) Development of Mon, Tuensang, Kiphire and Longleng districts of Nagaland (Rs. 5 crore).
- (vi) Scheme in Karbi Anglong and North Kachar District Councils (Rs. 5 crore).
- (vii) Schemes to be implemented in border areas by Army (Rs. 10 crore).

चूंकि उपरोक्त राशि की पूर्ति भारत के लोक लेखा में स्थित 'सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि' से की गई वसूलियों से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As above said amount will be matched by recoveries from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.28

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)।
 (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	548.02	424.88	972.90
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	49.76	0.01	49.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	26.75	...	26.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		624.63	424.89	1049.52
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	624.53	424.89	1049.42

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3403-समुद्र विज्ञान		3403-Oceanographic			
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	10.22 (का)	... 10.22
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific			
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	7.42 (खब)	1.29 (गक) 8.71
3455-मौसम विज्ञान		3455-Meteorology	Voted:	0.01 (घद)	7.81 (ङे) 7.82
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	17.65 9.10	26.75

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought for:

(क) निम्नलिखित को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना (i) प्रेक्षण नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए महासागर प्रेक्षण एवं सूचना प्रणाली (5 करोड़ रुपए); (ii) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई को महासागर गतिविधियों से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु (7.59 करोड़ रुपए); (iii) छह और नये केन्द्रों की भागीदारी के साथ समुद्र से औषधि की खोज (1 करोड़ रुपए); (iv) जागरूकता एवं प्रचार के लिए जलीय अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (0.50 करोड़ रुपए); (v) जलयान के प्रचालन तथा रख-रखाव हेतु 'सागर निधि' अनुसंधान पोत की अधिप्राप्ति एवं पोत का अनुरक्षण (8 करोड़ रुपए); (vi) वास्तविक समय आँकड़ा की प्राप्ति के लिए भारत के चारों ओर के समुद्र में डाटा बोया कार्यक्रम के प्रचालन एवं चालीस बोया नेटवर्क के अनुरक्षण हेतु (5 करोड़ रुपए); (vii) पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञानों में अनुसंधान और विकास (4 करोड़ रुपए); (viii) अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत और स्थाई स्टेशन 'मैत्री' के अनुरक्षण हेतु ध्रुव विज्ञान (16 करोड़ रुपए); (ix) विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए धातु विज्ञान हेतु बहुधात्विक ग्रंथिका कार्यक्रम (0.47 करोड़ रुपए); (x) विभिन्न समुद्री सजीव संसाधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय समुद्री सजीव संसाधन (0.74 करोड़ रुपए); तथा (xi) महासागर सूचना सेवा हेतु भारतीय

(a) providing grants-in-aid to meet additional expenditure for the following purposes: (i) Ocean Observation and Information System for strengthening observation network (Rs.5 crore); (ii) National Institute of Ocean Technology, Chennai for implementation of technology programme regarding ocean activities (Rs.7.59 crore); (iii) Drugs from Sea for exploration of drugs with participation of six more new centres (Rs.1 crore); (iv) Marine Research and Technology Development for awareness and publicity (Rs.0.50 crore); (v) Acquisition of Research Vessel 'Sagar Nidhi' for operation and maintenance of the vessel (Rs.8 crore); (vi) Data Buoy Programme for operating and maintenance of forty buoy network in the sea around India for acquisition of real time data (Rs.5 crore); (vii) Research and Development in Earth and Atmospheric Sciences (Rs.4 crore); (viii) Polar Science for launching of Antarctic expedition and maintenance of the permanent station 'Maitri' (Rs.16 crore); (ix) Polymetallic Nodules Programme for metallurgy to pursue various research and development projects (Rs.0.47 crore); (x) Central Marine Living Resources

राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा अन्तर्वस्तु प्रबन्धित वेबसाइट के विकास हेतु सूचना तकनीकी (1.45 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में 39.53 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग और पूंजी भाग से 10.22 करोड़ रुपए की अभ्यर्पित बचतें करने के बाद, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

for implementing various Marine Living Resources Programmes (Rs.0.74 crore) and (xi) Information Technology for development of contents managed website by Indian National Centre for Ocean Information Services (Rs.1.45 crore). After utilizing the savings of Rs.39.53 crore available within the same Section of the Grant and surrender of savings of Rs.10.22 crore from Capital Section, there will be no cash outgo.

(ख) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारतीय उष्णकटिबन्धीय प्रबन्धन संस्थान, पुणे को अल्पावधिक जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु विभिन्नता हेतु (6.57 करोड़ रुपए); तथा (ii) राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम भविष्यवाणी केन्द्र को लघु निर्माण कार्य हेतु (2 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 1.15 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग और 7.42 करोड़ रुपए की अभ्यर्पित बचतों को करने के बाद, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(b) providing (i) grants-in-aid to Indian Institute of Tropical Management, Pune for short term climate change and climate variations (Rs.6.57 crore) and (ii) National Centre for Medium Range Weather Forecasting for minor works (Rs.2 crore). After utilizing the savings of Rs.1.15 crore available within the same Section of the Grant and surrender of savings of Rs.7.42 crore from Capital Section, there will be no cash outgo.

(ग) भारतीय उष्णकटिबन्धीय प्रबन्धन संस्थान, पुणे को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (1.53 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में 0.24 करोड़ रुपए की बचतों का उपयोग और 1.29 करोड़ रुपए की अभ्यर्पित बचतों के बाद, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(c) meeting additional expenditure on grants-in-aid to Indian Institute of Tropical Management, Pune on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1.53 crore). After utilizing the savings of Rs.0.24 crore available within the same Section of the Grant and surrender of savings of Rs.1.29 crore from Capital Section, there will be no cash outgo.

(घ) भूकम्पनीयता और भूकम्प पूर्वगामी कार्यक्रमों में गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना (4 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(d) providing grants-in-aid for implementation of activities in Seismicity and Earthquake Precursors programmes (Rs.4 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ङ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (7.81 करोड़ रुपए)। चूंकि पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(e) meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.7.81 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.29

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।
(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 35 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1676.67	30.33	1707.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	27.03	0.70	27.73	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित	Charged:	1.50	...	1.50	
स्वीकृत	Voted:	0.06	...	0.06	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1705.26	31.03	1736.29	
भारित	Charged:	1.50	...	1.50	
स्वीकृत	Voted:	1703.76	31.03	1734.79	
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	स्वीकृत 2406-Forestry and Wild Life	Voted:	0.01 (का)	0.01(खb)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत 2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3435-पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	स्वीकृत 3435-Ecology and Environment	Voted:	0.01 (घd)	0.01(ङe)	0.02
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	भारित 3601-Grants-in-aid to State Governments	Charged:	1.50 (चf)	...	1.50
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1.54	0.02	1.56
	भारित	Charged:	1.50	...	1.50
	स्वीकृत	Voted:	0.04	0.02	0.06

ये पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क) (i) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.30 करोड़ रुपए), (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (23.28 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (0.55 करोड़ रुपए), (iv) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (1.87 करोड़ रुपए) और (i) भारतीय वन्य जीवन संस्थान (2.90 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ख) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन हेतु (1 करोड़ रुपए) और (ii) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (0.20 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ग) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) ग्रामों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अतिरिक्त आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण संवेदी बाघ आवास हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की योजना के

The supplementary grant/appropriation are sought for:

(a) Grants-in-aid to (i) Indian Institute of Forestry Mangment (Rs.0.30 crore), (ii) Indian Council of Forestry Research and Education (Rs.23.28 crore), (iii) Indian Plywood Industries Research Institute (Rs.0.55 crore), (iv) National Tiger Conservation Authority (Rs.1.87 crore) and (v) Wildlife Institute of India (Rs.2.90 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid to (i) Indian Council of Forestry Research and Education on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1 crore) and (ii) Indian Institute of Forestry Management (Rs.0.20 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Grants-in-aid (i) to Project Tiger for additional requirement of National Tiger Conservation Authority for rehabilitation of villages and for core critical tiger

अन्तर्गत सहायता अनुदान (10.80 करोड़ रुपए और (ii) अत्यधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्र की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय पार्क विकास और अभयारण्य एकीकृत विकास योजना के तहत (1.50 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (i) हिमालय अनुसन्धान एवं विकास (2.75 करोड़ रुपए), (ii) पर्यावरण प्राधिकरण एवं पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण की स्थापना (1.56 करोड़ रुपए), (iii) राष्ट्रीय समुद्र तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम (1.28 करोड़ रुपए), (iv) जोखिम पदार्थ प्रबन्धन (0.40 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान और (v) जीओआई-यूएनडीपी पर्यावरण सहायता कार्यक्रम (0.60 करोड़ रुपए) तथा (vi) गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम को सहायता अनुदान (22 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन एवं वेतन हेतु सहायता अनुदान सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (5.04 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(च) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में केरल और तमिलनाडु में हाथी कारिडार हेतु भूमि की अधिप्राप्ति के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपए)। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(छ) गांवों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की आतिरिक्त आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण संवेदी बाघ आवास हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को सहायता अनुदान (56 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

habitats (Rs.10.80 crore) and (ii) under the scheme of Assistance to Development of National Park and Sanctuaries/Integrated Development to meet the additional requirement of large number of protected areas (Rs.1.50 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) Grants-in-aid to (i) Himalayan Research and Development (Rs.2.75 crore), (ii) Establishment of Environment Authorities and Environment Commission and Tribunal (Rs.1.56 crore), (iii) National Coastal Management Programme (Rs.1.28 crore), (iv) Hazardous Substances Management (Rs.0.40 crore), (v) GOI-UNDP Environment Support Programme (Rs.0.60 crore) on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation as accepted by the Government and (vi) National River Conservation Programme for additional requirement of setting up of Ganga River Basin Authority (Rs.22 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) Grants-in-aid to Central Pollution Control Board on account of Salaries and Pensions on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.5.04 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(f) Grants-in-aid to Project Elephant for acquiring land for Elephant Corridors in Kerala and Tamil Nadu in pursuant to orders of Hon'ble High Court (Rs.1.50 crore). Taking into account the savings available in the voted section of the grant, there will be no cash outgo.

(g) Grants-in-aid to Project Tiger for additional requirement of National Tiger Conservation Authority for rehabilitation of villages and for core critical tiger habitats (Rs.56 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.30

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिए)।
(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 36 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	4216.04	845.93	5061.97
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	778.11	...	778.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	342.39	794.92	1137.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5336.57	1640.85	6977.42	
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	5336.54	1640.85	6977.39

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग			REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
2061-विदेश			2061-External			
	स्वीकृत	Affairs	Voted:	...	342.39 (का)	342.39
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	...	342.39	342.39
पूंजी भाग			CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं			4070-Capital Outlay on Other			
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Administrative Services	Voted:	...	14.92 (खb)	14.92
7605-विदेशी सरकारों को			7605- Advances to Foreign			
अग्रिम	स्वीकृत	Governments	Voted:	...	780.00 (गc)	780.00
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	...	794.92	794.92
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	1137.31	1137.31

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- (क) वेतनों हेतु विशेष राजनय व्यय के संबंध में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (69.75 करोड़ रुपए) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के विकास निधि की सोशल विंडो हेतु भारत के अंशदान का भुगतान संतुलन खर्च (272.64 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हेतु निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ग) भूटान (300.00 करोड़ रुपए) और मालदीव (480.00 करोड़ रुपए) के लिए तत्काल ऋण सुविधा। अनुदान के राजस्व भाग से 109.00 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित करने का बाद, इसमें 671 करोड़ रुपए निवल नकद व्यय होगा।
- (a) For meeting additional requirement of funds for Special Diplomatic Expenditure for salaries (Rs. 69.75 crore) and expenses of balance payment of India's contribution for the Social Window of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Development Fund (SDF) (Rs. 272.64 crore). This will entail net cash outgo.
- (b) For meeting additional requirement of funds for capital works. This will entail net cash outgo.
- (c) For Standby Credit Facility to Bhutan (Rs. 300.00 crore) and Maldives (Rs. 480.00 crore). After surrendering an amount of Rs. 109.00 crore from the Revenue Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 671 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 31

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	4124.84	599.12	4723.96	
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	204.43	1000.60	1205.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	149.62	376.61	526.23	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	4478.89	1976.33	6455.22	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services	Voted:	...	149.60 (खb)	149.60
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	Voted :	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted :	...	149.62	149.62
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	Voted:	...	376.60 (घd)	376.60
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	7605-Advances to Foreign Governments	Voted :	...	0.01 (ङe)	0.01
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted :	...	376.61	376.61
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted :	...	526.23	526.23

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में घटाकर समायोजित किया गया है।

Note : The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction in expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	...	-385.20	-385.20	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :

This supplementary Grant is required for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, (0.10 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान को उसी भाग में बचतें उपलब्ध है अतः संकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> <p>(ख) रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में अतिरिक्त सब्सिडियां (27.48 करोड़ रुपए) प्रदान करने और रेलवे को सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों के प्रचालन पर होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति (27.48 करोड़ रुपए) हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 23.88 करोड़ रुपए की बचतों के समायोजन के पश्चात इसमें 149.60 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।</p> <p>(ग) भारत के राजकोषीय संबंधों पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) नेटवर्क में शामिल होने की सदस्यता शुल्क के रूप में 0.13 करोड़ रुपए के भुगतान हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> <p>(घ) भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्ति किए जाने वाले सिक्कों की खरीद के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) को अतिरिक्त भुगतान करने हेतु (385.20 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 8.60 करोड़ रुपए की बचतों के समायोजन और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समतुल्य राशि के क्रेडिट की प्रतिसंतुलित वसूली के पश्चात कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ङ) दावों की प्रतिपूर्ति के लिए श्रीलंका सरकार को दी गई भारत सरकार ऋण सहायता के तहत अग्रिम (10.51 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> | <p>(a) For meeting additional establishment expenditure (Rs. 0.10 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs. 27.48 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs. 146.00 crore). After adjusting savings of Rs. 23.88 crore available within the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs. 149.60 crore.</p> <p>(c) For making payments of Rs. 0.13 crore as membership fee of India's joining the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) network on fiscal relations. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(d) For making additional payment to Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) (Rs. 385.20 crore) for purchase of coins to be supplied to Reserve Bank of India. After adjusting savings of Rs. 8.60 crore available in the same Section of the Grant, and matching recovery of an equivalent amount of credit received from Reserve Bank India, there will be no net cash outgo.</p> <p>(e) For making advances (Rs. 10.51 crore) under Government of India Line of Credit extended to Government of Sri Lanka for reimbursement of claims. As savings are available within the same Section of Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 32

वित्तीय संस्थाओं को भुगतान

PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)।
(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 39 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	7263.64	2809.23
				10072.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	40668.40	4996.23
				45664.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	3143.09	656.90
				3799.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	51075.13	8462.36	59537.49
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	51075.13	8462.36
				59537.49

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	Voted:	...	175.00 (का)
				175.00
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	0.01 (खब)
				0.01
2416-कृषि संबंधी वित्त संस्थाएं	2416-Agricultural Financial Institutions	Voted:	...	1278.30 (गक)
				1278.30
2885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	Voted:	...	1062.08 (घद)
				1062.08
3465-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं	3465-General Financial and Trading Institutions	Voted:	...	625.00 (ङे)
				625.00
3466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	Voted:	...	2.70 (चफ)
				2.70
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	...	3143.09
				3143.09
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals	Voted:	...	500.00 (छग)
				500.00
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted:	...	0.01 (जह)
				0.01
5466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	Voted:	...	156.89 (झि)
				156.89
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	...	656.90
				656.90
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	3799.99
				3799.99

टिप्पणी: (क) अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: (a) The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6885-अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए ऋण	6885-Loans for other Industries and Minerals	Voted:	...	(-)1500.00
				(-)1500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

(क) गारंटी मोचन विधि की आधारभूत निधि को, इसमें अतिरिक्त 175 करोड़ रुपए अंतरित कर बढ़ाने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के प्रतिपूर्ति योग्य दावों की पहली किस्त के लिए प्रदत्त अस्थायी नकदी सहायता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को उनके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति संबंधी भुगतान हेतु, (149.79 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) (i) रबी 2008-09 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को नकदी सहायता प्रदान करने हेतु ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 130 करोड़ रुपए के भुगतान हेतु।

(ii) वर्ष 2008-09 के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान हेतु।

(iii) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि में अंशदान के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (27.97 करोड़ रुपए)।

(iv) अल्पावधिक सहकारी ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु (418.26 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 1278.30 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

(घ) प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों के मोचन के संबंध में (1500 करोड़ रुपए) और सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड (आईडब्ल्यूआरएफसी) की स्थापना के संबंध में (3 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों और एसएसएफ से प्राप्त अतिरिक्त वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के अभिदान के एवज में जारी प्रतिभूतियों के मोचन हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान हेतु (625 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(च) (i) गरीबी में कमी और विकास सुविधा के पात्र सदस्य देशों को आपातकालीन प्राकृतिक आपदा सहायता में भारत के अंशदान के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को भुगतान हेतु (2.54 करोड़ रुपए), (ii) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मूल्यांकन प्रभासों के संबंध में विनिमय परिवर्तन के लिए भुगतान हेतु (0.12 करोड़ रुपए) (iii) अफगानिस्तान पुनर्निर्माण ट्रस्ट निधि में अंशदान हेतु (0.04 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा (2.70 करोड़ रुपए)।

(छ) भारत के निर्यात-आयात बैंक को अपनी शेयर पूंजी के अंशदान के लिए भुगतान (200 करोड़ रुपए) और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड को इक्विटी-सहायता हेतु भुगतान (300 करोड़ रुपए)। इसमें 500.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ज) राष्ट्रीयकृत बैंकों के टियर-1 लिखतों में अपनी पूँजीगत निधियों के संवर्धन के लिए अभिदान करने हेतु (1900 करोड़ रुपए)। चूंकि आयोजना पक्ष में अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(झ) भारत के पूँजीगत भुगतानों के कोटे के संवर्धन के कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अतिरिक्त भुगतान करने हेतु (156.89 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) For enhancing the corpus of Guarantee Redemption Fund by transfer of additional Rs.175 crore to the Fund. This will entail cash outgo.

(b) For payment to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (Rs.149.79 crore) towards reimbursement of interest paid by them to Reserve Bank of India against the temporary liquidity support provided against the first instalment of reimbursable claims of Regional Rural Banks and Cooperative Banks under the Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme. After taking into account the savings in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) For payment of Rs.130 crore to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) against interest subvention for providing liquidity support to Regional Rural Banks and Cooperative Credit Institutions during Rabi-2008-09.

(ii) For additional payment of Rs.1000 crore to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) towards interest subvention for providing short term crop loan to farmers for the year 2008-09.

(iii) For meeting additional expenditure (Rs.27.97 crore) towards contribution to International Fund for Agricultural Development.

(iv) For payment of additional amount (Rs.418.26 crore) to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for strengthening the short term co-operative credit structure.

After taking into account savings available in the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs.1278.30 crore.

(d) For meeting expenditure (Rs.1500 crore) towards redemption of securities issued to Stressed Asset Stabilisation Fund (SASF) and for meeting expenditure (Rs. 3 crore) towards setting up of Irrigation and Water Resources Finance Corporation Limited (IWRFC). After taking into account the savings available in the Revenue Section of the Grant and additional recoveries from SASF, this will not entail cash outgo.

(e) For contribution to Securities Redemption Fund (Rs.625 crore) towards redeeming Securities issued against subscription to the Rights Issue of equity shares of State Bank of India. This will entail cash outgo.

(f) (i) For payment (Rs.2.54 crore) to International Monetary Fund (IMF) towards India's contribution to Emergency Natural Disaster Assistance (ENDAs) to Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) eligible member countries (ii) For Payment (Rs.0.12 crore) for exchange variation towards assessment charges to IMF. (iii) For contribution (Rs.0.04 crore) to Afghanistan Reconstruction Trust Fund. This will entail cash outgo of Rs.2.70 crore.

(g) For payment (Rs.200 crore) to Export-Import Bank of India towards subscription to its share Capital and for making payment (Rs.300 crore) to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) towards equity support. This will entail cash outgo of Rs.500.00 crore.

(h) For subscribing (Rs.1900 crore) in Tier-I Instruments of Nationalised Banks to augment their capital funds. As savings are available within the same Section of the Grant under Plan side, a token supplementary is sought.

(i) For making additional payment to International Monetary Fund (Rs.156.89 crore) on account of enhancement of the quota of India's capital payments. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.33

वित्तीय सेवाएं विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।
(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 41 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	59.98	0.02	60.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	9.00	...	9.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	8.41	...	8.41	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	77.39	0.02	77.41	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ	स्वीकृत 2047-Other Fiscal Services	Voted: ...	2.21 (का)	2.21	
2052-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	स्वीकृत 2052-Secretariat-General Services	Voted: ...	3.40 (खb)	3.40	
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	स्वीकृत 2070-Other Administrative Services	Voted: ...	2.80 (गc)	2.80	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted: ...	8.41	8.41	

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु है:

(क) अभिरक्षक कार्यालय के अतिरिक्त स्थापन व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) (i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर अतिरिक्त व्यय (1.19 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) किसानों के लिए कृषि ऋण माफ़ी तथा ऋण राहत योजना के 'विज्ञापन' तथा 'प्रचार' अभियान से सम्बद्ध अतिरिक्त व्यय (2.21 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण ऋण वसूली/अधिकरणों/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों के कार्यालय के वेतन पर अतिरिक्त व्यय (3.13 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों के समायोजन के बाद और और अनुदान के पूंजी भाग में 0.01 करोड़ रुपए की बचतों जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, को देखते हुए इसमें 2.79 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) For meeting additional establishment expenditure of office of Custodian. This will entail cash outgo.

(b) (i) For meeting additional expenditure (Rs.1.19 crore) on salaries on account of implementation of Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(ii) For meeting additional expenditure (Rs.2.21 crore) relating to 'advertisement' and 'publicity' campaign for Debt Waiver and Debt Relief Scheme for farmers. This will entail cash outgo.

(c) For meeting additional expenditure on salary (Rs.3.13 crore) of the office of Debt Recovery Tribunals/Debt Recovery Appellate Tribunals on account of implementation of Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. After adjusting savings available within the same Section of the Grant and also savings of Rs.0.01 crore in the Capital Section of the Grant which will be surrendered, this will entail a net cash outgo of Rs.2.79 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

TRANSFER TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35, वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42, और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	34392.42	4867.50	39259.92
	स्वीकृत	Voted:	52083.34	...	52083.34
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	...	2000.00	2000.00
	स्वीकृत	Voted:	12205.36	...	12205.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	...	1161.50	1161.50
	स्वीकृत	Voted:	2917.10	...	2917.10
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	101598.22	8029.00	109627.22
	भारित	Charged:	34392.42	8029.00	42421.42
	स्वीकृत	Voted:	67205.80	...	67205.80

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to			
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	2817.10 (का)	100.00 (खb) 2917.10
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को		7601-Loans and Advances to			
ऋण और अग्रिम	भारित	State Governments	Charged:	1161.50 (गc)	... 1161.50
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		3978.60	100.00 4078.60
	भारित		Charged:	1161.50	... 1161.50
	स्वीकृत		Voted:	2817.10	100.00 2917.10

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:-

- सामान्य केन्द्रीय सहायता (500 करोड़ रुपए),
- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (1429.50 करोड़ रुपए),
- अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (200.00 करोड़ रुपए),
- वर्ष 2005-06 के दौरान बाढ़ में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण (561.63 करोड़ रुपए)।
- सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (125.97 करोड़ रुपए)।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को एकबारगी आयोजना-भिन्न अनुदान।
- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।

चूंकि अनुदान के राजस्व (भारित) भाग से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation/grant is required for:-

- Normal Central Assistance (Rs.500 crore),
- Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Projects (Rs.1429.50 crore),
- Additional Central Assistance (ACA) for Other Projects (Rs.200.00 crore),
- Reconstruction of Assets damaged in Floods during 2005-06 (Rs.561.63 crore).
- Tsunami Rehabilitation Programme (Rs.125.97 crore).
- One time Non-Plan grant to Government of Arunachal Pradesh.
- Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Projects.

This supplementary does not entail any cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Revenue (Charged) Section of the Grant.

संख्या NO.37 विनियोग (APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी
REPAYMENT OF DEBT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)।
(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 44 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित Charged:	...	1745574.44	1745574.44
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION:			
	भारित Charged:	...	8622.63	8622.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित Charged:	...	433970.64	433970.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	भारित Charged:	...	2188167.71	2188167.71

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार के आन्तरिक ऋण	6001- Internal Debt of Central Government	Charged:	...	432216.15 (का)
6002-विदेशी ऋण	6002- External Debt	Charged:	...	1754.49 (खब)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Charged:	...	433970.64

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक है:

(क) सामान्य बाजार उधारों के तहत 91-दिवसीय राजकोषीय बिलों (58831.45 करोड़ रुपए), 182-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (5308 करोड़ रुपए), 14-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (323769 करोड़ रुपए) तथा अर्थोपाय अग्रिमों (143026 करोड़ रुपए) का उन्मोचन, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत दिनांकित प्रतिभूतियां (59544.22 करोड़ रुपए), अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) (12.00 करोड़ रुपए), अफ्रीकी विकास निधि (2.03 करोड़ रुपए), अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) (5315.23 करोड़ रुपए), 10 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1993 (0.20 करोड़ रुपए), 10 प्रतिशत राहत बॉण्ड 1995 (5.24 करोड़ रुपए), 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड 1987 (1.92 करोड़ रुपए), 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1993 (0.81 करोड़ रुपए), 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड 1994 (14.31 करोड़ रुपए), 6.50 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2003 (करेतर) (777.45 करोड़ रुपए)। चूंकि 164391.71 करोड़ रुपए की बचतें विनियोग में उपलब्ध हैं, अतः 432216.15 करोड़ रुपए की शेष राशि हेतु पूरक की मांग की गई है।

(ख) विदेशी ऋण की वापसी अदायगी।

इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय की पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी।

The Supplementary Appropriation is required to meet additional requirement of funds towards:

(a) Discharge of 91 day Treasury Bills (Rs.58831.45 crore), 182 day Treasury Bills (Rs.5308 crore), 14 day Treasury Bills (Rs.323769 crore) and Ways and Means Advances (Rs.143026 crore) under normal market borrowings, Dated Securities under Market Stabilisation Scheme (MSS) (Rs.59544.22 crore), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (Rs.12.00 crore), African Development Fund (Rs.2.03 crore), International Monetary Fund (IMF) (Rs.5315.23 crore), 10% Relief Bond, 1993 (Rs.0.20 crore), 10% Relief Bond, 1995 (Rs.5.24 crore), 9% Relief Bond, 1987 (Rs.1.92 crore), 9% Relief Bond, 1993 (Rs.0.81 crore), 9% Relief Bond, 1999 (Rs.14.31 crore), 6.50% Savings Bonds, 2003 (Non-taxable) (Rs.777.45 crore). As savings of Rs.164391.71 crore is available within the Appropriation, supplementary for the balance amount of Rs. 432216.15 crore is sought.

(b) Repayment of External Debt.

There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

मांग संख्या DEMAND NO.38

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)।
(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 45 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	41.86	6.00	47.86
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	7.18	...	7.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	9.92	...	9.92
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	58.96	6.00	64.96

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-		2052-Secretariat-			
सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	General Services	Voted:	...	3.61 (का)
2070-अन्य प्रशासनिक		2070-Other Administrative			
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	6.31 (खb)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	9.92

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:

- (क) अतिरिक्त संस्थापन व्यय की पूर्ति हेतु (3.61 करोड़ रुपए)।
(ख) केन्द्रीय अभिलेखन अभिकरण की क्षमता में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) को पेंशन निधि योजनाओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए अभिलेखन, लेखा कार्य, प्रशासन और ग्राहक सेवाओं के कार्यों को पूरा करने हेतु सेवा प्रभारों के सम्बन्ध में शुल्क (6.31 करोड़ रुपए) भुगतान हेतु।

चूंकि अनुदान के पूंजी भाग (आयोजना) के तहत 3.00 करोड़ रुपए की बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः इसमें 6.92 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

The Supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For meeting additional establishment expenditure (Rs.3.61 crore).
(b) For payment of fee (Rs.6.31 crore) to National Securities Depository Limited (NSDL) in the capacity of Central Record Keeping Agency, towards service charges for performing the functions of record keeping, accounting, administration and customer services for subscribers to the schemes of pension fund.

As savings of Rs.3.00 crore under Capital Section (Plan) of the Grant will be surrendered, this will entail net cash outgo of Rs.6.92 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 39

पेंशन
PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	35.38	35.38
	स्वीकृत	Voted:	7930.76	7930.76
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2050.00	2050.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	28.22	28.22
	स्वीकृत	Voted:	585.17	585.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10629.53	...	10629.53
	भारित	Charged:	63.60	63.60
	स्वीकृत	Voted:	10565.93	10565.93

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन एवं अन्य	2071 - Pensions and Other			
सेवानिवृत्ति लाभ	Retirement Benefits	Charged:	...	28.22 (क)
		Voted:	...	585.17 (ख)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	613.39	613.39
	भारित	Charged:	...	28.22
	स्वीकृत	Voted:	...	585.17

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मुख्यतः निम्नलिखित वर्णित पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु:

- अधिवार्षिकी (5.50 करोड़ रुपए);
- परिवार पेंशन (4.00 करोड़ रुपए);
- पेंशन की परिकलित मूल्य (3.00 करोड़ रुपए);
- अवकाश नगदीकरण (2.00 करोड़ रुपए);
- उपदान (9.50 करोड़ रुपए);
- नई पेंशन योजना (0.17 करोड़ रुपए);
- पूर्व राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति की पेंशन (0.55 करोड़ रुपए); तथा
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन/परिवार पेंशन (3.50 करोड़ रुपए)

इसमें नकद व्यय होगा।

(a) For meeting additional expenditure mainly on account of Pensions and other Retirement Benefits mentioned below on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

- Superannuation (Rs. 5.50 crore);
- Family Pension (Rs. 4.00 crore);
- Commuted Value of Pension (Rs. 3.00 crore);
- Leave Encashment (Rs. 2.00 crore);
- Gratuity (Rs. 9.50 crore)
- New Pension Scheme (Rs. 0.17 crore);
- Pension on account of ex-President/Vice President (Rs. 0.55 crore); and
- Pension/Family Pension on account of High Court Judges (Rs. 3.50 crore).

This will entail cash outgo.

(ख) (i) सरकार यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (544.02 करोड़ रुपये)।

(ii) निम्नलिखित के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु
(1) पेंशन भोगियों को चिकित्सीय प्रतिपूर्ति (40.00 करोड़ रुपये)
(2) भविष्य निधि को अंशदान (0.15 करोड़ रुपये);
तथा (3) अनुग्रह भुगतान (1.00 करोड़ रुपये)।

इसमें नगद व्यय होगा।

(b) (i) For meeting additional expenditure on account of Pensions on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 544.02 crore).

(ii) For meeting additional expenditure on account of
(1) Medical Reimbursement of Pensioners (Rs. 40.00 crore); (2) Contribution to Provident Fund (Rs. 0.15 crore); and (3) Ex-gratia Payment (Rs. 1.00 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 40

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)।

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 47 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	36.85	36.85
	स्वीकृत	Voted:	1243.70	1246.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	6.58	6.58
	स्वीकृत	Voted:	344.97	344.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	7.51	7.51
	स्वीकृत	Voted:	265.28	265.57
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1904.89	3.24	1908.13
	भारित	Charged:	50.94	50.94
	स्वीकृत	Voted:	1853.95	1857.19

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शाखाओं के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	भारित	Charged:	...	7.51 (का)
	स्वीकृत	Voted:	...	265.28 (खb)
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Voted:	...	0.29 (गc)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	273.08	273.08
	भारित	Charged:	...	7.51
	स्वीकृत	Voted:	...	265.57

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) और (ख) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) और छात्रावास की निर्माण अवधि के विस्तार के लिए मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को अतिरिक्त भुगतान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) & (b) For meeting additional establishment related expenditure. This will entail cash outgo.
- (c) For making additional payments to Mumbai Mahanagar Regional Development Authority (MMRDA) for extension of construction period for Regional Training Institute (RTI) and Hostel building. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.41

राजस्व विभाग
DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)।
(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 48 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	6196.98	0.82	6197.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	40.49	...	40.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	483.48	...	483.48
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6720.97	0.82	6721.79	
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	6720.95	0.82	6721.77

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2047-अन्य राजकोषीय		2047- Other Fiscal			
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted: ...	8.89 (का)	8.89
2070-अन्य प्रशासनिक		2070- Other Administrative			
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted: ...	0.71 (खब)	0.71
3601-राज्य सरकारों		3601- Grants-in-aid to			
को सहायता	स्वीकृत	State Governments	Voted: ...	473.88 (गक)	473.88
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: ...	483.48	483.48

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

(क) (i) स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (8.89 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के संबंध में राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (3.69 करोड़ रुपए)। चूँकि इसकी पूर्ति अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के वेतनों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.71 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(ग) मूल्य वर्द्धित कर (वैट) आरंभ करने के कारण राज्य सरकारों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (515.37 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों (41.49 करोड़ रुपए) और अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों (0.12 करोड़ रुपए) को ध्यान में रखते हुए इस पूरक अनुदान में 473.76 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

(a) (i) For meeting additional establishment expenditure (Rs.8.89 crore). This will entail cash outgo.

(ii) For providing additional Grants-in-aid (Rs.3.69 crore) to National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) towards salaries on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and additional building grant. As this will be met from the savings available in the same Section of the Grant, there will be no cash outgo.

(b) For meeting additional expenditure on salaries (Rs.0.71 crore) on account of implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government in respect of Central Bureau of Narcotics. This will entail cash outgo.

(c) For meeting additional requirement for compensation to State Governments (Rs.515.37 crore) for revenue loss due to introduction of Value Added Tax (VAT). After taking into account the savings (Rs.41.49 crore) available in the same Section of the Grant and under Capital Section of the Grant (Rs.0.12 crore), the net cash outgo on account of this supplementary will be Rs.473.76 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 42

प्रत्यक्ष कर
DIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिए)।
(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 49 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1771.98	203.00	1974.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	303.55	...	303.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	251.58	...	251.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2327.13	203.00	2530.13	
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2327.11	203.00	2530.11

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2020-आय और व्यय संबंधी करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure				
	स्वीकृत	Voted:	...	204.13 (का)	204.13
2031-संपदा शुल्क, संपत्ति कर और उपहार कर का संग्रहण	2031-Collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax				
	स्वीकृत	Voted:	...	47.45 (खb)	47.45
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	251.58	251.58

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:
(क) आयकर विभाग की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
(ख) संपदा शुल्क, संपत्ति कर और उपहार कर के संग्रहण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (47.45 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 12.50 करोड़ रुपए की बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः 34.95 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:
(a) For meeting establishment related expenditure in respect of Income Tax Department. This will entail cash outgo.
(b) For meeting additional expenditure (Rs.47.45 crore) for collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax. As savings of Rs.12.50 crore in Capital Section of the Grant will be surrendered, this will entail a net cash outgo of Rs.34.95 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.43

अप्रत्यक्ष कर
INDIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिए)।
(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 50 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.20	...	1.20
	स्वीकृत	Voted:	1804.60	315.20	2119.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	373.29	...	373.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	506.91	...	506.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2686.00	315.20	3001.20	
	भारित	Charged:	1.20	...	1.20
	स्वीकृत	Voted:	2684.80	315.20	3000.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs				
	स्वीकृत	Voted:	...	113.75 (का)	113.75
2038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2038-Union Excise Duties				
	स्वीकृत	Voted:	...	393.16 (खब)	393.16
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	506.91	506.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) सीमा शुल्क कार्यालयों की स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसे अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध 39.20 करोड़ रुपए की बचतों से पूरा किया जाएगा, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें 353.96 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

- (a) For meeting additional establishment related expenditure of Customs Offices. This will entail cash outgo.
- (b) For meeting additional establishment related expenditure of Central Excise Offices. This will be matched by savings of Rs.39.20 crore in Capital Section of the Grant, which will be surrendered and hence will entail a net cash outgo of Rs.353.96 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 46

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)।
(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 53 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	17955.03	931.68	18886.71	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	378.30	0.01	378.31	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	8.79	0.01	8.80	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	18342.12	931.70	19273.82	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

					जोड़ Total
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	Voted:	8.75 (गc)	...	8.75
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	0.01 (ङe)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	8.77	0.02	8.79
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	8.78	0.02	8.80

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु माँगे गए हैं:-

The supplementary grants are required for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) (i) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली को आधारभूत ढाँचे के रखरखाव, उपकरणों की खरीद और आवासों और अस्पताल भवनों तथा प्रयोगशाला भवनों के नवीकरण/उन्नयन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (23.30 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को विभिन्न बहुमूल्य उपकरणों आदि संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (80.00 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(a) (i) Grants-in-aid to Vallabhbhai Patel Chest Institute, New Delhi to meet the expenditure on maintenance of infrastructure, purchase of equipments and renovation/upgradation of residences & hospital buildings and laboratory buildings. (Rs.23.30 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid to All India Institute of Medical Sciences to meet expenditure on various high end equipments etc. (Rs.80.00 crore).</p> |
|--|--|

<p>(iii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर को नये भवन व वार्डों तथा उपस्करों के अनुस्क्षण हेतु सहायता अनुदान (12.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iv) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ को चालू मुख्य निर्माण कार्यों पर वर्धित व्यय के लिए सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(v) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान के लिए सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए)।</p> <p>(vi) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम: हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड को डीडीटी की आपूर्ति के लिए सब्सिडी प्रदान करने हेतु (4.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(vii) राष्ट्रीय आरोग्य निधि: गरीबी रेखा से नीचे के कैंसर पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु (75.00 करोड़ रुपए)।</p>	<p>(iii) Grants-in-aid to National Institute of Mental Health & Neurosciences, Bangalore for addition of new building & wards and maintenance of equipments (Rs. 12.00 crore).</p> <p>(iv) Grants-in-aid to Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh for increased expenditure on ongoing capital works (Rs. 10.00 crore).</p> <p>(v) Grants-in-aid to National Academy of Medical Sciences for making the payment on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 0.15 crore)</p> <p>(vi) National Vector Borne Disease Control Programme: To provide subsidy to Hindustan Insecticides Limited for supply of DDT (Rs. 4.00 crore)</p> <p>(vii) Rashtriya Arogya Nidhi: To provide financial assistance to patients below poverty line suffering from Cancer (Rs. 75.00 crore).</p>
<p>चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p>	<p>As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ख) (i) निम्नलिखित को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान नई दिल्ली (1.09 करोड़ रुपए); 2. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (2.77 करोड़ रुपए); 3. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (130.00 करोड़ रुपए); 4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलोर (9.00 करोड़ रुपए); 5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ (36.96 करोड़ रुपए); तथा 6. राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (0.24 करोड़ रुपए)। <p>(ii) राष्ट्रीय आरोग्य निधि: गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र को परिक्रामी निधि के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु (1.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को आइएनआर की तुलना में डालर की वर्धित दर के कारण हुए वर्धित व्यय की पूर्ति हेतु अंशदान (2.00 करोड़ रुपए)।</p>	<p>(b) (i) Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vallabhbhai Patel Chest Institute, New Delhi (Rs. 1.09 crore); 2. Chitaranjan National Cancer Institute, Kolkata (Rs. 2.77 crore); 3. All India Institute of Medical Sciences (Rs. 130.00 crore); 4. National Institute of Mental Health & Neurosciences, Bangalore (Rs. 9.00 crore); 5. Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh (Rs. 36.96 crore); and 6. National Academy of Medical Sciences (Rs. 0.24 crore). <p>(ii) Rashtriya Arogya Nidhi: To provide financial assistance to patients below poverty line and to Union Territory of Andaman & Nicobar Islands towards revolving fund (Rs. 1.00 crore).</p> <p>(iii) Contribution to World Health Organisation (WHO) to meet increased expenditure on account of enhanced rate of Dollar against INR (Rs. 2.00 crore)</p>
<p>चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p>	<p>As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.</p>

- (ग) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन सम्बन्धी भुगतान हेतु सहायता अनुदान (1.35 करोड़ रुपए)।
- (ii) मिशन फ्लेक्सी पूल (जीसी): उपयोग की गति अधिक होने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (8.75 करोड़ रुपए)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 1.35 करोड़ रुपए की बचत को प्रयोग करने के बाद और पूंजी भाग से 8.75 करोड़ रुपए की बजट अभ्यार्पित करने से कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) निम्नलिखित को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान:
1. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (35.63 करोड़ रुपए); तथा
 2. क्षेत्रीय पैरामेडीकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजवाल (2.24 करोड़ रुपए)।
- चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ङ) राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान (1.35 करोड़ रुपए)।
- चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (च) (i) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना: भारत के उपराष्ट्रपति के लिए एम्बूलेंस की अधिप्राप्ति हेतु (1.23 करोड़ रुपए)।
- (ii) सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली: चालू मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (16.07 करोड़ रुपए)।
- (iii) केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची: चालू मुख्य निर्माण कार्यों पर वचनबद्ध देयता की पूर्ति हेतु (2.98 करोड़ रुपए)।
- (iv) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुदुचेरी: चालू निर्माण परियोजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु (62.07 करोड़ रुपए)।
- (v) एम्स (एआईआईएमएस) जैसी परम विशिष्ट अस्पतालें-सह-अध्ययन संस्थानों की स्थापना: बारह चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों हेतु हाइएंड मशीनरियों तथा उपकरणों की केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति से सम्बन्धित व्यय की पूर्ति हेतु (198.00 करोड़ रुपए)।
- चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (c) (i) Grants-in-aid to National Institute of Health & Family Welfare for making the payment on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 1.35 crore).
- (ii) Mission Flexi Pool (GC): To meet the additional requirement due to higher pace of utilization (Rs.8.75 crore).
- After utilizing the savings of Rs.1.35 crore available within the same Section of the grant and surrender of savings of Rs.8.75 crore from the Capital Section, there will be no cash outgo.
- (d) Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to:
1. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (Rs.35.63 crore); and
 2. Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizwal (Rs.2.24 crore).
- As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- (e) Grants-in-aid to State Governments to provide financial assistance to patients below poverty line (1.35 crore).
- As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- (f) (i) Central Government Health Scheme: For procurement of ambulance for Vice President of India (Rs. 1.23 crore).
- (ii) Safdarjung Hospital, New Delhi: To meet additional expenditure on ongoing Major Works (Rs. 16.07 crore).
- (iii) Central Institute of Psychiatry, Ranchi: To meet committed liability on ongoing capital works (Rs. 2.98 crore).
- (iv) Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Puducherry : To meet expenditure on ongoing construction projects (Rs. 62.07 crore).
- (v) Establishment of AIIMS type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions: To meet expenditure relating to centralized procurement of high-end machineries and equipments for twelve Medical College Institutions (Rs. 198.00 crore).
- As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 47

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) विभाग

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI,
SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)।
(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	621.00	2.00	623.00
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	35.60	...	35.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required: Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary) Voted:	656.62	2.00	658.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for the following purposes :

- | | |
|---|---|
| <p>(क) (i) लखनऊ, थ्रिसूर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरोग्य के संचालन हेतु 'सूचना शिक्षा और संचार पर व्यय' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय। (1.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ii) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधित अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद को सहायता अनुदान (0.02 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iii) 'आयुष अस्पताल' योजना के अंतर्गत व्यय (25.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(iv) आयुष के प्रोत्साहन संबंधी कार्यकलापों के अंतर्गत 'अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु सहायता योजना के लिए व्यय (1.46 करोड़ रुपए)।</p> <p>(v) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त भुगतान हेतु सीएसएमडीआरआई, चेन्नई, सीआरआई, भुवनेश्वर, सीआरआई, कोलकता में निर्माण कार्य हेतु 'केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (7.95 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(a) (i) Additional expenditure under the scheme 'Expenditure on Information Education and Communication' for conducting AROGYA at Lucknow, Thrissur and North East (Rs. 1.00 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid to Central Council of Homoeopathy for meeting additional expenditure on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 0.02 crore).</p> <p>(iii) Additional expenditure under the scheme 'AYUSH Hospitals' (Rs. 25.00 crore).</p> <p>(iv) Additional expenditure under the scheme 'Assistance for International Co-operation' for activities relating to promotion of AYUSH (Rs. 1.46 crore).</p> <p>(v) Additional expenditure under the scheme 'Central Council for Research in Ayurveda and Siddha' for construction works at CSMDRIA, Chennai, CRI, Bhuvabeswarm, CRI, Kolkatta and for making the payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 7.95 crore).</p> |
|---|---|

- (vi) आरआरआई(एच) मुम्बई, सीआरआई(एच), नोएडा, आरआरआई(एच), गुडीवड़ा में निर्माण कार्यों के लिए 'केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली' योजना के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त व्यय और सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी भुगतान (5.60 करोड़ रुपए)।
- (vii) मशीनरी और उपस्कर की खरीद, निर्माण कार्यों के लिए 'केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय और सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी भुगतान (8.46 करोड़ रुपए)।
- (viii) निर्माण कार्यों के अंतर्गत 'केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद' योजना के लिए अतिरिक्त व्यय (5.05 करोड़ रुपए)।
- (ix) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी भुगतान हेतु राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय (2.61 करोड़ रुपए)।
- (x) 'आयुष पुनर्विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम'/सतत चिकित्सा शिक्षा' योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (1.00 करोड़ रुपए)।
- (xi) आयुष शिक्षा/औषधि विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक औषधि-आदि में कार्यरत गैर-सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र में मान्यताप्राप्त उत्कृष्टता केन्द्रों को सहायता' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (6.02 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (I) मध्यप्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में सीसीआईएम चुनाव विपन्न करने हेतु है। (0.10 करोड़ रुपए)।
- (II) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के भुगतान के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के लिए है।
- (i) राष्ट्रीय आयुर्वेद-संस्थान, जयपुर (0.95 करोड़ रुपए);
- (ii) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (7.43 करोड़ रुपए);
- (iii) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (3.95 करोड़ रुपए), और
- (iv) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली (0.03 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (vi) Additional expenditure under the scheme 'Central Council for Research in Homeopathy New Delhi', for construction works at RRI (H), Mumbai, CRI (H), Noida, RRI (H), Gudivada and for making the payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 5.60 crore).
- (vii) Additional expenditure under the scheme 'Central Council for Research in Unani Medicines, New Delhi', for procurement of machinery and equipment, construction works and for making the payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 8.46 crore).
- (viii) Additional expenditure under the scheme 'Central Council for Research in Yoga and Naturopathy New Delhi', for construction works (Rs. 5.05 crore).
- (ix) Additional expenditure for National Institute of Siddha, Chennai, for making the payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government (Rs. 2.61 crore).
- (x) Additional expenditure under the schemes 'Re-orientation Training Programme of AYUSH'/'Continuing Medical Education' (Rs. 1.00 crore).
- (xi) Additional expenditure under the scheme 'Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in non-government/private sector engaged in AYUSH Education/Drug Development & Research/Clinical Research/Folk Medicine etc.' (Rs. 6.02 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (I) For conducting Central Council of Indian Medicine election in the States of Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu (Rs. 0.10 crore).
- (II) For making payment on account of salary on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by Government, to the following institutions:
- (i) National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rs. 0.95 crore);
- (ii) Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi (Rs. 7.43 crore);
- (iii) Central Council for Research in Unani Medicine New Delhi (Rs. 3.95 crore); and
- (iv) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi (Rs. 0.03 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.48

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिए और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों की पृष्ठ 58 देखिए)।

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grant for the year 2008-09).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	531.75	...	531.75
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.07	...	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	35.19	...	35.19
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	567.01	...	567.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और		2210-Medical and				
सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted:	0.01(का)	35.18(खb)	35.19
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	35.18	35.19

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित हैं:-

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सहायता अनुदान (104.18 करोड़ रुपये)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सहायता अनुदान (64.00 करोड़ रुपये)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में 28.82 करोड़ रुपये की बचतें उपलब्ध हैं, अतः 35.18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for the following purposes:

(a) Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research (ICMR) for meeting the additional requirement on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.104.18 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research (ICMR) for meeting the additional requirement on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.64.00 crore).

As savings of Rs.28.82 crore are available within the same Section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs.35.18 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.49

भारी उद्योग विभाग
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)।
(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 59 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	214.96	592.24	807.20
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	813.99	0.01	814.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	864.07	56.51	920.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1893.02	648.76	2541.78

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852-Industries	Voted: ...	864.07 (का)	864.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4858-इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत 4858-Capital Outlay on Engineering Industries	Voted: 0.01 (खब)	56.48 (गक)	56.49
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत 4860-Capital Outlay on Consumer Industries	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
6858-इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत 6858-Loans for Engineering Industries	Voted: ...	0.01 (झे)	0.01
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted: 0.02	56.49	56.51
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted: 0.02	920.56	920.58

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

(क) (i) वर्ष 1999-2000 से 2007-08 तक की अवधि के लिए दांडिक गारंटी शुल्क सहित आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे, वर्ष 2006-07 के लिए एण्ड्रू युले एंड कंपनी लि. (0.35 करोड़ रुपए) संबंधी गारंटी शुल्क की माफी, वर्ष 2008-09 के लिए एचएमटी लि. (2.14 करोड़ रुपए), वर्ष 2008-09 के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि. (1.50 करोड़ रुपए) और टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (1.82 करोड़ रुपए) को क्रियान्वित करने हेतु। चूंकि इन्हें प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

(ii) दिनांक 31.03.2008 को भारत सरकार के ऋण पर 547.09 करोड़ रुपए के ब्याज की माफी तथा कम्पनी के अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सम्बन्ध में संचित घाटे की तुलना में इक्विटी (266.68 करोड़ रुपए) को घटाकर लिखने हेतु। चूंकि इन्हें प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) (i) for carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of guarantee fee in respect of Andrew Yule and Company Ltd. (Rs.0.35 crore) for the year 2006-07, HMT Ltd. (Rs.2.14 crore) for the year 2008-09, Heavy Engineering Corporation Ltd. (Rs.1.50 crore) for the year 2008-09 and Tyre Corporation of India Ltd. (Rs.1.82 crore) including penal guarantee fee for the period 1999-2000 to 2007-08. As these will be matched by receipts, there will be no cash outgo.

(ii) for waiver of interest of Rs.547.09 crore as on 31.3.2008 on Government of India loan and write down of equity (Rs.266.68 crore) against the accumulated losses in respect of Tyre Corporation of India Ltd., as part of approved restructuring plan of the company. As these will be matched by receipts, there will be no cash outgo.

- (iii) भारत सरकार के ऋण (30.97 करोड़ रुपए) तथा कम्पनी के अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में ब्याज (13.52 करोड़ रुपए) की माफी को बट्टे खाते डालने हेतु। चूंकि इसे प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।
- (ख) आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे भारत सरकार के ऋण (108.04 करोड़ रुपए) का कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में इक्विटी में परिवर्तन, के कार्यान्वयन के लिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) आवश्यक लेखा समायोजनों अर्थात् 31.3.2009 तक का बकाया ऋण एवं दण्डिक ब्याज (56.48 करोड़ रुपए) का कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में इक्विटी में परिवर्तन को क्रियान्वित करने हेतु। चूंकि इसे प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।
- (घ) आवश्यक लेखा समायोजनों अर्थात् 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के बकाया (202.86 करोड़ रुपए) का कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के रूप में टायर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सम्बन्ध में इक्विटी में परिवर्तन के क्रियान्वयन के लिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ङ) कम्पनी की अनुमोदित पुनर्संरचना योजना के रूप में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को आयोजना-भिन्न ऋण (60 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (iii) for write off of Government of India loan (Rs.30.97 crore) and waiver of interest (Rs.13.52 crore) in respect of Nagaland Pulp and Paper Company Ltd., a subsidiary of Hindustan Paper Corporation Ltd. as part of approved restructuring plan of the company. As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo.
- (b) a token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loan (Rs.108.04 crore) into equity in respect of Heavy Engineering Corporation Ltd., as part of approved restructuring plan of the company.
- (c) for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of outstanding interest and penal interest (Rs.56.48 crore) till 31.3.2009 into equity in respect of Heavy Engineering Corporation Ltd., as part of approved restructuring plan of the company. As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo.
- (d) a token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loan outstanding (Rs.202.86 crore) as on 31.3.2008 into equity in respect of Tyre Corporation of India Ltd., as part of approved restructuring plan of the company.
- (e) for providing non-Plan loan (Rs.60 crore) to Heavy Engineering Corporation Ltd., as part of the approved restructuring plan of the company. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.50

सरकारी उद्यम विभाग

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिए)।
(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 61 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	14.50	...	14.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	0.79	...	0.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	1.21	...	1.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	16.50	...	16.50

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-	3451-Secretariat-			
अर्थिक सेवाएं	Economic Services			
स्वीकृत	Voted:	...	1.21	1.21
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1.21	1.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.11 करोड़ रुपए)।
- बकाया चिकित्सा बिल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.02 करोड़ रुपए)।
- समझौता ज्ञापन टास्क फोर्स, अनुसंधान समिति और सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) के सदस्यों को टीए/डीए भुगतान संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.45 करोड़ रुपए)।
- कार्यालय व्यय एवं अन्य प्रशासनिक व्यय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.21 करोड़ रुपए)।
- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के तहत समझौता ज्ञापन टास्क फोर्स, अनुसंधान समिति और सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड के विभिन्न सदस्यों को भुगतान संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.42 करोड़ रुपए)।

इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- Requirement on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.11 crore).
- Requirement for pending medical bills (Rs.0.02 crore).
- Requirement for paying TA/DA to the members of Memorandum of Understanding Task Force, Search Committee and Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE) (Rs.0.45 crore).
- Requirement towards Office Expenses and Other Administrative Expenses (Rs.0.21 crore)
- Requirement for payment under Professional and Special Services to the various members of Memorandum of Understanding Task Force, Search Committee and Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE) (Rs.0.42 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.51

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगें का पृष्ठ 62 देखिए)।
 (See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	889.17	70.23	959.40
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	255.36	...	255.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	0.02	...
				0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1144.75	70.23	1214.98	
	भारित	Charged:	0.20	...	0.20
	स्वीकृत	Voted:	1144.55	70.23	1214.78

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01(का)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	0.01(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:

(क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मोटर वाहनों पर व्यय (1.50 करोड़ रुपए) की पूर्ति।

(ख) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के नव स्थापित कार्यालय से सम्बद्ध स्थापना व्यय की पूर्ति (0.50 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is required for:

(a) meeting the expenditure on Motor Vehicles of Narcotics Control Bureau (NCB) (Rs.1.50 crore).

(b) meeting the establishment related expenditure of the newly established office of National Investigation Agency (NIA) (Rs.0.50 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 53

पुलिस POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिए)।
(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	3.89	7.05	10.94	
स्वीकृत	Voted:	16519.82	5344.49	21864.31	
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT:				
भारित	Charged:	0.04	0.80	0.84	
स्वीकृत	Voted:	5065.79	0.02	5065.81	
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	the amount now required:	Voted:	74.10	...	74.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	21663.64	5352.36	27016.00	
भारित	Charged:	3.93	7.85	11.78	
स्वीकृत	Voted:	21659.71	5344.51	27004.22	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	0.01 (का)	34.00 (खb)	34.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	40.09 (गc)	40.09
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	74.09	74.10

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित की पूर्ति हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for meeting:

(क) सेन्ट्रल फोरेन्सिक साइंस लैबोरेट्री का अन्य प्रशासनिक खर्चों संबंधी व्यय (0.10 करोड़ रुपए)।

(a) expenditure on Other Administrative Expenses of Central Forensic Science Laboratory (Rs. 0.10 crore).

चूंकि अनुदान के भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल-संबंधी स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय।

(b) additional establishment expenditure in respect of Central Para Military Forces.

चूंकि अनुदान के स्वीकृत पूंजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः इसमें नकद व्यय होगा।

As equivalent savings available under the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.

(ग) (i) जम्मू एवं कश्मीर में (232 करोड़ रुपए), (ii) नक्सल प्रभावित राज्यों (12 करोड़ रुपए) और (iii) पूर्वोत्तर राज्य (78 करोड़ रुपए) में सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता।

(c) additional requirement under Security Related Expenditure in (i) Jammu and Kashmir (Rs. 232 crore), (ii) Naxal affected States (Rs. 12 crore) and (iii) North Eastern States (Rs. 78 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 281.91 करोड़ रुपए की बचतें, भारत राजस्व भाग में उपलब्ध 0.44 करोड़ रुपए की बचतें और अनुदान के स्वीकृत पूंजी भाग में उपलब्ध 39.65 करोड़ रुपए की बचतें जो अभ्यर्पित की जाएंगी, इसलिए इस पूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account savings of Rs. 281.91 crore available within the same Section of the Grant, savings of Rs. 0.44 crore available in the Revenue Charged Section and Rs. 39.65 crore in Capital Voted Section of the Grant which will be surrendered, the supplementary will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिए)।

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	0.02
	स्वीकृत	Voted:	999.03	1025.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	84.35	84.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	354.20	354.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1437.60	26.20	1463.80
	भारित	Charged:	0.02	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1437.58	1463.78

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	32.20 (का)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	322.00 (खb)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	354.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क) स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन और अन्य लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (51.58 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध 19.38 करोड़ रुपए की बचतों और अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध 9.40 करोड़ रुपए जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, को ध्यान में रखने के बाद इस पूरक लेख में नकद व्यय 22.80 करोड़ रुपए होगा।

(ख) (i) 2002 में गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों में आवासीय सम्पत्तियों के नुकसान पर अतिरिक्त राहत प्रदान करना (212 करोड़ रुपए)।

(ii) भागलपुर, बिहार के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराना (20 करोड़ रुपए)।

(iii) 1984 के दंगों के पीड़ितों को वर्धित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना (20 करोड़ रुपए)।

(iv) जम्मू तथा कश्मीर में राहत और पुनर्वास पर अतिरिक्त व्यय (70 करोड़ रुपए)।

इस पूरक में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:

(a) meeting expenditure on Pension & Other Benefits to the Freedom Fighters (Rs.51.58 crore).

Taking into account savings of Rs.19.38 crore available within the same section of the Grant and Rs.9.40 crore available in the Capital Voted Section of the Grant which will be surrendered, the cash outgo on account of this supplementary will be Rs.22.80 crore.

(b) (i) providing additional relief towards damage to residential properties in 2002 Gujarat communal riots (Rs.212 crore).

(ii) providing relief and rehabilitation to the victims of communal riots in Bhagalpur, Bihar (Rs.20 crore).

(iii) providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs.20 crore).

(iv) additional expenditure on relief and rehabilitation in J&K (Rs.70 crore).

This supplementary will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.55

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिए)।
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 68 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1768.39	72.00	1840.39	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	165.00	...	165.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1933.40	72.00	2005.40	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments				
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान पॉडिचेरी सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहणों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में अनुदान प्रदान करने हेतु अपेक्षित है (128.89 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for providing grant to the Government of Puducherry towards reimbursement of Central Sales Tax collections (Rs.128.89 crore).

As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.57

साक्षरता और स्कूली शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिए)।
(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 70 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	40667.00	...	40667.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	282.35	761.54	1043.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	11.58	...	11.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	40960.93	761.54	41722.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य		2202- General				
शिक्षा	स्वीकृत	Education	Voted:	11.54 (का)	0.01 (खb)	11.55
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552- North Eastern Areas				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		3601- Grants-in-aid to State Governments				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को सहायता अनुदान		3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	11.57	0.01	11.58

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगे गए हैं:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (क) (i) नवोदय विद्यालय समिति: निर्माण संबंधी गतिविधियों आदि पर व्यय के लिए (336.00 करोड़ रुपए).
- (ii) प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता - संशोधित योजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (19.71 करोड़ रुपए)।
- (iii) अभिगम एवं इक्विटी:- स्वैच्छिक संगठनों को प्रतिपूर्ति मामलों के भुगतान हेतु (0.05 करोड़ रुपए)।
- (iv) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना संबंधी व्यय हेतु (1.00 करोड़ रुपए)।
- (v) राष्ट्रीय साधन-सह-योजना छात्रवृत्ति योजना:- छात्रवृत्ति संवितरण संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (11.54 करोड़ रुपए)।

- (a) (i) Navodaya Vidyalaya Samiti: For expenditure on construction activities etc. (336.00 crore).
- (ii) Support to NGO's/Institutions/SRC's for Adult Education & Skill Development: - To meet the additional expenditure on the revised scheme (Rs. 19.71 crore).
- (iii) Access & Equity:- To make payment of reimbursement cases to the voluntary Organisations (Rs. 0.05 crore).
- (iv) For expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs. 1.00 crore).
- (v) National Means cum Merit Scholarship Scheme:- To meet expenditure on disbursement of scholarships (Rs. 11.54 crore)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 356.76 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के पूंजी भाग से 11.54 करोड़ रुपए की राशि के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the savings of Rs. 356.76 crore available within the same section of the grant and surrender of Rs. 11.54 crore from the Capital Section of the grant, there will be no cash outgo.

- (ख) (i) नवोदय विद्यालय समिति: वेतन/पेंशन/बोनस के संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (15.74 करोड़ रुपए)।
 (ii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन: वेतन/पेंशन/बोनस के संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (188.53 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान क उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

- (ग) (i) नवोदय विद्यालय समिति : भवन-निर्माण संबंधी गतिविधियों पर व्यय हेतु (59.00 करोड़ रुपए)।
 (ii) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना संबंधी व्यय हेतु (24.53 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

- (घ) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना संबंधी व्यय हेतु (169.59 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।
 (ङ) राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना संबंधी व्यय हेतु (5.43 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक माँगा गया है।

- (b) (i) Navodaya Vidyalaya Samiti: To meet additional expenditure on account of revision of salary /pension/ bonus (Rs. 15.74 crore).
 (ii) Kendriya Vidyalaya Sangathan: To meet additional expenditure on account of revision of salary/pension/ bonus (Rs. 188.53 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Navodaya Vidyalaya Samiti: For expenditure on construction activities etc. (Rs.59.00 crore).
 (ii) For expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs. 24.53 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) For expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs.169.59 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 (e) For expenditure on National Scheme for Incentive to Girl Child (Rs. 5.43 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिए)।
(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 72 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	10852.87	...	10852.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	554.68	...	554.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.08	...	0.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	11407.63	...	11407.63

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202- General Education	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203- Technical Education	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ङe)	0.01 (चf)	0.02
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (छg)	0.01 (जh)	0.02
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.04	0.04	0.08

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजन हेतु है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (क) (i) मुम्बई विश्वविद्यालय (20.00 करोड़ रुपए); कलकत्ता विश्वविद्यालय (20.00 करोड़ रुपए); और मद्रास विश्वविद्यालय (20.00 करोड़ रुपए) को उत्कृष्ट संस्थानों की योजना तहत सहायता अनुदान;
- (ii) ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना योजना के तहत सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए);
- (iii) हिन्दी शिक्षा मंडल, आगरा योजना के तहत सहायता अनुदान (0.60 करोड़ रुपए); और
- (iv) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग योजना के तहत, लघु निर्माण कार्य और रखरखाव हेतु सहायता अनुदान (0.30 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (a) (i) Grants-in-Aid under the scheme Institutions of Excellence to the University of Mumbai (Rs.20.00 crore); University of Calcutta (Rs.20.00 crore); and University of Madras (Rs.20.00 crore);
- (ii) Grants-in-Aid under the scheme establishment of Rural University (Rs.0.25 crore);
- (iii) Grants-in-Aid under the scheme Hindi Shiksha, Mandal, Agra (Rs.0.60 crore);
- (iv) Grants-in-Aid under the scheme Commission for Scientific and Technical Technology for minor works and maintenance (Rs.0.30 crore).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

- (ख) (1) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान:

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (120.63 करोड़ रुपए);
- (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान (252.39 करोड़ रुपए);

- (b) 1. Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to:
 - (i) University Grants Commission (Rs.120.63 crore);
 - (ii) Grants-in aid to Central Universities (Rs.252.39 crore);

- (iii) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (0.50 करोड़ रुपए);
- (iv) ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना (0.31 करोड़ रुपए);
- (v) भारतीय उन्नत शिक्षा संस्थान शिमला (0.33 करोड़ रुपए);

(vi) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (0.16 करोड़ रुपए); और

(vii) राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (2.43 करोड़ रुपए)।

(2) 'यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया को आयकर तथा सीमा शुल्क की वापसी' योजना के तहत सहायता अनुदान (0.92 करोड़ रुपए);

(3) 'विदेश में शैक्षणिक संस्थान' योजना के तहत, स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु सहायता अनुदान (1.13 करोड़ रुपए); और

(4) 'विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों के लिए विदेश जाने वाले भारतीय स्कॉलर' योजना के तहत, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति यू.के. हेतु सहायता अनुदान (0.11 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।

(ग) (i) 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्' योजना के तहत, जारी कार्यों के लिए सहायता अनुदान (29.97 करोड़ रुपए);

(ii) 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान' योजना के तहत, जारी कार्यों के लिए सहायता अनुदान (39.54 करोड़ रुपए);

(iii) 'भारतीय शिक्षा अनुसंधान विज्ञान संस्थान' योजना के तहत, जारी कार्यों के लिए सहायता अनुदान (25.00 करोड़ रुपए); और

(iv) 'तीन नए आईआईटी की स्थापना' योजना के तहत सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) 1. सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु;

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (191.39 करोड़ रुपए);

(ii) भारतीय प्रबन्ध संस्थान (0.70 करोड़ रुपए);

(iii) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर (30.30 करोड़ रुपए);

(iv) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (1.66 करोड़ रुपए);

(v) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (2.13 करोड़ रुपए);

(vi) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (1.00 करोड़ रुपए); और

(vii) भारतीय खान स्कूल, धनबाद (5.15 करोड़ रुपए)।

2. शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर तथा चेन्नई (0.70 करोड़ रुपए); और

3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (49.70 करोड़ रुपए)।

(iii) Indian Council of Historical Research (0.50 crore);

(iv) Establishment of Rural Universities (Rs.0.31 crore);

(v) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (Rs.0.33 crore);

(vi) Indian Council of Philosophical Research (Rs.0.16 crore);

(vii) National University of Education Planning & Administration (Rs.2.43 crore).

2. Grants-in-aid under the scheme 'Refund of Income Tax and Customs Duty to United States Education Foundation in India' (Rs.0.92 crore);

3. Grants-in-aid under the scheme 'Education Institutions Abroad for establishment related expenditure' (Rs.1.13 crore);

4. Grants-in-aid under the scheme 'Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Govt./ Organisations' for Commonwealth Scholarship UK (Rs.0.11 crore).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) Grants-in-aid under the scheme 'All India Council for Technical Education' on account of ongoing activities (Rs.29.97 crore);

(ii) Grants-in-aid under the scheme 'National Institute of Technology' on account of ongoing activities (Rs.39.54 crore);

(iii) Grants-in-aid under the scheme 'Indian Institutes of Science for Education Research' on account of ongoing activities (Rs.25.00 crore);

(iv) Grants-in-aid under the scheme 'Setting of three new IITs' (Rs.10.00 crore).

As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

(d) 1. Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government to:

(i) Indian Institutes of Technology (Rs.191.39 crore);

(ii) Indian Institutes of Management (Rs.0.70 crore);

(iii) Indian Institute of Science, Bangalore (Rs.30.30 crore);

(iv) National Institute of Industrial Engineering, Mumbai (Rs.1.66 crore);

(v) National Institute of Technical Teachers Training and Research (Rs.2.13 crore);

(vi) Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (Rs.1.00 crore);

(vii) Indian School of Mines, Dhanbad (Rs.5.15 crore).

2. Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai (Rs.0.70 crore);

3. National Institutes of Technology (Rs.49.70 crore).

- चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ड) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 'क्षेत्र सघन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम' योजना के तहत मदरसा को सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (च) सरकार द्वारा यथस्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर को सहायता अनुदान (6.50 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (छ) 'क्षेत्र सघन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम' योजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (18.00 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ज) 'विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमान में सुधार' योजना के तहत, सरकार द्वारा यथस्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतनों के कारण राज्यों को देय भारत सरकार की देयता की पूर्ति हेतु, सहायता अनुदान (59.53 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- (e) Grants-in-aid to Madarasa under the scheme 'Area Intensive and Madarasa Modernization Programme' for NER (Rs.2.00 crore).
- As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- (f) Grants-in-aid to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.6.50 crore).
- As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.
- (g) Grants-in-aid to State Governments under the scheme 'Area Intensive and Madarasa Modernization Programme' (Rs.18.00 crore).
- As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought .
- (h) Grants-in-aid under the scheme 'Improvement in the Scale of University and College Teachers' to meet Government of India's share of liability payable to States on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.59.53 crore).
- As savings are available within the same Section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिए)।
(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	1497.71	412.33	1910.04
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	238.19	...	238.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1735.96	412.33	2148.29
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	1735.93	412.33	2148.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2220-सूचना एवं प्रचार	2220-Information and Publicity	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है :

(क) "भारत निर्माण" हेतु विकास संचार अभियान के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (27.42 करोड़ रुपए)।

(ख) साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं राष्ट्रीय एकीकरण वृद्धि सम्बन्धी मल्टी मीडिया अभियान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (15 करोड़ रुपए)।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा में सुधार हेतु प्रसार भारती को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करना (15.64 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grants are sought:

(a) For meeting additional expenditure under Development Communication Campaign for 'Bharat Nirman' (Rs. 27.42 crore).

(b) For meeting additional expenditure for multimedia Campaign on Communal Harmony and National Integration enhancement (Rs. 15 crore).

(c) For providing additional grants-in-aid to Prasar Bharati for improvement in Network facility in North Eastern Areas (Rs. 15.64 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)।

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 75 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2368.36	129.65	2498.01
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	117.38	625.00	742.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	148.62	2.50	151.12
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2634.38	757.15	3391.53
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2634.36	757.15	3391.51

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
-मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2230-श्रम तथा रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted:	...	148.62 (का)
					148.62
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
6250-अन्य सामाजिक सेवाओं हेतु ऋण	स्वीकृत	6250-Loans for other Social Services	Voted:	2.50 (खb)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	2.50	148.62
					151.12

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2230-श्रम तथा रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted:	...	(-)14.50
					(-)14.50
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
6250-अन्य सामाजिक सेवाओं हेतु ऋण	स्वीकृत	6250-Loans for other Social Services	Voted:	(-)2.50	...
					(-)2.50

इस पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

The supplementary grants are required for the following purposes:

(क) (i) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सम्बन्ध में सरकार के अंशदान के हिस्से की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (200 करोड़ रुपये)।

(a) (i) For meeting additional requirement on Government's share of contribution towards Employees' Pension Scheme, 1995 (Rs.200 crore).

(ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन एवं वर्धित उच्चतम सीमा पर बोनस के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (14.50 करोड़ रुपए)।

(iii) केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन एवं पेंशन के लिए वर्धित व्यय की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करना (3.00 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में 68.88 करोड़ रुपए की बचतों तथा श्रम कल्याण निधि के तहत उपकर संग्रहण से प्राप्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले 14.50 करोड़ रुपए के व्यय का उपयोग करने के बाद, इसमें 134.12 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संस्थान प्रबन्धन समिति (आईएमसी) को एक आईटीआई कवर करने के लिए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को 2.50 करोड़ रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु (2.50 करोड़ रुपए)। इस प्रस्तावित व्यय की भारतीय लोक लेखा में स्थित "सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि" से प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ii) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and bonus on enhanced ceiling(Rs.14 .50 crore).

(iii) Release of additional grants-in-aid to Central Board for Workers Education (CBWE) for meeting enhanced expenditure on account of salaries and pension on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government (Rs.3.00 crore).

After utilizing the savings of Rs.68.88 crore within the same section of the Grant and expenditure of Rs.14.50 crore matched by recoveries from cess collection under the Labour Welfare Fund, this will entail a net cash outgo of Rs.134.12 crore.

(b) For providing interest free loan, upto Rs.2.50 crore per Industrial Training Institute(ITI) to Institute Management Committee(IMC) of the concerned ITI for covering one ITI(Rs.2.50 crore). The proposed expenditure will be matched by recoveries from the "Social and Infrastructure Development Fund" placed in the Public Accounts of India.

मांग संख्या DEMAND NO.61

चुनाव आयोग
ELECTION COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिए)।
(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 77 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	15.50	...	15.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	1.87	...	1.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	1.96	...	1.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	19.33	...	19.33

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	Voted:	...	1.96

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता आयोग की वेबसाइट के अनुरक्षण और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण सहित निर्वाचन आयोग के संस्थापन सम्बन्धी व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on establishment related expenditure of the Election Commission including maintenance of the Commission's website and National voters Awareness Campaign/Training.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 62

विधि एवं न्याय

LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिए)।
(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 78 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान	I. ORIGINAL GRANT				
स्वीकृत	Voted:	685.84	0.03	685.87	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	208.28	...	208.28	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	894.14	0.03	894.17	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat - General Services	Voted:	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित अदेश्यों हेतु अपेक्षित है:

The Supplementary grants are required for the following purposes:

- (क) फरवरी/मार्च, 2009 में अन्तरराष्ट्रीय विधि संघ (आईएलए) के क्षेत्रीय सम्मेलन, 2009 के आयोजन हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपए) जारी करने के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ख) (i) सांविधिक और संसदीय अध्ययन संस्थान की उसके भवन की ड्राइंग/नक्शे तैयार करने हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए) जारी करने हेतु।
- (ii) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विधायी विभाग के राजभाषा स्कन्ध को वेतन बकाया राशियों, एल.टी.सी., तथा मानदेय के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय (0.18 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- (a) For release of additional grants-in-aid to International Law Association (ILA) for organizing Internal Law Association's Regional Conference 2009 in February/March 2009 (Rs.1.50 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) For release of additional grants-in-aid to the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies for preparation of drawings/maps of the Institute's building (Rs.0.15 crore).
- (ii) For meeting additional expenditure to Official Language Wing of the Legislative Department on account of salaries, arrears, LTC and honorarium on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the Government (Rs.0.18 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO.63 (विनियोग) (APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिए)।
(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 80 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित Charged:	58.57	...	58.57
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION:			
	भारित Charged:	12.41	...	12.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित Charged:	8.32	...	8.32
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	भारित Charged:	79.30	...	79.30

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014- Administration of Justice			
	भारित Charged:	...	8.32	8.32

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता यात्रा व्यय एवं व्यावसायिक सेवाओं के तहत प्रतिबद्ध देयताओं सम्बन्धी व्यय सहित भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों के संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure on account of revision of salaries of Hon'ble Chief Justice of India, Hon'ble Judges, officers and staff members of the Supreme Court of India including expenditure on committed liabilities under Travel Expenses and Professional Services.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.64

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 81 देखिए)।
(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 81 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	1931.11	8.31	1939.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	53.63	...	53.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	1984.76	8.31	1993.07

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851-ग्रामीण और लघु उद्योग	2851- Village and Small Industries			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552- North Eastern Areas			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.02

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु की गयी है:

(क) योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, अर्थात् अन्य प्रशासनिक खर्चों पर गुणवत्ता प्रौद्योगिक सहायता संस्थान और कार्यक्रम (1.64 करोड़ रुपए), सब्सिडियों पर ऋण सम्बद्ध पूंजी योजना (16.85 करोड़ रुपए), ऋण सहायता कार्यक्रम- (i) अंशदान (10.43 करोड़ रुपए), (ii) अनुसूचित उप-आयोजना-अंशदान (13.50 करोड़ रुपए), और (iii) जनजातीय उप-आयोजना-अंशदान (8.25 करोड़ रुपए), और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. को सब्सिडियों पर विपणन सहायता योजना (1.60 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम और एमएसएमई ग्रोथ पोल्स के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजना के लिए प्रावधान बढ़ाना और अंशदान के सम्बन्ध में ऋण सहायता कार्यक्रम। (6.73 करोड़ रुपए) चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) to meet additional expenditure under the schemes viz. Quality of Technology Support Institution and Programme on Other Administrative Expenses (Rs. 1.64 crore), Credit Linked Capital Subsidy Scheme on subsidies (Rs. 16.85 crore), Credit Support Programme- (i) Contribution (Rs. 10.43 crore), (ii) SC Sub Plan- Contribution (Rs. 13.50 crore) and (iii) Tribal Sub Plan- Contribution (Rs. 8.25 crore) and Marketing Assistance Scheme on Subsidies (Rs. 1.60 crore) to National Small Industries Corporation Ltd. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) augmentation of provisions for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim in respect of MSME Clusters Development Programme and MSME Growth Poles (Rs.1.55 crore) and Credit Support Programme towards contribution (Rs.6.73 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 65

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 83 देखिए)।
(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 83 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.14	...	0.14
स्वीकृत	Voted:	387.06	51.80	438.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	77.02	...	77.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	26.61	...	26.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	490.83	51.80	542.63
भारित	Charged:	0.14	...	0.14
स्वीकृत	Voted:	490.69	51.80	542.49

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	2853- Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries			
स्वीकृत	Voted:	...	26.61	26.61

यह पूरक अनुदान भारतीय भू सर्वेक्षण (32 करोड़ रुपए) एवं भारतीय खान ब्यूरो (3.36 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। 35.36 करोड़ रुपए की कुल आवश्यकता में से 8.75 करोड़ रुपए की कुल आवश्यकता में से 8.75 करोड़ रुपए अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा अतः शेष राशि के लिए पूरक मांगा गया है। अनुदान के पूंजी भाग में 11 करोड़ रुपए को लेखे में लेने के बाद जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, इस पूरक अनुदान में 15.61 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting the expenditure on salaries in respect of Geological Survey of India (Rs.32 crore) and Indian Bureau of Mines (Rs.3.36 crore). Out of the total requirement of Rs.35.36 crore, an amount of Rs.8.75 crore will be met from savings available within the Revenue Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. After taking into account savings of Rs.11 crore under the Capital Section of the Grant which will be surrendered, the supplementary Grant will entail net cash outgo of Rs.15.61 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.67

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 85 देखिए)।
(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 85 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	593.89	30.20	624.09
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	3.55	...	3.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	597.47	30.20	627.67
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments		Voted:
2810-गैर-पारम्परिक उर्जा स्रोत		स्वीकृत	2810- Non-Conventional Sources of Energy		Voted:
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		स्वीकृत	3451- Secretariat- Economic Services		Voted:
जोड़ (पूरक)		स्वीकृत	Total (Supplementary)		Voted:
ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:		The supplementary grants are sought for:			
(क) राज्य सरकारों को बायोगैस तथा राष्ट्रीय विकास निधि के तहत राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के लिए पूर्व वर्षों के लेखों के निपटान हेतु व्यय की पूर्ति (7.00 करोड़ रुपए)।		(a) Meeting expenses for settlement of accounts of previous years to the State Governments (Rs.7.00 crore) for National Project on Bio-Gas Development under the Biogas and National Development Fund.			
(ख) (i) क्षेत्रीय जांच केन्द्रों को राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों जैसे भारतीय मानक ब्यूरो तथा राष्ट्रीय जांच प्रत्यायन बोर्ड एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं द्वारा जांच सुविधाओं के प्रत्यायन सम्बन्धी (0.15 करोड़ रुपए)।		(b) (i) Regional Test Centres (Rs.0.15 crore) on accreditation of test facilities by the National accreditation bodies such as Bureau of Indian Standards and National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.			
(ii) सौर उर्जा केन्द्र के तहत उपस्कर अधिप्राप्ति एवं अन्य अनुसंधान एवं विकास कार्य (0.20 करोड़ रुपए)।		(ii) Procurement of equipment and other R&D works under Solar Energy Centre (Rs.0.20 crore).			
(iii) फोटो वोल्टिक प्रदर्शन एवं तकनीकी के तहत पुरानी वचनबद्ध देयताएं (0.05 करोड़ रुपए)।		(iii) Old committed liabilities (Rs.0.05 crore) under Photovoltaic Demo & Tech.			
(iv) विन्ड पम्प कार्यक्रम सहायता के तहत पुरानी वचनबद्ध देयताएं (0.85 करोड़ रुपए)।		(iv) Old committed liabilities (Rs.0.85 crore) under Assistance to Wind Pump Programme.			
(v) शहरी एवं कृषि मलबा (नगर मलबा) उर्जा के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (0.30 करोड़ रुपए) का संवितरण।		(v) Disbursement for R&D Projects (Rs.0.30 crore) under Energy from Urban & Agricultural Wastes (Municipal Wastes).			
(vi) अरुणाचल प्रदेश की राज्य सीमा पर स्थित सभी गाँवों को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के तहत सौर विद्युत एवं लघु पनविद्युत परियोजनाओं को बिजली प्रदान करना (25.00 करोड़ रुपए)।		(vi) Providing electricity through Solar power as well as small hydro power projects (Rs.25.00 crore) under the package announced by the Prime Minister to all villages along the state border of Arunachal Pradesh.			
(ग) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वर्धित वेतन के लिए अतिरिक्त निधियाँ (1.88 करोड़ रुपए)।		(c) Additional funds (Rs.1.88 crore) on account of enhanced salary on implementation of Sixth Pay Commission recommendations.			
चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।		As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought.			

मांग संख्या DEMAND NO.68

प्रवासी भारतीय कार्य मन्त्रालय

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 86 देखिए)।
(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 86 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	55.00	10.00	65.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1.38	...	1.38	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	56.40	10.00	66.40	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य	2052-Secretariat General				
सेवाएं	Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2061-विदेशी	2061-External				
मामले	Affairs	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान अपेक्षित है:-

(क) 'उत्प्रवासी महासंरक्षक' के कार्यालय का संस्थापन (3.57 करोड़ रुपए), लघु निर्माण कार्य (0.01 करोड़ रुपए) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (0.78 करोड़ रुपए) संबंधी व्यय।

(ख) निम्नलिखित के संबंध में व्यय: अन्य योजनाओं की योजना के तहत 'अन्य प्रभार' (0.10 करोड़ रुपए), प्रवासी भारतीय नागरिकता (1.60 करोड़ रुपए), 'भारत को जानिए' कार्यक्रम (0.80 करोड़ रुपए), प्रवासी बाल छात्रवृत्ति योजनाएं (3.08 करोड़ रुपए), प्रवासी बच्चों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना (0.02 करोड़ रुपए), जागरूकता अभियान/मीडिया प्लान (7.23 करोड़ रुपए), भारत विकास संस्थान (0.10 करोड़ रुपए), प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र (0.95 करोड़ रुपए), प्रवासी मजदूर संसाधन केन्द्र (0.25 करोड़ रुपए), प्रवासी मजदूरों का प्रस्थान पूर्वाभिमुखीकरण और दक्षता उन्नयन (5.00 करोड़ रुपए), प्रवासी भारतीय केन्द्र (0.50 करोड़ रुपए), प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की स्थापना (0.50 करोड़ रुपए) तथा एनआरआई विवाह से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी सहायता (0.02 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for:-

(a) Expenditure on establishment (Rs. 3.57 crore), Minor Works (Rs. 0.01 crore) and Information Technology (Rs. 0.78 crore) of the Office of "Protector General of Emigrants" (PGE).

(b) Expenditure towards 'Other Charges' under the schemes of Other Schemes (Rs. 0.10 crore), Overseas Citizenship of India (Rs. 1.60 crore), Know India Programme (Rs. 0.80 crore), Scholarship Schemes for Diaspora Children (Rs. 3.08 crore), Promotion of Cultural ties with Diaspora Children (Rs. 0.02 crore), Awareness Campaign/Media Plan (Rs. 7.23 crore), Indian Development Foundation (Rs. 0.10 crore), Overseas Indian Facilitation Centre (Rs. 0.95 crore), Overseas Workers Resource Centre (Rs. 0.25 crore), Pre-Departure Orientation and Skill Up-gradation of Emigrant Worker (Rs. 5.00 crore), Overseas Indian Centres (Rs. 0.50 crore), Setting up Council for Promotion of Overseas Employment (Rs. 0.50 crore) and Legal Assistance to women facing problems in NRI Marriage (Rs. 0.02 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.69

पंचायती राज मंत्रालय
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिए)।
(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 87 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	4780.50	...	4780.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	0.74	...	0.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	4781.25	...	4781.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजना के अतिरिक्त व्यय (11.85 करोड़ रुपए) और कार्यवाई अनुसंधान तथा अनुसंधान अध्ययन (1 करोड़ रुपए) के लिए की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting the additional expenditure on Rashtriya Gram Swaraj Yojana (Rs. 11.85 crore) and Action Research and Research Studies (Rs. 1 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 71

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 89 देखिए)।
(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 89 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT			
	भारित	Charged:	8.27	9.00
	स्वीकृत	Voted:	378.72	47.01
				17.27
				425.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	4.45	...
	स्वीकृत	Voted:	142.55	...
				4.45
				142.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.18	...
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01
				0.18
				0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	534.17	56.02	590.19
	भारित	Charged:	12.90	9.00
	स्वीकृत	Voted:	521.27	47.02
				21.90
				568.29

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services			
भारित	Charged:	...	0.18 (का)	0.18
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.19	0.19
	भारित	Charged:	...	0.18
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01
				0.18
				0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for :

- (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विज्ञापन तथा प्रचार से सम्बद्ध स्थापना व्यय। (a) establishment expenditure relating to Advertising and Publicity of Central Vigilance Commission.

चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समकक्ष राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

- (ख) कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यालय हेतु भूमि खरीद (0.72 करोड़ रुपए)। (b) purchase of land for North Eastern Region office of the Staff Selection Commission (Rs.0.72 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.72

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों की पृष्ठ 90 देखिए)।
(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 90 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	2938.00	...	2938.00
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	65944.54	...	65944.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	10000.00	242.47	10242.47
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	78882.54	242.47	79125.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802- Petroleum	Voted:	...	10000.00(का)
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	...	10000.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4802-पेट्रोलियम पर पूंजी व्यय	4802- Capital Outlay on Petroleum	Voted:	...	242.47(खb)
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section		...	242.47
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted	...	10242.47

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई प्राप्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

8012-विशेष जमा और खाते	स्वीकृत	8012- Special Deposits and Accounts	...	(-)10000.00	(-)10000.00
------------------------	---------	-------------------------------------	-----	-------------	-------------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:-

- (क) (i) संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में तेल-विपणन कम्पनियों की विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु (10,000 करोड़ रुपए), और
- (ii) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लि. (आईओसीएल) के एपीएम अवधि संबंधी आकास्मिक देयता दावों के निपटान हेतु (10.30 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों और प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल) द्वारा निर्गमित बोनस शेयरों में तक के अतिरिक्त इक्विटी निवेश (242.47 करोड़ रुपए) हेतु। इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी और इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:-

- (a) (i) Providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of sensitive petroleum products (Rs.10,000 crore), and
- (ii) Settlement of contingent liability claims of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) and Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) pertaining to APM period (Rs. 10.30 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant and also taking into account the receipts, there shall be no cash outgo.

- (b) Additional equity investment (Rs.242.47 crore) in the bonus shares issued by Gas Authority of India Ltd. (GAIL) This will be matched by receipts and shall not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 74

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 92 और अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 92 of First Supplementary Demands for Grants and page 11 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	6089.20	306.56	6395.76
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	29.80	103.00	132.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	2.05	0.01	2.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	6121.05	409.57	6530.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	2.04 (क) 0.01 (ख)	2.05
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजना पर		4801-Capital Outlay for			
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Power Projects	Voted:	0.01 (ग) ...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	2.05 0.01	2.06

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित हेतु है:

(क) (i) टिहरी-पन बिजली विकास निगम लिमिटेड को विष्णुगढ़ पिपाकोटी विद्युत परियोजना के अध्ययन हेतु जापान नीति तथा मानव संसाधन विकास निधि के अन्तर्गत विश्व बैंक से प्राप्त सहायता की प्रतिपूर्ति (2.04 करोड़ रुपए)।

(ii) ऊर्जा संरक्षण जागरूकता इनाम तथा चित्रकला प्रतिस्पर्धा योजना (18.70 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत 18.70 करोड़ रुपए की बचतें और 2.04 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) पेंशन निधि को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ग) पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कोरपोरेशन के रंगानदी पन विद्युत के चरण को इक्विटी में परिवर्तन के समय पूर्व समायोजन हेतु (36.10 करोड़ रुपए)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होना, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary is sought for :-

(a) (i) Reimbursement of aid received from World Bank under Japan Policy and Human Resource Development Fund (PHRD) to Tehri Hydro Development Corporation Limited (THDC) for studies for Vishnugad Pipakoti Hydro Electric Project (Rs. 2.04 crore).

(ii) Scheme of Energy Conservation Awareness Awards and Painting Competition (Rs. 18.70 crore).

Taking into account savings of Rs. 18.70 crore within Revenue Section of the grant and receipts of Rs. 2.04 crore, there will be no cash outgo.

(b) To provide Grants-in-aid to the National Power Training Institute (NPTI) for strengthening of Pension Fund (Rs. 2.22 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) For carrying out prior period adjustment of conversion of loan into equity (Rs. 361.10 crore) of Ranganadi Hydro Electric Power of North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO.75 विनियोग (APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास एवं भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 93 देखिए)।
(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 93 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित Charged:	20.00	...	20.00
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION:			
	भारित Charged:	3.08	...	3.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित Charged:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	भारित Charged:	23.09	...	23.09

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice-President/Governor, Administrator of Union Territories			
	भारित Charged:	...	0.01	0.01

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता माननीया राष्ट्रपति महोदया द्वारा जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को दिए जाने वाले दान के सम्बन्ध में अनुदानों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है (0.30 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure on grants towards donations by Hon'ble President to needy poor persons (Rs.0.30 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.76

लोक सभा
LOK SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 94 देखिए)।
(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 94 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.44	...	0.44
स्वीकृत	Voted:	323.49	...	323.49
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	24.89	...	24.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	0.20	...	0.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	349.02	...	349.02
भारित	Charged:	0.64	...	0.64
स्वीकृत	Voted:	348.38	...	348.38

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाएं	2011- Parliament/State/ Union Territory Legislatures			
भारित	Charged:	...	0.20	0.20
इस पूरक विनियोग की अपेक्षा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, लोकसभा के सम्बन्ध में घरेलू यात्राओं के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।		The supplementary appropriation is required for expenditure on travel in respect of the Speaker and the Deputy Speaker, Lok Sabha.		
चूंकि अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।		As an equivalent amount shall be surrendered from the Revenue (Voted) Section of the Grant, this will not entail cash outgo.		

मांग संख्या DEMAND NO.77

राज्य सभा
RAJYA SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 95 देखिए)।
(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 95 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.59	...	0.59
	स्वीकृत	Voted:	113.98	...	113.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	10.28	...	10.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.35	...	0.35
	स्वीकृत	Voted:	7.58	...	7.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	132.78	...	132.78	
	भारित	Charged:	0.94	...	0.94
	स्वीकृत	Voted:	131.84	...	131.84

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011-संसद/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011- Parliament/State/ Union Territory Legislatures				
	भारित	Charged:	...	0.35 (का)	0.35
	स्वीकृत	Voted:	...	7.58 (खb)	7.58

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क) दिनांक 1.1.2006 से अध्यक्ष, राज्य सभा के वेतन के संशोधन और अध्यक्ष के अन्य प्रशासनिक व्यय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) meeting additional expenditure on account of revision of salary of the Chairman, Rajya Sabha, w.e.f. 1.1.2006 and Other Administrative Expenses of the Chairman. This will entail cash outgo.

(b) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Pay Commission's recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

संख्या NO.78 (विनियोग) (APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 तथा अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 96 देखिए)।

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 96 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित Charged:	77.81	...	77.81
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION:			
	भारित Charged:	11.54	...	11.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित Charged:	6.34	...	6.34
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	भारित Charged:	95.69	...	95.69

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission			
	भारित Charged:	...	6.34	6.34

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यन्वयन पर वेतनों और वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस का भुगतान, दि.9.1.2009 के राजपत्र अधिसूचना के परिणामस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के वर्धित वेतन/बकायों के भुगतान तथा आयोग द्वारा आयोजित की गयी परीक्षाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting expenditure on implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government and payment of bonus based on enhanced ceiling, payment of enhanced salaries/arrears to the Chairman/Members, Union Public Service Commission consequent upon the Gazette Notification dated 9.1.2009 and for examinations conducted by the Commission.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 79

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 97 देखिए)।

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 97 of First Supplementary Demands for Grants of the Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत Voted:	1.69	...	1.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत Voted:	0.30	...	0.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत Voted:	0.06	...	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत Voted:	2.05	...	2.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक	2012-President, Vice-President, Governor, Administrator of Union Territories			
	स्वीकृत Voted:	...	0.06	0.06

यह पूरक अनुदान उपराष्ट्रपति के आवास और सचिवालय परिसरों में स्वच्छता संबंधी संविदात्मक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on contractual services in the Vice President's House and Secretariat premises towards sanitation.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.80

ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80, वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 98 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 98 of first Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 12 of second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	51569.81	0.50	51570.31
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	39360.57	...	39360.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary) Voted:	90930.42	0.50	90930.92

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2216-आवास निर्माण	स्वीकृत	2216- Housing	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत	2505-Rural Employment	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515- Other Rural Develop- ment Programmes	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3054-सड़क और पुल	स्वीकृत	3054- Roads and Bridges	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) ग्रामीण आवास निर्माण के तहत इन्दिरा आवास योजना पर अतिरिक्त व्यय (1.67 करोड़ रुपये) की पूर्ति हेतु।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय (194.84 करोड़ रुपये) की पूर्ति हेतु।

(ग) डीआरडीए प्रशासन पर अतिरिक्त व्यय (42 करोड़ रुपये) की पूर्ति हेतु।

(घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर अतिरिक्त व्यय (232.64 करोड़ रुपये) की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) for meeting the additional expenditure on Indira Awaas Yojana (Rs.1.67 crore) under Rural Housing;

(b) for meeting the additional expenditure on National Rural Employment Guarantee Schemes (Rs.194.84 crore);

(c) for meeting the additional expenditure on DRDA Administration (Rs.42 crore) ; and

(d) for meeting the additional expenditure on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (Rs.232.64 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.83

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 103 देखिए)।
(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 103 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1723.48	66.90	1790.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	118.15	...	118.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1841.67	66.91	1908.58
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	1841.65	66.91	1908.56

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत 3425-Other Scientific Research	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी अनुसंधान पर पूंजी	स्वीकृत 5425-Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु मांगा गया है:

- (क) (i) 1:10000 के मापक्रम में नई मानचित्र श्रृंखला हेतु भारतीय सर्वेक्षण को (10 करोड़ रुपए), (ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास कार्यक्रम (6 करोड़ रुपए), (iii) प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम; उपस्कर विकास कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन हेतु (8 करोड़ रुपए), (iv) राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को अतिरिक्त सहायता (4 करोड़ रुपए) और (v) सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्जैक्शन्स एंड सिक्योरिटी चेन्नई के तहत सूचना सुरक्षा और बीज लेखन विज्ञान के लिए उन्नत सुविधा और सिनर्जी परियोजनाओं के तहत डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम वेल इन्फ्रारेड फोटो डिटेक्टर्स एरे के लिए (8 करोड़ रुपए)।

- (ख) देहरादून और हैदराबाद में दो केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों के लिए भारतीय सर्वेक्षण को (1.10 करोड़ रुपए)।

- (ग) मरम्मत सहित प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए भारतीय सर्वेक्षण के (3 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उन्हीं भागों में बचतों उपलब्ध है; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for additional grants-in-aid to:

- (a) (i) Survey of India for new map series in the scale of 1:10000 (Rs.10 crore), (ii) Science and Technology Entrepreneurship Development Programme (Rs.6 crore), (iii) Technology Development Programme for Natural Resources Data Management System, Instrument Development Programme and Disaster Management (Rs.8 crore), (iv) additional assistance to various State Councils for Science and Technology Programme (Rs.4 crore) and (v) for the Advanced Facility for Information Security and Cryptology under the Society for Electronics Transactions and Security, Chennai and development of 'Quantum Well Infrared Photo Detectors' array under Synergy Projects (Rs.8 crore).

- (b) Survey of India for two Kendriya Vidyalaya Schools at Dehradun and Hyderabad (Rs.1.10 crore).

- (c) Survey of India for major works including repairs (Rs.3 crore).

As savings are available within the same sections of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.84

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 104 देखिए)।

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 104 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	2071.40	6.60	2078.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	207.09	...	207.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	114.91	...	114.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	2393.40	6.60	2400.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-				
	Economic Services	Voted:	...	0.74 (का)	0.74
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	Voted:	0.01 (खb)	114.16 (गc)	114.17
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	114.90	114.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त व्यय के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (38 करोड़ रुपए) और बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिक प्रबंधन (5 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (142 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय प्रयोगशाला (202 करोड़ रुपए) को वेतन और पेंशन सहायता संबंधी सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 229.84 करोड़ रुपए की बचतों के समायोजन और पूंजी भाग से 2.00 करोड़ रुपए की बचतों के अभ्यर्पण के पश्चात्, इसमें 112.16 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:

(a) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

(b) providing grants-in-aid to the Council for Scientific and Industrial Research for additional expenditure of National Laboratories (Rs.38 crore) and Intellectual Property and Technology Management (Rs.5 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) providing grants-in-aid on account of salaries and pension assistance to Council for Scientific and Industrial Research (Rs.142 crore) and National Laboratories (Rs.202 crore). After adjusting savings of Rs. 229.84 crore available within the same section of the Grant and surrender of savings of Rs. 2 crore from Capital Section, this will entail a net cash outgo of Rs. 112.16 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.85

जैव प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 105 देखिए)।
 (See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 105 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	919.00	...	919.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	12.32	...	12.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	931.33	...	931.33

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425- Other Scientific Research			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की मांग (i) स्नाकोत्तर शिक्षण से सम्बद्ध जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा और शिक्षण, जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम (बीआईटीपी) के कार्यान्वयन और विभिन्न विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण (6 करोड़ रुपए) तथा (ii) निधिपोषित अनुमोदित परियोजनाओं सम्बन्धी पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (3 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत सहायता अनुदान हेतु की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for the grants-in-aid under (i) Biotechnology Education and Training Programme for Post Graduation Teaching, Implementation of Biotechnology Industrial Training Programme (BITP) and strengthening of various universities (Rs.6 crore) and (ii) Environmental Biotechnology Programme for funding approved projects (Rs.3 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 86

पोत परिवहन विभाग

DEPARTMENT OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 106 देखिए)।
(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 106 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT			
	स्वीकृत	Voted:	1052.51	415.24	1467.75
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	17.20	1.30	18.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.04	0.02	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	1069.75	416.56	1486.31

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3051-पोत और दीप		3051- Ports and Light				
स्तम्भ	स्वीकृत	Houses	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
3052-पोत परिवहन	स्वीकृत	3052- Shipping	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
3451- सचिवालय -		3451- Secretariat -				
आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	Economic Services	Voted:	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	0.03	0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4858-इन्जीनियरिंग वस्तुओं		4858- Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय		Engineering				
	स्वीकृत	Industries	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
5051-पत्तन तथा दीप स्तम्भों		5051- Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Ports and Light Houses	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.03	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु मांगा गया है:-

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) पोत परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) हल्दिया चैनल के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को अतिरिक्त तलकर्षण सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए (31.19 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) भारतीय समुद्री अध्ययन संस्थान को अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु (1.90 करोड़ रुपए) और नवसृजित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
- (a) For meeting additional expenditure on account of computerisation in the Department of Shipping (Rs.0.50 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For providing additional dredging subsidy to Kolkata Port Trust for Haldia Channel (Rs. 31.19 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For providing additional Grants-in-aid to Indian Institute of Maritime Studies (Rs.1.90 crore) and Grants-in-aid to the newly

- को सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) सेतुसमुद्रम शिप केनाल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में कोर्ट केस के समर्थन हेतु अधिवक्ताओं के शुल्क हेतु व्यावसायिक सेवाओं की लागत की पूर्ति हेतु (2.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ङ) पोत निर्माण उद्देश्यों हेतु 70 टन एलएल क्रेन की अधिप्राप्ति लागत की पूर्ति हेतु हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. में निवेश (10.90 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (च) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सिविल निर्माण कार्य आदि की अतिरिक्त लागत (9.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- created Indian Maritime University (Rs.1.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) To meet the cost of Professional Services towards lawyers' fees, etc., for defending the court case in respect of Sethusamudram Ship Canal Project (Rs.2.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Towards investment in Hindustan Shipyard Ltd., for meeting procurement cost of 70 Tonne LL Crane for shipbuilding purposes (Rs 10.90 crore). As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.
- (f) To meet additional cost of civil works, etc., (Rs.9.00 crore) in respect of Indian Maritime University. As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 87

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87, वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 107 तथा वर्ष 2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिए)।

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 107 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:		0.50	7.00	7.50
स्वीकृत	Voted:		12956.73	13346.26	26302.99
पूरक अनुदान :	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:		513.22	500.00	1013.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित	Charged:		0.30	3.84	4.14
स्वीकृत	Voted:		454.28	49.50	503.78
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		13925.03	13906.60	27831.63
भारित	Charged:		0.80	10.84	11.64
स्वीकृत	Voted:		13924.23	13895.76	27819.99
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3054-सड़कें एवं पुल	3054-Roads and Bridges	स्वीकृत	Voted :	...	212.41 (का)
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	स्वीकृत	Voted:	...	0.72 (खb)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	भारित	Charged :	...	0.30 (गc)
		स्वीकृत	Voted :	...	241.15 (घd)
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section		...	454.58	454.58
		भारित	Charged :	...	0.30
		स्वीकृत	Voted :	...	454.28
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	स्वीकृत	Voted:	5.00 (ङe)	...
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	भारित	Charged :	3.64 (झf)	0.20 (ञg)
		स्वीकृत	Voted :	...	44.50 (ञh)
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section		8.64	44.70	53.34
		भारित	Charged :	3.64	0.20
		स्वीकृत	Voted :	5.00	44.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		8.64	499.28	507.92
		भारित	Charged :	3.64	0.50
		स्वीकृत	Voted :	5.00	498.78

	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note : The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure:			
पूँजी भाग मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD		
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	-50.50
			-50.50

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes :

- | | |
|--|---|
| <p>(क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) सड़क स्कंध (156.44 करोड़ रुपए) और सीमा सड़क स्कंध (30.32 करोड़ रुपए) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुस्क्षण एवं मरम्मत कार्य; (ii) सामरिक महत्व और सीमा सड़क अनुस्क्षण कार्य (0.11 करोड़ रुपए); तथा (iii) भूटान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों हेतु सहायता अनुदान (26.04 करोड़ रुपए)। उसी मुख्य शीर्ष में उपलब्ध 0.50 करोड़ रुपए की बचत तथा पूँजी (स्वीकृत) भाग से 50.50 करोड़ रुपए की वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें 161.91 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।</p> <p>(ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (5.72 करोड़ रुपए)। चूंकि 5.00 करोड़ रुपए की बचत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः इसमें 0.72 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।</p> <p>(ग) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले में क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु (0.30 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(घ) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किए जाने वाले सड़क कार्य (227.89 करोड़ रुपए); (ii) सड़क अनुस्क्षण और मरम्मत कार्य (0.84 करोड़ रुपए); (iii) सुरक्षा आवरण (11.73 करोड़ रुपए); तथा (iv) एयरलिफ्ट प्रभार (0.69 करोड़ रुपए) इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में "पूर्वोत्तर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" के तहत कवर न की गई सड़क विस्तारों के सम्बन्ध में सड़क विकास कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (6.00 करोड़ रुपए)। चूंकि 1.00 करोड़ रुपए की बचत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः इसमें 5.00 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।</p> <p>(च) वाराणासी मुगलसराय बाइपास के सम्बन्ध में परिनिर्णय के भुगतान हेतु (3.64 करोड़ रुपए)। चूंकि समतुल्य राशि अनुदान के पूँजी स्वीकृत भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इस पूरक में नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(छ) न्यायालयीन मामलों/न्यायाधिकरण निर्णयों में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ज) राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास कार्यों पर वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु (44.50 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) For meeting additional expenditure on (i) Maintenance and repairs of national highways undertaken by Roads Wing (Rs. 156.44 crore) and Border Roads Wing (Rs. 30.32 crore); (ii) Strategic & Border Road maintenance works (Rs. 0.11 crore); and (iii) Grants-in-aid for road works undertaken by Border Roads Development Board in Bhutan (Rs. 26.04 crore). After taking into account savings of Rs. 0.50 crore available in the same major head and enhanced recoveries of Rs. 50.50 crore from Capital (Voted) Section, this will entail a net cash outgo of Rs.161.91 crore.</p> <p>(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations (Rs. 5.72 crore). As saving of Rs. 5.00 crore is available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo Rs. 0.72 crore.</p> <p>(c) For payment of compensation in Motor Accident Claims Tribunal case (Rs. 0.30 crore). This will entail cash outgo.</p> <p>(d) For meeting additional expenditure on (i) road works undertaken by Border Roads Development Board (Rs. 227.89 crore); (ii) Maintenance and repairs of Road (Rs. 0.84 crore); (iii) Security cover (Rs. 11.73 crore); and (iv) Air lift charges (Rs. 0.69 crore). This will entail cash outgo.</p> <p>(e) For meeting additional expenditure on account of Road Development works in the North Eastern Region and Sikkim in respect of road stretches not covered under the "Special Accelerated Road Development Programme in the North East" (Rs. 6.00 crore). As saving of Rs. 1.00 crore is available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo Rs. 5.00 crore.</p> <p>(f) For payment of arbitral award in respect of Varanasi Mughalsarai Bypass (Rs. 3.64 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Voted Section of the grant, the supplementary will not entail cash outgo.</p> <p>(g) For payment of compensation in Cases of Court/Tribunal Verdicts. This will entail cash outgo.</p> <p>(h) For meeting committed expenditure on development works of National Highways (Rs. 44.50 crore). This will entail cash outgo.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 88

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 108 देखिए)।

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 108 of First Supplementary Demands for Grants of the Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	2320.00	139.00	2459.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	12.72	...	12.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	3.30	9.00	12.30
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	2336.02	148.00	2484.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खब)	0.02
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235- Social Security and Welfare	Voted:	...	3.28 (गक)	3.28
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	0.01	3.29	3.30
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	Voted:	9.00 (घद)	...	9.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	9.01	3.29	12.30

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:

- (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति (12.94 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सहायता अनुदान (0.31 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) द्विपक्षीय समझौतों के तहत शुल्क मुक्त प्रेषण के संचालन समाशोधन योजना में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि 0.52 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें 3.28 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (घ) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को अतिरिक्त इक्विटी जारी करने हेतु। चूंकि समतुल्य राशि अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

This Supplementary Grant is sought for :

- (a) Grants-in-aid to Rajiv Gandhi National Fellowship (Rs.12.94 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought .
- (b) Grants-in-aid to National Commission for Backward Classes (Rs.0.31 crore). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought .
- (c) For the scheme of Handling Clearance of duty free consignment under Bilateral Agreements (Rs.3.80 crore). As savings of Rs. 0.52 crore are available in the same Section of the Grant, this will entail a cash outgo of Rs. 3.28 crore.
- (d) For releasing additional equity to the National Handicapped Finance and Development Corporation. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.90

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 वर्ष 2008-09 के पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 111 देखिए)।

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 111 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1874.72	24.28	1899.00	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	56.89	...	56.89	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1931.62	24.28	1955.90	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01

ये पूरक अनुदान भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान जारी करने हेतु अपेक्षित है। (4.78 करोड़ रुपए)

चूंकि अनुदान की उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for release of grants-in-aid to Indian Statistical Institute, Kolkata (Rs.4.78 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.91

इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 112 देखिए)।
 (See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 112 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	104.02	15.50	119.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	2.88	...	2.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	400.20	252.05	652.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	507.10	267.55	774.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted:	...	400.20 (का)	400.20
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4852-लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4852- Capital Outlay on Iron and Steel Industries	Voted:	0.01 (खb)	252.04 (गc)	252.05
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	652.24	652.25

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

(क) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि. के स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. के साथ विलयन के पश्चात कम्पनी के अनुमोदित वित्तीय पुनर्व्यवस्थापन के भाग के रूप में आवश्यक लेखा समायोजनों, जैसे आयोजना-भिन्न ऋण (175.46 करोड़ रुपए) को बड़े खाते डालना और इक्विटी (226.04 करोड़ रुपए) को कम करके दिखाना को पूरा करने के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में 1.30 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं अतः शेष राशि के लिए पूरक अनुदान माँगा गया है। चूंकि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों के द्वारा की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा;

(ख) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि. के अनुमोदित पूंजी पुनर्व्यवस्थापन के भाग के रूप में आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे - भारत सरकार ऋण (16.50 करोड़ रुपए) के इक्विटी में रूपांतरण और समतुल्य राशि के 7 प्रतिशत गैर-संचयी अधिमानी शेयरों के मोचन के संबंध में पूर्ण प्रदत्त इक्विटी (12.05 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु; और

(ग) एनएमडीसी लि. द्वारा निर्गमित बोनस शेयरों (260.04 करोड़ रुपए) के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में 8 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः शेष राशि के लिए पूरक अनुदान माँगा गया है। इसकी प्रतिपूर्ति पूंजी प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) for carrying out necessary accounting adjustments viz. write off of Non-Plan loan (Rs.175.46 crore) and write down of equity (Rs.226.04 crore) in respect of Bharat Refractories Ltd., as part of approved financial restructuring of the company following its merger with the Steel Authority of India Ltd. As savings of Rs.1.30 crore are available within the Revenue Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. As these will be matched by receipts, there will be no cash outgo;

(b) for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loan (Rs.16.50 crore) into equity and fresh issue of fully paid up equity (Rs.12.05 crore) towards redemption of 7% non-cumulative preference shares of equivalent amount, as part of approved capital restructuring of Bharat Refractories Ltd., a token supplementary is sought for this purpose; and

(c) additional equity investment in the form of bonus shares (Rs.260.04 crore) issued by the NMDC Ltd. As savings of Rs.8 crore are available within the Capital Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. As this will be matched by Capital Receipts, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 92

कपड़ा मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92, वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)।

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 113 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 15 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	3064.53	258.98	3323.51
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	1645.05	0.01	1645.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	955.24	107.43	1062.67
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	5664.82	366.42	6031.24

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	स्वीकृत	2851- Village and Small Industries	Voted:	0.01 (खb)	17.45 (गc)	17.46
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted:	14.76 (घd)	908.01 (ड.e)	922.77
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	15.00 (चf)	15.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	14.78	940.46	955.24
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4860- Capital Outlay on Consumer Industries	Voted:	...	0.01 (छg)	0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों हेतु ऋण	स्वीकृत	6860- Loans for Consumer Industries	Voted:	...	107.42 (जh)	107.42
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	...	107.43	107.43
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	14.78	1047.89	1062.67

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

(क) हथकरघा बुनकरों की व्यापक कल्याण योजना (5.17 करोड़ रुपए), विविधीकृत हथकरघा विकास योजना (0.85 करोड़ रुपए), कल्याण और अन्य योजना (11.93 करोड़ रुपए), रेशम उद्योगों का विकास (6 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (6 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए पूर्वोत्तर तथा सिक्किम लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान के अन्तर्गत निधियों की बढ़ोतरी के लिए। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) for augmentation of funds under lumpsum provision for the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim in order to meet the additional expenditure on Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (Rs. 5.17 crore), Diversified Handloom Development Scheme (Rs. 0.85 crore), Welfare and other Scheme (Rs. 11.93 crore), Development of Silk Industries (Rs. 6 crore) and National Institute of Fashion Technology (Rs. 6 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) डिजाइन तथा तकनीकी उन्नयन (2.77 करोड़ रुपए), मिल गेट मूल्य योजना (4.59 करोड़ रुपए), केन्द्रीय रेशम बोर्ड (10 करोड़ रुपए) और पावरलूम उद्योग (2 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सहायता अनुदान (17.45 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) निरीक्षण समिति की विद्यार्थियों की वर्धित संख्या की आवश्यकता की पूर्ति सम्बन्धी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु निफ्ट केन्द्र में मौजूदा आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) पर अतिरिक्त व्यय (40 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत 25.24 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए 14.76 करोड़ रुपए की शेष राशि हेतु पूरक मांग गया है, इसमें नकद व्यय होगा।
- (ङ.) (i) ब्रिटिश इंडिया कोरपोरेशन लि. के सम्बन्ध में कम्पनी के अनुमोदित पूंजी पुनर्संरचना के भाग के रूप में दि. 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार आवश्यक लेखांकन समायोजनों का निष्पादन अर्थात् ब्याज माफी (390.80 करोड़ रुपए)। चूंकि इसे प्राप्ति्यों द्वारा समतुल्य किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा; और
- (ii) ऊन अनुसंधान संघ को बाजार समर्थन प्रचालन और अतिरिक्त सहायता अनुदान (1.71 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय कपास निगम (508.90 करोड़ रुपए) और भारतीय पटसन निगम (6.60 करोड़ रुपए) की सब्सिडी। इसमें 517.21 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (च) संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट दर के अनुदान हेतु योजना पर अतिरिक्त व्यय (15 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (छ) ब्रिटिश इंडिया कोरपोरेशन लि. के सम्बन्ध में अनुमोदित पूंजी पुनर्संरचना आयोजना के भाग के रूप में आवश्यक लेखांकन समायोजन अर्थात् दि. 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के ऋण को इक्विटी में बदलने जैसे आवश्यक लेखांकन समायोजन को निष्पन्न करने के लिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ज) बकाया वेतन तथा मजदूरी के भुगतान हेतु राष्ट्रीय कपड़ा निगम को संसाधन अन्तराल की पूर्ति हेतु (144.99 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत 37.57 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए 107.42 करोड़ रुपए की शेष राशि हेतु पूरक मांगा गया है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (b) to meet the additional expenditure on Design and Technical Upgradation (Rs. 2.77 crore), Mill Gate Price Scheme (Rs. 4.59 crore), Central Silk Board (Rs. 10 crore) and Powerloom Industries (Rs. 2 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) grants-in-aid (Rs. 17.45 crore) to Central Silk Board to meet the additional expenditure on salaries on account of implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government. This will entail cash outgo.
- (d) to meet the additional expenditure on National Institute of Fashion Technology (NIFT) (Rs. 40 crore) towards upgradation of existing infrastructure at NIFT centre for implementation of Oversight Committee's recommendations for meeting the requirement of enhanced number of students. As savings of Rs. 25.24 crore are available within the same Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount of Rs. 14.76 crore. This will entail a cash outgo.
- (e) (i) for carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of interest (Rs. 390.80 crore) as on 31.12.2001 in respect of British India Corporation Ltd., as part of approved capital restructuring plan of the company. As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo; and
- (ii) subsidy to Cotton Corporation of India (Rs. 508.90 crore) and Jute Corporation of India (Rs. 6.60 crore) to meet the additional expenditure on Market Support Operation and additional grants-in-aid (Rs. 1.71 crore) to Wool Research Association. This will entail a cash outgo of Rs. 517.21 crore.
- (f) to meet the additional expenditure (Rs. 15 crore) on the scheme for grant of special rebate at the rate of 10% on sale of accumulated handloom stock. This will entail cash outgo.
- (g) a token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loan (Rs. 249.62 crore) as on 31.12.2001 into equity in respect of British India Corporation Ltd., as part of approved capital restructuring plan of the company.
- (h) to meet the gap-in-resources of National Textile Corporation (Rs. 144.99 crore) towards payment of outstanding salaries and wages. As savings of Rs. 37.57 crore is available within the Capital Section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount of Rs. 107.42 crore. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.93

पर्यटन मंत्रालय
MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 115 देखिए)।
(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 115 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	486.00	561.00	1047.00
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	5.70	...	5.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	12.00	12.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	491.71	573.00	1064.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452- Tourism	Voted:	0.01(का)	...	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5452-पर्यटन पर पूंजी		5452- Capital Outlay on				
परिव्यय	स्वीकृत	Tourism	Voted:	12.00 (खb)	...	12.00
जोड़ (प्रक)		Total (Supplementary)	Voted:	12.01	...	12.01

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगे गए हैं:

(क) इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम)/फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (एफसीआई)/इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट (आईआईटीएम)/नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी (एनसीएचएमसीटी) को सहायता के अंतर्गत चालू योजनाओं/परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है (12 करोड़ रुपए)।

(ख) गन्तव्यों और सर्किटों के उत्पाद/ढांचागत विकास के अंतर्गत चालू योजनाएँ/परियोजनाएँ अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 11.32 करोड़ रुपए की बचतों के उपयोग के पश्चात् शेष राशि की पूर्ति अनुदान के राजस्व भाग से 12.00 करोड़ रुपए अभ्यर्पित करके की जाएगी। अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are sought for;

(a) Central Financial Assistance for on-going schemes/projects under assistance to Institutes of Hotel Management (IHMs)/Food Craft Institute (FCI)/India Institute of Tourism & Travel Management (IITTM)/National Council of Hotel Management Catering Technology (NCHMCT). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought (Rs. 12 crore).

(b) Ongoing schemes/projects under Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits. After utilising savings of Rs.11.32 crore within the same Section of the Grant, balance amount will be met by surrendering Rs.12.00 crore from the Revenue section of the Grant. Hence, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.94

जनजातीय कार्य
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की पहली पूरक मांगें का पृष्ठ 116 देखिए)।

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 116 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1820.49	...	1820.49
	स्वीकृत	Voted:	263.05	50.01	313.06
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	4.27	...	4.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2087.83	50.01	2137.84	
	भारित	Charged:	1820.50	...	1820.50
	स्वीकृत	Voted:	267.33	50.01	317.34

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
स्वीकृत	Voted:	0.01(का)	...	0.01
23601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments			
भारित	Charged:	0.01(खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	...	0.02
भारित	Charged:	0.01	...	0.01
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) (i) अनुसूचित जन जाति वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनओं कार्यान्वयन के लिए क्रीचिंग और संबद्ध योजनाएं और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (3.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः संकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ii) अनुश्रवण और मूल्यांकन योजना के तहत मूल्यांकन उद्ययनों के संचालन के लिए विशिष्टीकृत एजीन्सियों को सहायता अनुदान प्रदान करने (0.25 करोड़ रुपए) और सूचना ओर मास मीडिया योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण हेतु योजनाओं को व्यापक कवरेज देने संबंधी विज्ञापन के व्यय पूर्ति हेतु (0.25 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant /appropriation is sought for the following purposes:

- (a) (i) For providing Grants-in-aid to Non-Governmental Organisations for Scheduled Tribes including Coaching and Allied Schemes and Award for Exemplary service for implementing the various schemes for the welfare of Scheduled Tribes(Rs. 3.50 crore).As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ii) For providing Grants-in-aid to specialized agencies for conducting Evaluation Studies under the Scheme 'Monitoring and Evaluation' (Rs.0.25 crore)and to meet the expenditure of advertisement to give wider coverage to the Schemes for the welfare of Scheduled Tribes under the scheme of Information and Mass Media (Rs.0.25 crore).

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः संकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

- (ख) (i) मूल जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास योजना के तहत विभिन्न राज्यों की संरक्षण तथा विकास (सीसीडी) योजना को आवश्यकता की पूर्ति हेतु (16.00 करोड़ रुपये)
- (ii) अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए की चिंग और संबद्ध योजनाओं के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (0.01 करोड़ रुपये)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः संकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) To meet the requirement of Conservation-cum-Development (CCD) Plan of different States under the scheme 'Development of Primitive Tribal Groups (PTGs)(Rs.16.00 crore).
- (ii) To meet the additional requirement under Coaching and Allied Schemes for the welfare of Scheduled Tribes(0.01 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.95

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 117 देखिए)।
(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 117 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	1234.01	750.83	1984.84
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	116.14	205.00	321.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	243.98	183.95	427.93
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1594.14	1139.78	2733.92	
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	1594.13	1139.78	2733.91

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन	स्वीकृत	2014- Administration of Justice	Voted:	0.53 (का)	...	0.53
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055- Police	Voted:	0.45 (का)	24.58 (का)	25.03
2056-कारावास	स्वीकृत	2056- Jails	Voted:	0.64 (का)	0.36 (का)	1.00
2245-प्राकृतिक आपदाओं संबंधी राहत	स्वीकृत	2245- Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	34.00 (खब)	34.00
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401- Crop Husbandry	Voted:	...	4.75 (का)	4.75
2402-मृदा एवं जल संरक्षण	स्वीकृत	2402- Soil and Water Conservation	Voted:	...	1.33 (का)	1.33
2403-पशु पालन	स्वीकृत	2403- Animal Husbandry	Voted:	0.93 (का)	5.71 (का)	6.64
2405-मात्स्यिकी	स्वीकृत	2405- Fisheries	Voted:	...	1.18 (का)	1.18
2425-सहकारिता	स्वीकृत	2425- Co-operation	Voted:	0.54 (जह)	0.55 (का)	1.09
ग्रामिण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2029-भू-राजस्व	स्वीकृत	2029- Land Revenue	Voted:	...	1.39 (का)	1.39
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215- Water Supply and Sanitation	Voted:	...	1.80 (गक)	1.80
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515- Other Rural Development Programmes	Voted:	3.17 (डे)	...	3.17
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801- Power	Voted:	9.60 (का)	7.90 (का)	17.50
पर्यावरण और वन मंत्रालय		Ministry of Environment and Forests				
2406-वानिकी और वन्य जीव	स्वीकृत	2406- Forestry and Wild Life	Voted:	1.97 (गक)	2.60 (गक)	4.57
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		Ministry of Food Processing Industries				
2408-खाद्य, भंडारण और भांडागारण	स्वीकृत	2408- Food, Storage and Warehousing	Voted:	...	7.77 (घद)	7.77

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण		Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution			
3456-नागरिक आपूर्ति	स्वीकृत	3456-Civil Supplies Voted:	1.10 (का)	0.43 (गं)	1.53
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare			
2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health Voted:	3.80 (का)	6.61 (का)	10.41
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग		Department of School Education and Literacy			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education Voted:	13.29 (का)	8.66 (का)	21.95
उच्च शिक्षा विभाग		Department of Higher Education			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education Voted:	0.10 (ङ)	0.80 (ङ)	0.90
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education Voted:	0.80 (का)	0.75 (का)	1.55
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		Ministry of Women and Child Development			
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare Voted:	...	0.39 (ङ)	0.39
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत	2851-Village and Small Industries Voted:	0.12 (ङ)	...	0.12
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय		Ministry of Labour and Employment			
2230-श्रम एवं रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment Voted:	...	0.73 (का)	0.73
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग		Department of Road Transport and Highways			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services Voted:	...	1.20 (का)	1.20
3054-सड़कें एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges Voted:	3.67 (झ)	3.44 (गं)	7.11
3055-सड़क परिवहन	स्वीकृत	3055-Road Transport Voted:	3.31 (जं)	2.34 (का)	5.65
पोत परिवहन विभाग		Department of Shipping			
3051-पत्तन एवं दीपस्तंभ	स्वीकृत	3051-Ports and Light Houses Voted:	0.50 (का)	6.54 (का)	7.04
3052-पोत परिवहन	स्वीकृत	3052-Shipping Voted:	9.12 (चं)	35.00 (चं)	44.12
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत	3056-Inland Water Transport Voted:	...	0.60 (का)	0.60
नागर विमानन मंत्रालय		Ministry of Civil Aviation			
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation Voted:	1.39 (छं)	1.00 (छं)	2.39
संस्कृति मंत्रालय		Ministry of Culture			
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture Voted:	0.30 (झ)	...	0.30
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development			
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works Voted:	0.74 (का)	18.88 (टं)	19.62
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and Sanitation Voted:	...	0.82 (गं)	0.82
2216-आवास	स्वीकृत	2216-Housing Voted:	...	3.80 (गं)	3.80
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development Voted:	2.00 (झ)	...	2.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section Voted:	58.07	185.91	243.98
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development			
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation Voted:	7.25 (ढ)	...	7.25
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4801-Capital Outlay on Power Projects Voted:	17.55 (ढ)	...	17.55
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग		Department of Road Transport and Highways			
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges Voted:	7.40 (ढ)	...	7.40
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development			
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4216-Capital Outlay on Housing Voted:	150.00 (ढ)	...	150.00

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
जल संसाधन मंत्रालय	Ministry of Water Resources				
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4711- Capital Outlay on Flood Control Projects	Voted:	1.75 (ल)	...	1.75
जोड़ पूंजी	Total Capital	Voted:	183.95		183.95
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	242.02	185.91	427.93
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।					
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.					
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs				
2055-पुलिस	2055-Police	...		-0.07	-0.07
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...		-0.22	-0.22
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
2405-मात्स्यिकी	2405-Fisheries	...		-0.01	-0.01
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power				
2801-विद्युत	2801-Power	...		-0.02	-0.02
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	Ministry of Food Processing Industries				
2408-खाद्य, भंडारण और भांडागारण	2408-Food, Storage and Warehousing	...		-7.77	-7.77
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare				
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...		-0.01	-0.01
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	Department of School Education and Literacy				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...		0.01	0.01
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information & Broadcasting				
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	...		0.01	0.01
पोत परिवहन विभाग	Department of Shipping				
3051-पत्तन और दीपस्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...		-0.07	-0.07
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...		-18.88	-18.88
जोड़ (वसूलियाँ)	Total (Recoveries)	...		-27.03	-27.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है:-

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on :

- | | |
|---|---|
| <p>(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के भुगतान हेतु (107.56 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ख) अस्थाई शरण स्थलों में निवास कर रहे सुनामी प्रभावित लोगों को मुफ्त राशन की आपूर्ति हेतु (34.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अस्थायी मजदूरों, औद्योगिक एवं वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों को मजदूरियों के भुगतान हेतु (14.86 करोड़ रुपए)।</p> <p>(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीद हेतु। वसूलियों में बढ़ोतरी की समतुल्य राशि को देखते हुए व्यय में कोई निवल वृद्धि नहीं हुई है (7.77 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ङ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और अन्य सदस्यता प्राप्त संस्थाओं को (4.58 करोड़ रुपए)।</p> <p>(च) मेनलैंड द्वीप और अंतर द्वीप जलयानों के प्रचालन और रखरखाव हेतु (9.12 करोड़ रुपए) और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को भुगतान हेतु (35.00 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(a) Payment of salaries on the implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (107.56 crore).</p> <p>(b) Supply of free ration to Tsunami affected people residing in temporary shelters (Rs.34.00 crore).</p> <p>(c) Payment of wages to Temporary Status Mazdoors, Industrial and Workcharged employees due to implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations, as accepted by the Government (Rs.14.86 crore).</p> <p>(d) Procurement of foodgrains for the Public Distribution System. After taking into account equal amount of increase in recoveries, there is no net increase in expenditure (Rs.7.77 crore).</p> <p>(e) Panchayati Raj Institutions and other aided institutions (Rs.4.58 crore) for Salaries on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.</p> <p>(f) The operation and maintenance of mainland-Island and inter-island vessels (Rs.9.12 crore) and payment to Shipping Corporation of India Ltd. (Rs.35.00 crore).</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <p>(छ) मेसर्स पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. को हेलीकॉप्टरों के किराया लागत संबंधी भुगतान हेतु।</p> <p>(ज) सहकारी संस्थाओं को सब्सिडियों के भुगतान हेतु।</p> <p>(झ) पंचायती राज संस्थाओं (3.67 करोड़ रुपए), सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद् (2.00 करोड़ रुपए) और विज्ञान केन्द्र के रखरखाव के लिए विज्ञान केन्द्र (0.30 करोड़ रुपए) को भुगतान हेतु।</p> <p>(ञ) सड़क परिवहन विभाग के लिए हाई स्पीड डीजल के लम्बित बिलों के लिए।</p> <p>(ट) स्टॉक प्रयोजन के लिए स्टोर्स की खरीद हेतु। वसूलियों में वृद्धि की समतुल्य राशि को देखते हुए व्यय में कोई निवल वृद्धि नहीं हुई है।</p> <p>(ठ) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति, ग्रामीण जलापूर्ति (7.25 करोड़ रुपए), विद्युत परियोजनाओं (17.55 करोड़ रुपए), सड़कें और पुल (7.40 करोड़ रुपए), सुनामी प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थायी शरणस्थलों का निर्माण (150.00 करोड़ रुपए) और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (1.75 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(g) Payment to M/S Pawan Hans Helicopters Ltd towards chartering cost of helicopters.</p> <p>(h) Payment of Subsidies to Co-operatives.</p> <p>(i) Panchayati Raj Institutions (Rs.3.67 crore), Port Blair Municipal Council (Rs.2.00 crore) for undertaking Tsunami Rehabilitation Programmes and Science Centre (Rs.0.30 crore) for maintenance of Science Centre.</p> <p>(j) Pending bills of HSD oil for Road Transport Department.</p> <p>(k) Procurement of Stores for stock purpose. After taking into account equal amount of increase in recoveries, there is no net increase in expenditure.</p> <p>(l) Accelerated progress of works under Tsunami Rehabilitation Programmes, Rural Water Supply (Rs.7.25 crore), Power Projects (Rs.17.55 crore) Roads and Bridges (Rs.7.40 crore), Construction of permanent shelters for Tsunami affected peoples (Rs.150.00 crore) and Flood Control Projects (Rs.1.75 crore).</p> |
|--|--|

वसूलियां जिन्हें व्यय में से घटाया गया है, के समायोजन के पश्चात् इस पूरक अनुदान में 400.90 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

After adjustment of the recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a cash outgo of Rs.400.90 Crores.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

चंडीगढ़
CHANDIGARH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 101 देखिए)।

(See page 101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009).

				(करोड़ रुपए Rupees in Crore)
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	40.29	0.35	40.64
स्वीकृत	Voted:	1277.34	229.67	1507.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	8.57	...	8.57
स्वीकृत	Voted:	130.42	165.51	295.93
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1456.62	395.53	1852.15
भारित	Charged:	48.86	0.35	49.21
स्वीकृत	Voted:	1407.76	395.18	1802.94

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन		2014-Administration of Justice				
	भारित		Charged:	...	8.17(का)	8.17
	स्वीकृत		Voted:	...	3.00(खb)	3.00
2030- स्टाम्प और पंजीकरण	स्वीकृत	2030-Stamps				
		and Registration	Voted:	...	0.46(गc)	0.46
2039- राज्य उत्पाद शुल्क	स्वीकृत	2039-State Excise	Voted:	...	0.02(घd)	0.02
2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	स्वीकृत	2040- Taxes on Sales, Trade etc.	Voted:	...	0.17(ङ.e)	0.17
2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat-General Services	Voted:	...	0.44(चf)	0.44
2053- जिला प्रशासन	स्वीकृत	2053-District Administration	Voted:	...	0.35(छg)	0.35
2055- पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	1.20(झi)	7.15(जh)	8.35
2056- जेल	स्वीकृत	2056-Jails	Voted:	...	0.86(ञj)	0.86
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	0.11(टk)	0.11
2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग	स्वीकृत	2225-Welfare of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted:	...	0.40(डl)	0.40
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2403- पशुपालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted:	...	0.09(डm)	0.09
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2029- भू-राजस्व	स्वीकृत	2029-Land Revenue	Voted:	...	0.08(ढn)	0.08
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	2.98(णo)	0.08(तp)	3.06
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801- विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	...	51.53 (थq)	51.53

				(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
पर्यावरण और वन मंत्रालय		Ministry of Environment and Forests				
2406- वानिकी और वन्य जीव	स्वीकृत	2406-Forestry and Wild Life	Voted:	...	0.12 (डम)	0.12
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare				
2210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	4.86 (दर)	2.83(डम)	7.68
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग		Department of School Education and Literacy				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	3.61(घस)	8.67(नत)	12.28
2236- पोषण	स्वीकृत	2236-Nutrition	Voted:	2.00(णु)	...	2.00
उच्च शिक्षा विभाग		Department of Higher Education				
2202- सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.67(फव)	7.66(बव)	8.33
2203- तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203-Technical Education	Voted:	...	0.72(भख)	0.72
महिला तथा बाल विकास मंत्रालय		Ministry of Women and Child Development				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	स्वीकृत	2235-Social Security and Welfare	Voted:	...	0.14(मय)	0.14
युवा मामले और खेल मंत्रालय		Ministry of Youth Affairs and Sports				
2204- खेलकूद और युवा मामले	स्वीकृत	2204-Sports and Youth Services	Voted:	...	0.54(यड)	0.54
संस्कृति मंत्रालय		Ministry of Culture				
2205- कला और संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture	Voted:	...	0.76(ककaa)	0.76
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		Ministry of Information and Broadcasting				
2220- सूचना तथा प्रचार	स्वीकृत	2220-Information and Publicity	Voted:	...	0.16(बन)	0.16
श्रम और रोजगार मंत्रालय		Ministry of Labour and Employment				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	...	0.15(डम)	0.15
2230- श्रम और रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted:	...	0.17(डम)	0.17
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
2041- वाहनों पर कर	स्वीकृत	2041-Taxes on Vehicles	Voted:	...	0.29(बन)	0.29
3055- सड़क परिवहन	भारित	3055-Road Transport	Charged:	...	0.40(खखbb)	0.40
			Voted:	...	7.95(गगcc)	7.95
पर्यटन मंत्रालय		Ministry of Tourism				
3452- पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism	Voted:	1.48(घघddd)	...	1.48
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
2059- लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	7.45 (ड.ड.ee)	7.45
2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and Sanitation	Voted:	...	2.52 (चचfff)	2.52
2216- आवास	स्वीकृत	2216-Housing	Voted:	...	2.20(छछggg)	2.20

				(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2217- शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	...	4.61(जजhh)	4.61
संचार और सूचना		Ministry of Communication				
प्रौद्योगिकी मंत्रालय		and Information Technology				
3451- सचिवालय-आर्थिक		3451-Secretariat - Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	1.95(झझiii)	...	1.95
जोड़ - राजस्व भाग		Total - Revenue Section		18.74	120.25	138.99
	भारित		Charged:	...	8.57	8.57
	स्वीकृत		Voted:	18.74	111.68	130.42
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
4055-पुलिस		4055-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Police	Voted:	2.90(जजjj)	0.25(टटkk)	3.15
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
4801-विद्युत परियोजनाओं		4801-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Power Projects	Voted:	11.50 (झझll)	...	11.50
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय		Ministry of Environment				
		and Forests				
4406-वानिकी तथा वन्य जीव		4406-Capital Outlay on Forestry				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	and Wile Life	Voted:	5.00 (डडmm)	...	5.00
स्वास्थ्य और		Ministry of Health				
परिवार कल्याण मंत्रालय		and Family Welfare				
4210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य		4210-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Medical and Public Health	Voted:	6.00(ढढnn)	...	6.00
उच्च शिक्षा		Department of Higher				
विभाग		Education				
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला		4202-Capital Outlay on				
और संस्कृति पर पूंजी		Education, Sports,				
परिव्यय	स्वीकृत	Art and Culture	Voted:	3.64(णणoo)	...	3.64
महिला तथा बाल विकास		Ministry of Women and				
मंत्रालय		Child Development				
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा		4235-Capital outlay on				
कल्याण पर पूंजी	स्वीकृत	Social Security and				
परिव्यय		Welfare	Voted:	1.69(ततpp)	...	1.69
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
4216- आवास पर पूंजी	स्वीकृत	4216-Capital Outlay on				
परिव्यय		Housing	Voted:	89.88(घघqq)	...	89.88
4217- शहरी विकास	स्वीकृत	4217-Capital Outlay				
पर पूंजी परिव्यय		on Urban Development	Voted:	41.65(ददrr)	...	41.65
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता		Ministry of Social Justice				
मंत्रालय		and Empowerment				
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा	स्वीकृत	4235-Capital outlay on				
कल्याण पर पूंजी		Social Security and				
परिव्यय		Welfare	Voted:	3.00(घघss)	...	3.00
जोड़ - पूंजी	स्वीकृत	Total - Capital	Voted:	165.26	0.25	165.51
				184.00	120.50	304.50
जोड़ (पूरक)	भारित	Total (Supplementary)	Charged:	...	8.57	8.57
	स्वीकृत		Voted:	184.00	111.93	295.93

				(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिनका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।						
Note : The above estimates of additional requirement do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.						
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2014-न्याय प्रशासन	स्वीकृत	2014-Administration of Justice	Voted:	...	-17.08	-17.08
स्वास्थ्य और		Ministry of Health				
परिवार कल्याण मंत्रालय		and Family Welfare				
2210- चिकित्सा और		2210-Medical and Public				
जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	Health	Voted:	...	0.75	0.75
श्रम और रोजगार मंत्रालय		Ministry of Labour and				
		Employment				
2210-चिकित्सा और		2210-Medical and				
जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	Public Health	Voted:	...	-1.00	-1.00
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
2059- लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	...	-3.56	-3.56
2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and				
		Sanitation	Voted:	...	-0.61	-0.61
जोड़ - राजस्व भाग	स्वीकृत	Total - Revenue Section	Voted:	...	-21.50	-21.50
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
शहरी विकास		Ministry of Urban				
मंत्रालय		Development				
4217- शहरी विकास पर पूंजी	स्वीकृत	4217-Capital Outlay on				
परिव्यय		Urban Development	Voted:	...	-25.50	-25.50
जोड़ - पूंजी भाग	स्वीकृत	Total - Capital Section	Voted:	...	-25.50	-25.50
कुल जोड़ (वसूलियां)		Total (Recoveries)		...	-47.00	-47.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है:-

- (क) स्थापना सम्बन्धी व्यय (4.80 करोड़ रुपए); यात्रा भत्ता (0.02 करोड़ रुपए); ध्यान, समझौता केन्द्र, विधिक सेवा समिति, कार्यालय व्यय के तहत पंजाब और हरियाणा के न्यायाधीशों हेतु स्टाफ कार की नेटवर्किंग तथा खरीद (2.75 करोड़ रुपए); प्रकाशन सम्बन्धी लम्बित बिलों की निकासी (0.60 करोड़ रुपए);
- (ख) स्थापना सम्बन्धी व्यय (1.55 करोड़ रुपए); यात्रा भत्ता (0.40 करोड़ रुपए); बिजली, जल तथा टेलिफोन के लम्बित बिल (0.75 करोड़ रुपए) और एएसटीए में कार्यरत स्टाफ के लिए बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान (0.20 करोड़ रुपए);
- (ग) न्यायिक/अर्द्ध न्यायिक स्टाम्पों की खरीद।
- (घ) अन्तरंग उपचार के लम्बित बिल।
- (ङ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.15 करोड़ रुपए); अन्तरंग उपचार के लम्बित बिल (0.02 करोड़ रुपए)।
- (च) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.29 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे/बिल (0.09 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.06 करोड़ रुपए)।
- (छ) स्थापना सम्बन्धी व्यय में बढ़ोतरी (0.02 करोड़ रुपए); संविदा पर रखे स्टाफ की मजदूरी का भुगतान (0.09 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.24 करोड़ रुपए)।

The Supplementary Grant/Appropriation is sought for meeting additional expenditure on:-

- (a) Establishment related expenditure (Rs 4.80 crore); T.A.(Rs. 0.02 crore), Meditation, Conciliation Centre, Legal Services Committee, networking and purchase of staff cars for the Judges of Punjab and Haryana High Court under Office Expenses (Rs. 2.75 crore); clearance of pending bills of Publication (Rs. 0.60 crore).
- (b) Establishment related expenditure (Rs.1.55 crore); T.A.(Rs. 0.40 crore); Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.75 crore) and payment of arrears of Pay and allowances for the staff working in ST A (Rs. 0.20 crore).
- (c) Purchase of judicial/non judicial stamps.
- (d) Pending bills of indoor treatment.
- (e) Establishment related expenditure (Rs. 0.15 crore); pending bills of indoor treatment (Rs. 0.02 crore).
- (f) Establishment related expenditure (Rs. 0.29 crore); Medical Claims/bills (Rs. 0.09 crore); Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.06 crore)
- (g) Increase in establishment related expenditure (Rs. 0.02 crore); Payment of wages to contractual staff (Rs. 0.09 crore) Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.24 crore).

- (ज) स्थापना सम्बन्धी व्यय (4.80 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे/बिल (0.50 करोड़ रुपए); यात्रा भत्ता (0.10 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.15 करोड़ रुपए); सचिवालय सेवाओं के अन्तर्गत आसूचना संग्रहण उपकरण की मजबूती तथा स्रोतों का विकास (0.47 करोड़ रुपए); पीओएल (0.20 करोड़ रुपए); वकीलों के लम्बित भुगतान (0.07 करोड़ रुपए); वाहनों के संचालन हेतु 100 कॉप्स और 100 वाहन चालकों की आउटसोर्सिंग और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सुरक्षा हेतु 61 कॉप्स का नियोजन (0.86 करोड़ रुपए)।
- (झ) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान और यातायात पुलिस के लिए हस्तधारित कम्प्यूटरों की खरीद (1.20 करोड़ रुपए);
- (ञ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.19 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.22 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.01 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.04 करोड़ रुपए); जेल फैक्ट्री का आधुनिकीकरण और मशीनरी की खरीद (0.40 करोड़ रुपए);
- (ट) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.05 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.06 करोड़ रुपए)।
- (ठ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.09 करोड़ रुपए); छात्रवृत्तियों की दरों में मासिक 30/-रु. से बढ़ोतरी कर 250/-रु. करना और लाभग्राहियों में बढ़ोतरी (0.31 करोड़ रुपए)।
- (ड) स्थापना सम्बन्धी व्यय।
- (ढ़) विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल।
- (ण) गांव मक्खनमाजरा में जंज घर का निर्माण, गन्दा नाला की आरसीसी दीवार और गांव मौली जागरण में गन्दा नाला पर पुल निर्माण और खेल परिसर हेतु।
- (त) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.02 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.06 करोड़ रुपए)।
- (थ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.42 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.04 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.01 करोड़ रुपए); यात्रा भत्ता पर अतिरिक्त व्यय (0.01 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.05 करोड़ रुपए); ऊर्जा के लम्बित बिल और नए पावर कनेक्शन की खरीद कारण ऊर्जा तथा ऊर्जा इनपुट में बढ़ोतरी (49.50 करोड़ रुपए); पुराने एलडी सिस्टम का रख रखाव और नई आधारभूत संरचना का जुड़ाव (1.50 करोड़ रुपए);
- (द) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.30 करोड़ रुपए); विभिन्न औषधालयों में सरकारी मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल में दवाओं तथा अन्य सामग्री की खरीद और सरकारी मेडिकल कालेज तथा अस्पताल की नेटवर्किंग (4.00 करोड़ रुपए); सेवा प्रयोक्ता के जरिए संविदा आधार पर नियुक्त स्टाफ को भुगतान (0.47 करोड़ रुपए); और विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान (0.08 करोड़ रुपए)।
- (ध) स्थापना सम्बन्धी व्यय (1.34 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (1.20 करोड़ रुपए); छात्रवृत्तियों की दरों में प्रतिमाह 30/-रु. से 250/-रु. की बढ़ोतरी तथा लाभग्राहियों में बढ़ोतरी (0.27 करोड़ रुपए); सर्वशिक्षा अभियान के तहत व्यय का वहन (0.80 करोड़ रुपए)।
- (h) Establishment related expenditure (Rs. 4.80 crore); Medical Claims/bills (Rs. 0.50 crore); TA (Rs. 0.10 crore); Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.15 crore); strengthening out intelligence gathering apparatus and development of sources under Secret Services (Rs. 0.47 crore); POL (Rs. 0.20 crore); pending payment of lawyers (Rs. 0.07 crores); outsourcing of 100 Cops and 100 Drivers for operation vehicles and employment of 61 Cops for security of Punjab and Haryana High Court (Rs. 0.86 crore).
- (i) Payment of spectrum charges of Rs. 50.00 lacs to the Ministry of Home Affairs, New Delhi and purchase of hand held computers for traffic police (Rs. 1.20 crore).
- (j) Establishment related expenditure (Rs. 0.19 crore); Payment of wages to contractual staff (Rs. 0.22 crore); Medical Claims (Rs. 0.01 crore); pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs. 0.04 crore); modernization of Jail factory and purchase of machinery (Rs. 0.40 crore)
- (k) Establishment related expenditure (Rs. 0.05 crore); Pending bills of Electricity, Water & Telephone etc. (Rs. 0.06 crore).
- (l) Establishment related expenditure (Rs. 0.09 crore); enhancement in rates of scholarships from Rs. 30/- to Rs. 250/- per month and increase in beneficiaries (Rs. 0.31 crore).
- (m) Establishment related expenditure.
- (n) Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc.
- (o) Construction of Janj Ghar in village Makhanmajra, construction of RCC walls of Ganda Nallah and bridge on Ganda Nallah in village Mauli Jagran and for sports complex.
- (p) Establishment related expenditure (Rs. 0.02 crore); Pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.06 crore).
- (q) Establishment related expenditure (Rs. 0.42 crore); Payment of wages to contractual staff (Rs. 0.04 crore); Medical Claims (Rs. 0.01 crore); Additional expenditure on TA (Rs. 0.01 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.05 crore); pending bills of energy and increase in energy input due to purchase of new power connections (Rs. 49.50 crore); maintenance of old LD system and addition of new infrastructure (Rs. 1.50 crore).
- (r) Establishment related expenditure (Rs. 0.30 crore); purchase of medicines and other material in Govt. Multi-Specialty Hospital, in various dispensaries and for networking of Govt. Medical College and Hospital (Rs. 4.00 crore); payment of staff employed on contract basis through service provider (Rs. 0.47 crore) and for Grants-in-aid to various institutions (Rs. 0.08 crore).
- (s) Establishment related expenditure (Rs. 1.34 crore); payment of wages to the contractual staff (Rs. 1.20 crore); enhancement in rates of scholarships from Rs. 30/- to Rs. 250/- per month and increase in beneficiaries (Rs. 0.27 crore); share of expenditure under Sarv Siksha Abhiyan (Rs. 0.80 crore).

- (न) स्थापना सम्बन्धी व्यय (5.19 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.10 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.23 करोड़ रुपए); खरीद सामग्री के लम्बित बिलों का निपटान (0.40 करोड़ रुपए); छात्रवृत्तियों की दरों में प्रतिमाह 30/- से बढ़ोतरी कर 250/- रु. करना और लाभग्राहियों में बढ़ोतरी (2.17 करोड़ रुपए) तथा विभिन्न सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत स्टाफ के बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान (0.58 करोड़ रुपए)।
- (प) मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत व्यय का वहन।
- (फ) संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.21 करोड़ रुपए); और खरीद की गयी सामग्री के लम्बित बिल (0.46 करोड़ रुपए);
- (ब) स्थापना सम्बन्धी व्यय (4.15 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.12 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.27 करोड़ रुपए); और खरीद की गयी सामग्री के लम्बित बिल (0.73 करोड़ रुपए); विभिन्न सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत स्टाफ के बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान (2.39 करोड़ रुपए);
- (भ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.58 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.01 करोड़ रुपए); वकीलों के लम्बित बिल (0.03 करोड़ रुपए); पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ के बकाया वेतन तथा भत्तों का भुगतान (0.10 करोड़ रुपए);
- (म) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.02 करोड़ रुपए); सहायता अनुदान की प्राप्ति में लाभग्राहियों की संख्या में बढ़ोतरी (0.03 करोड़ रुपए) और विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.09 करोड़ रुपए);
- (य) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.36 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.18 करोड़ रुपए);
- (कक) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.25 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.03 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.05 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.32 करोड़ रुपए) और खरीद की गयी सामग्री के लम्बित बिल (0.11 करोड़ रुपए);
- (खख) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान (0.40 करोड़ रुपए);
- (गग) स्थापना सम्बन्धी व्यय (3.23 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे बिल (0.10 करोड़ रुपए); पीओएल (1.67 करोड़ रुपए); वाहन चालकों तथा कंडक्टरों हेतु यूनीफार्म की खरीद, कलपूजों और टायर/ट्यूब की खरीद तथा अन्य लम्बित बिल (2.30 करोड़ रुपए); पार्किंग शुल्क की दरों में बढ़ोतरी, पथकर, अनुज्ञा शुल्क आदि (0.65 करोड़ रुपए);
- (घघ) चंडीगढ़ कार्नीवल, फिल्म कार्नीवल, रोज फेस्टिवल और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा पर्यटन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- (डड) स्थापना सम्बन्धी व्यय (2.88 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.90 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.11 करोड़ रुपए); विद्युत, जल तथा टेलीफोन आदि के लम्बित बिल (0.14 करोड़ रुपए); प्रशासन के गैर-आवासीय भवनों में विभिन्न रख रखाव निर्माण कार्य (1.90 करोड़ रुपए); केन्द्रीय भंडार हेतु सामग्री खरीद (1.50 करोड़ रुपए); किराए से सम्बद्ध भुगतान (0.02 करोड़ रुपए);
- (t) Establishment related expenditure (Rs. 5.19 crore); Medical Claims (Rs. 0.10 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.23 crore); to clear the pending bills of material purchased (Rs. 0.40 crore), enhancement in rates of scholarships from Rs. 30/- to Rs. 250/- per month and increase in beneficiaries (Rs. 2.17 crore); payment of arrears of Pay and Allowances for the staff working in various aided schools (Rs. 0.58 crore).
- (u) Sharing of expenditure under mid-day meal scheme.
- (v) Payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.21 crore); and pending bills of material purchased (Rs. 0.46 crore).
- (w) Establishment related expenditure (Rs. 4.15 crore); Medical Claims (Rs. 0.12 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.27 crore); and pending bills of material purchased (Rs. 0.73 crore), for the payment of arrears of Pay and Allowances for the staff working in various aided schools (Rs. 2.39 crore).
- (x) Establishment related expenditure (Rs. 0.58 crore); Medical Claims (Rs. 0.01 crore); pending bills of lawyers (Rs. 0.03 crore); payment of arrears of Pay and Allowances for the staff working in Punjab Engineering College (Rs. 0.10 crore).
- (y) Establishment related expenditure (Rs. 0.02 crore); increase in number of beneficiaries in receipt of Grants-in-aid (Rs. 0.03 crore); pending electricity, water and telephone bills etc. (Rs. 0.09 crore).
- (z) Establishment related expenditure (Rs. 0.36 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. and other pending bills (Rs. 0.18 crore).
- (aa) Establishment related expenditure (Rs. 0.25 crore); payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.03 crore); Medical Claims (Rs. 0.05 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. (Rs. 0.32 crore); and pending bills of material purchased (Rs. 0.11 crore).
- (bb) Payment of compensation awarded by Motor Accidents Claims Tribunal (Rs. 0.40 crore);
- (cc) Establishment related expenditure (Rs. 3.23 crore); Medical Claims/bills (Rs. 0.10 crore); POL (Rs. 1.67 crore); purchase of Uniforms for the drivers and conductors, purchase of spare parts and tyre /tubes and other pending bills (Rs. 2.30 crore); increase in rates of parking fee, toll tax, permit fee etc. (Rs. 0.65 crore).
- (dd) Promoting tourism and cultural activities by holding Chandigarh Carnival, Film Carnival, Rose Festival and other cultural programmes.
- (ee) Establishment related expenditure (Rs. 2.88 crore); payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.90 crore); Medical Claims (Rs. 0.11 crore); pending bills of Electricity, Water and Telephone etc. and other pending payments (Rs. 0.14 crore); various maintenance works in non residential buildings of the Administration (Rs. 1.90 crore); purchase of material for central stores (Rs. 1.50 crore); other payments relating to rents (Rs. 0.02 crore).

- (चच) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.42 करोड़ रुपए); संविदा स्टाफ को मजदूरी का भुगतान (0.09 करोड़ रुपए); जलापूर्ति लाइनों तथा मलव्ययन शोधन का रखरखाव (1.51 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय स्टोर सामग्री खरीद (0.50 करोड़ रुपए)।
- (छछ) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.06 करोड़ रुपए); चिकित्सा दावे (0.01 करोड़ रुपए); यात्रा भत्ता (0.03 करोड़ रुपए); चंडीगढ़ में सरकारी भवनों का रखरखाव (2.10 करोड़ रुपए);
- (जज) स्थापना सम्बन्धी व्यय (0.06 करोड़ रुपए); नगर निगम, चंडीगढ़ को भुगतान किया जाने वाला अनुदान (4.55 करोड़ रुपए)।
- (झझ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नए सम्पर्क केन्द्रों को खोलना।
- (ञञ) विभिन्न पुलिस स्टेशनों का उन्नयन (0.90 करोड़ रुपए) श्रेणी II वर्गों के 76 पुलिस घरों के निर्माण कार्य को पूरा करना (2.00 करोड़ रुपए)।
- (टट) पुलिस विभाग में प्रचालनात्मक वाहनों की खरीद।
- (ठठ) मौजूदा ट्रांसफार्मरों के स्थान पर आरजीटीपी की ट्रांसफार्मेशन क्षमता का उन्नयन और ट्रांसफार्मरों सिविल सचिवालय, सेक्टर 1 तथा 12 चंडीगढ़ में ट्रांसफार्मरों का पुनःस्थापन।
- (डड) जलीय पार्क के लिए गांव कैम्बवाला में और अधिक भूमि का अधिग्रहण।
- (ढढ) सरकारी मेडिकल कालेज तथा अस्पताल में एमआरआई उपस्कर का अधिग्रहण (2.00 करोड़ रुपए); सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी हास्पिटल में कम्प्यूटरीकृत रेडियोलोजी प्रणाली की खरीद (0.50 करोड़ रुपए); सरकारी मेडिकल कालेज और हास्पिटल का कार्य पूरा करना (2.00 करोड़ रुपए); मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल के नए ओपीडी ब्लॉक का निर्माण (0.75 करोड़ रुपए) और स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस की खरीद (0.75 करोड़ रुपए)।
- (णण) विभिन्न सरकारी हाई स्कूलों तथा सेकेण्डरी स्कूलों का निर्माण कार्य पूर्ण जिसमें प्रसाधनों का सुधार, पेयजलापूर्ति तथा विभिन्न अन्य सम्बद्ध कार्यों को उपलब्ध कराना शामिल है।
- (तत) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र का निर्माण और कामकाजी महिला छात्रावास के चालू निर्माण कार्य को पूरा करना।
- (घघ) विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न श्रेणियों के 180 सरकारी भवनों का निर्माण कार्य पूरा करना (9.35 करोड़ रुपए) और जेएनएनयूआरएम के तहत गन्दी बस्तियों के पुनर्वास की परियोजना सम्बन्धी योजना का कार्यान्वयन (80.53 करोड़ रुपए)।
- (दद) विभिन्न चालू निर्माण कार्यों का निष्पादन अर्थात् टैगोर थियेटर भवन का पुनरुद्धार, सड़कों तथा पुलों का रखरखाव राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क और सारंगपुर सांस्थानिक क्षेत्र के विकास हेतु।
- (धध) मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के क्षेत्रीय संस्थान के निर्माण हेतु निर्माण कार्यों का निष्पादन।
- (ff) Establishment related expenditure (Rs. 0.42 crore); payment of wages to the contractual staff (Rs. 0.09 crore); maintenance of water supply lines and sewerage treatment lines (Rs. 1.51 crore) and purchase of material for central stores (Rs. 0.50 crore).
- (gg) Establishment related expenditure (Rs. 0.06 crore); Medical Claims (Rs. 0.01 crore); T.A.(Rs. 0.03 crore); maintenance of Govt. houses in Chandigarh (Rs. 2.10 crore).
- (hh) Establishment related expenditure (Rs. 0.06 crore); grant to be paid to Municipal Corporation, Chandigarh (Rs. 4.55 crore).
- (ii) Opening of new Sampark Centres by the Information Technology Department.
- (jj) Upgradation of various police stations (Rs. 0.90 core) and completion of construction of 76 police houses of type-II categories (Rs. 2.00 crore).
- (kk) Purchase of operational vehicles in police department.
- (ll) Upgradation of transformation capacity of RGTP by replacing the existing transformers and reinstallation of transformers at Civil Secretariat, Sector 1 and 12, Chandigarh.
- (mm) Acquisition of more land in village Kaimbwala for Aquatic Park.
- (nn) Acquisition of MRI equipment in Govt. Medical College and Hospital, (Rs. 2.00 crore); purchase of computerized Radiology System in Govt. Multi-Specialty Hospital, (Rs. 0.50 crore); completion of Govt. Medical College and Hospital, (Rs. 2.00 crore); completion of construction of new OPD Block of Multi Specialty Hospital, (Rs. 0.75 crore) and purchase of ambulances in Health Department (Rs. 0.75 crore).
- (oo) Completion of construction of various Govt. High Schools and Secondary Schools including renovation of toilets, providing drinking water supply and various other allied works.
- (pp) Construction of Vocational Training-cum-Production Centre, and completion of ongoing works of Working Women Hostel.
- (qq) Completion of construction of 180 number of Govt. houses of various categories in various Sectors (Rs. 9.35 crore) and implementation of scheme "Slum Rehabilitation Project under JNNURM" (Rs. 80.53 crore).
- (rr) Execution of various on-going works i.e. renovation of Tagore Theatre Building, maintenance of roads and bridges, Rajiv Gandhi Technology Park and for development of Sarangpur Institutional Area.
- (ss) Execution of works being carried out for the construction of Regional Institute for Mentally Challenged Children.

वसूलियों के समायोजन के बाद व्यय के कटौती के रूप में, इस पूरक में 257.50 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

After adjustment of recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 257.50 Crores.

मांग संख्या DEMAND NO.97
दादरा और नागर हवेली
DADRA AND NAGAR HAVELI

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पूरक मांगों की पहली बैच का पृष्ठ 119 देखिए)।

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government and page 119 of first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	1079.63	31.35	1110.98
पूरक अनुदान	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	14.18	...	14.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	361.06	4.00	365.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	1454.87	35.35	1490.22

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
2055-पुलिस	2055-Police	Voted:	...	1.35 (का)
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	1.00 (खb)	...
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801-विद्युत	2801-Power	Voted:	0.44 (गc)	338.23 (घd)
पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	Ministry of Environment and Forests			
2406-वानिकी तथा वन्य जीव	2406-Forestry and Wild Life	Voted:	...	0.40 (का)
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare			
2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	Voted:	1.90 (ड.e)	...
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	Department of School Education and Literacy			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	Voted:	3.95 (चf)	2.65 (का)
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways			
3054-सड़कें तथा पुल	3054-Roads and Bridges	Voted:	11.00 (छg)	0.14 (का)
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	18.29	342.77
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	Voted:	0.50 (जh)	...

				(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare				
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	4210- Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	1.00 (झा)	...	1.00
पर पूंजी परिव्यय						
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
5054-सड़क एवं पुल पर पूंजी	स्वीकृत	5054- Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	2.00 (जज)	...	2.00
परिव्यय						
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर	स्वीकृत	4059- Capital Outlay on Public Works	Voted:	0.50 (टक)	...	0.50
पूंजी परिव्यय						
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	4.00	...	4.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	22.29	342.77	365.06

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801- Power

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित से सम्बन्धित अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on :

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर वेतन एवं बकाया।

(a) Salaries and arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by Government.

(ख) जिला पंचायत को विकास भवन निर्माण, विपणन केन्द्र, सामुदायिक भवनों एवं अन्य स्वच्छता कार्यों पर वचनबद्ध व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान।

(b) Grants-in-aid to District Panchayat for meeting the committed expenditure on construction of Vikas Bhavan, Marketing Centre, Community Halls and other Sanitation Work.

(ग) सिलवासा नगर परिषद् को सड़क रोशनी कार्यों के वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।

(c) Grants-in-aid to Silvassa Municipal Council for meeting the committed expenditure of street light works.

(घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और बकाया (0.10 करोड़ रुपए); और केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की खरीद हेतु (338.13 करोड़ रुपए)।

(d) Salaries and arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by Government (Rs. 0.10 crore) and for purchase of Power from Central Power Generating Stations (Rs. 338.13 crore).

(ङ) विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल, सिलवासा के लिए दवाइयों, सर्जरी सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री आदि की खरीद हेतु (1.00 करोड़ रुपए) तथा अस्पताल में लगे संविदात्मक डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ को बकाया पारिश्रमिक का भुगतान (0.90 करोड़ रुपए)।

(e) Purchase of medicines, surgical materials, laboratory materials etc. for Vinoba Bhawe Civil Hospital, Silvassa (Rs. 1.00 crore) and payment of pending remuneration to contractual Doctors, Specialists, Nurses and other Para Medical staff engaged in the Hospital (Rs. 0.90 crore).

(च) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और बकाया (0.95 करोड़ रुपए); सर्वशिक्षा अभियान समिति को संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के सम्बन्ध में सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए) तथा जिला पंचायत को इस क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों को चालू निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)।

(f) Salaries and arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by Government (Rs. 0.95 crore); Grants-in-aid to Sarva Shiksha Abhiyan Society towards the U.T. share (Rs. 2.00 crore) and Grants-in-aid to District Panchayat for completing on-going construction work of Primary schools in the Territory (Rs. 1.00 crore).

(छ) सिलवासा नगर परिषद् को सड़क, जल निकास, विभाजक आदि के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (4.00 करोड़ रुपए) तथा पंचायत

(g) Grants-in-aid to Silvassa Municipal Council for construction of Roads, drainage, dividers etc (Rs. 4.00

को इस संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ग्राम सड़कों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (7.00 करोड़ रुपए)।

(ज) विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण।

(झ) एएनएम उपकेन्द्रों में प्रसूति कक्षों का निर्माण सिविल हॉस्पिटल में ओपीडी भाग का विस्तारण, अस्पताल में टॉयलेट ब्लॉक्स का निर्माण आदि।

(ञ) जिला सड़कों एवं पुलों का निर्माण, सुदृढीकरण और चौड़ीकरण।

(ट) राज्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 19 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण।

crore) and Grants-in-aid to Panchayats for construction of village roads in various villages of this Union Territory (Rs. 7.00 crore).

(h) Construction of Electrical Sub-Stations.

(i) Construction of Labour Rooms in ANM sub-centres, extension of OPD Section in Civil Hospital, construction of toilet blocks in the Hospital etc.

(j) Construction, strengthening and widening of District Roads and Bridges.

(k) Construction of 19 Anganwadi Centres at various places in the Territory.

व्यय की कटौती के रूप में ली गई वसूलियों के समायोजन के बाद इस पूरक में 271.93 करोड़ रुपए का नगद व्यय होगा।

After adjustment of the recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a cash outgo of Rs. 271.93 crores.

मांग संख्या DEMAND NO. 98

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पूरक मांगों की पहली बैच का पृष्ठ 122 देखिए)।
(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government and page 122 of first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	493.58	47.27	540.85
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	12.03	...	12.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	141.72	8.20	149.92
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	647.33	55.47	702.80
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515-Other Rural Development Programmes	Voted:	1.59 (का)	... 1.59
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power			
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	... 125.50 (खb)	125.50
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare			
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	1.30 (गc)	... 1.30
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग		Department of School Education and Literacy			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.83 (घd)	... 0.83
उच्च शिक्षा विभाग		Department of Higher Education			
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	0.50 (ङe)	... 0.50
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways			
3054-सड़क एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	6.00 (चf)	0.50 (छg) 6.50
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development			
2059-लोक निर्माण	स्वीकृत	2059-Public Works	Voted:	... 0.50 (जh)	0.50
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	3.00 (झi)	2.00 (ञj) 5.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	13.22	128.50 141.72

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4801- Capital Outlay on Power Projects	Voted:	2.20(ःक)	...	2.20
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय		Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises				
4885-उद्योग एवं खनिजों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4885- Capital Outlay on Industries and Minerals	Voted:	2.00(ःक)	...	2.00
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		Ministry of Road Transport and Highways				
5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5054- Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	4.00(ःकम)	...	4.00
जोड़ पूजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted	8.20	...	8.20
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted	21.42	128.50	149.92

अतिरिक्त आवश्यकताओं के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शायी गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power	Voted:	...	-41.60	-41.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:-

- (क) जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत पंचायत घरों, टॉयलेट ब्लॉक्स के निर्माण के लिए सहायता अनुदान।
- (ख) दमन एवं दीव के उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए मागरवाडा, रैगनवाडा और डालवाडा, ननी दमन के सब-स्टेशन, सड़क रोशनी की मरम्मत एवं अनुरक्षण (0.50 करोड़ रुपए) तथा उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक विद्युत स्टेशनों से विद्युत की थोक खरीद (125.00 करोड़ रुपए)। इसमें से 41.60 करोड़ रुपए की राशि कटौती वसूलियों के रूप में पूर्णतः वसूल हो जाएगी तथा 83.40 करोड़ रुपए वर्तमान वित्त वर्ष 2008-09 अर्थात् अप्रैल से जुलाई, 2008 के प्रथम चार महीनों के दौरान बिजली विभाग द्वारा उठाए गए घाटे के कारण समायोजित किया जाएगा।
- (ग) लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए डिजिटल एक्सरे मशीन, दवाइयों, सर्जरी के उपस्कर इत्यादि की खरीद, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), मोती दमन तथा सरकारी अस्पताल मारवाड, ननी दमन की गृह-व्यवस्था और सफाई की आउट सोर्सिंग हेतु भुगतान तथा सरकारी चिकित्सा डिपो को दवाइयां इत्यादि की खरीद के लिए बकाया बिलों का निपटान।
- (घ) जिला पंचायत दमन एवं दीव को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से हेतु सहायता अनुदान।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on:-

- (a) Grants-in-aid to District Panchayat for construction of Panchayat Ghars, toilet blocks under the Sanitation Programme in Rural area.
- (b) Maintenance and repairs of street light, Sub-station of Magarwada, Raiganwada & Dalwada, Nani Daman for uninterrupted power supply to consumers of Daman and Diu (Rs.0.50 crore) and for purchase of bulk power from Central Sector Power stations to meet the requirement of power for Industries and other consumers (Rs.125.00 crore). Out of this, an amount of Rs.41.60 crore will be fully recovered as deduct recoveries and Rs.83.40 crore will be adjusted on account of loss suffered by Electricity Department during the first four months of the current financial year 2008-09 i.e. April to July, 2008.
- (c) Purchase of Digital 'X' Ray machine, medicines, surgical equipments etc. for providing better medical facilities to the people; payment for out sourcing of housekeeping and cleaning of Community Health Centre (CHC) and Primary Health Centre (PHC), Moti Daman and Government Hospital, Marwad, Nani Daman; settlement of pending bills for Government Medical Depot for purchase of medicines etc.
- (d) Grants-in-aid to District Panchayat, Daman and Diu for UT share of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).

- | | |
|---|---|
| (इ) नवीनतम उपस्कर एवं अधिगम सामग्री, फर्निचर इत्यादि प्रदान करने के लिए चार उच्च माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन तथा दमन एवं दीव संघ राज्य में अन्य माध्यमिक विद्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत। | (e) Upgradation of four Higher Secondary Schools for providing latest equipments and learning materials, furniture etc. and maintenance and repairs of other Secondary Schools in the UT of Daman and Diu |
| (च) जिला पंचायत को दमन एवं दीव के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु सहायता अनुदान। | (f) Grants-in-aid to District Panchayat for construction, maintenance and repairs of various roads in the entire rural area of Daman and Diu. |
| (छ) दमन एवं दीव जिला में विभिन्न मुख्य सड़कों का अनुरक्षण एवं मरम्मत। | (g) Maintenance and repairs of various Major District Roads in Daman and Diu District. |
| (ज) दमन एवं दीव जिलों में विभिन्न आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण और मरम्मत। | (h) Maintenance and repairs of various residential and non-residential buildings in Daman and Diu Districts. |
| (झ) नगरपालिकाओं को दमन जिला में मॉडल स्कूल के निर्माण एवं नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के सुदृढीकरण और चौड़ीकरण के लिए सहायता अनुदान। | (i) Grants-in-aid to Municipalities for construction of a model school in Daman District and strengthening and widening of various roads in municipal areas. |
| (ञ) नगरपालिकाओं को शहरी क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत टॉयलेट ब्लाक का निर्माण, बाजार, बूचड़खाना निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों आदि के लिए सहायता अनुदान। | (j) Grants-in-aid to Municipalities for construction of toilet block under Sanitation Programme, construction of Market, Slaughter House and Other Developmental works etc. in Urban area. |
| (ट) सम्पूर्ण दमन जिला में भूमिगत केबल विद्युत आपूर्ति वितरण प्रणाली प्रदान करना तथा दमन जिला में 66 केवी संचरण लाइन कार्यों को सुदृढ करना। | (k) Providing underground cable power supply distribution system in the entire Daman District and strengthening of 66 KV Transmission line works in Daman District. |
| (ठ) दमन और दीव के ऑमनी बस औद्योगिक विकास निगम (ओआईडीसी) को संघ राज्य के हिस्से की पूजी। | (l) UT Share Capital to Omnibus Industrial Development Corporation (OIDC) of Daman and Diu. |
| (ड) दमन और दीव संघ राज्य में पुलों को सुदृढ करना और जिला सड़कों का निर्माण, संवर्धन और चौड़ा करना तथा मोती दमन को ननी दमन से जोड़ते हुए नए दमन गंगा पुल के निर्माण के लिए भुगतान। | (m) Construction, augmentation & widening of district roads and strengthening of bridges in the UT of Daman and Diu and payment for construction of new Daman Ganga Bridge connecting Moti Daman to Nani Daman. |

व्यय की कटौती के रूप में वसूलियों को समायोजित करने के बाद, इस पूरक में 108.32 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

After adjustment of recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 108.32 Crores.

मांग संख्या DEMAND NO. 99

लक्षद्वीप
LAKSHADWEEP

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और अनुदानों के पहले बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 125 देखिए)।
(See page No. 118 of the Demands for Grants of Central Government and page 125 of first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	385.69	180.07	565.76
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
इस रकम का पूरक अनुमान जो पहले बैच में पहले ही प्राप्त हो चुका है	Supplementary Estimate of the amount already obtained in the 1st batch:			
स्वीकृत	Voted:	17.73	0.02	17.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required			
स्वीकृत	Voted:	103.01	0.57	103.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	506.43	180.66	687.09
स्वीकृत	Voted:	506.43	180.66	687.09

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
गृह मंत्रालय		Ministry of Home Affairs				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055- Police	Voted:	...	2.45 (का)	2.45
3054-सड़कें और पुल	स्वीकृत	3054- Roads and Bridges	Voted:	...	0.08 (खb)	0.08
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401- Crop Husbandry	Voted:	...	2.11 (गc)	2.11
2403-पशु पालन	स्वीकृत	2403- Animal Husbandry	Voted:	...	0.41 (घd)	0.41
2405-मात्स्यिकी	स्वीकृत	2405- Fisheries	Voted:	...	1.99 (ङe)	1.99
2406-वानिकी और वन्यजीव	स्वीकृत	2406-Forestry and Wild Life	Voted:	...	0.35 (खb)	0.35
2425-सहकारिता	स्वीकृत	2425- Co-operation	Voted:	1.00 (चf)	...	1.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय		Ministry of Rural Development				
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	स्वीकृत	2402- Soil and Water Conservation	Voted:	...	0.47 (छg)	0.47
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515- Other Rural Development Programmes	Voted:	0.82 (खb)	2.36 (क, खa,b)	3.18
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power				
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801- Power	Voted:	...	5.68 (जh)	5.68
स्वास्थ्य और परिवार परिवार कल्याण मंत्रालय		Ministry of Health and Family Welfare				
2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210- Medical and Public Health	Voted:	0.40 (झi)	1.80 (जj)	2.20
उच्च शिक्षा विभाग		Department of Higher Education				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education	Voted:	1.23 (टk)	12.77 (ठाl)	14.00
संस्कृति मंत्रालय		Ministry of Culture				
2205-कला तथा संस्कृति	स्वीकृत	2205- Art and Culture	Voted:	0.30 (खb)	0.26 (खb)	0.56
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय		Ministry of Labour and Employment				
2230-श्रम तथा रोजगार	स्वीकृत	2230- Labour and Employment	Voted:	...	0.06 (खb)	0.06

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय		Ministry of Science and Technology			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत	3425-Other Scientific Research Voted:	1.00 (ऽम)	0.10 (क़ा)	1.10
पोत परिवहन मंत्रालय		Department of Shipping			
3051-पत्तन तथा दीप स्तम्भ	स्वीकृत	3051-Ports and Light Houses Voted:	...	0.68 (ऽन)	0.68
3052-पोत परिवहन	स्वीकृत	3052-Shipping Voted:	...	57.32 (णो)	57.32
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development			
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works Voted:	...	2.30 (तप)	2.30
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत	2202-General Education Voted:	...	0.32 (थ़क़)	0.32
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health Voted:	...	0.10 (थ़क़)	0.10
2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता	स्वीकृत	2215-Water Supply and Sanitation Voted:	...	0.59 (वर)	0.59
2216-आवास	स्वीकृत	2216-Housing Voted:	...	0.24 (थ़क़)	0.24
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development Voted:	0.65 (वस)	...	0.65
3053-नागर विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation Voted:	...	0.15 (थ़क़)	0.15
3452-पर्यटन	स्वीकृत	3452-Tourism Voted:	...	0.40 (थ़क़)	0.40
नागरिक विमानन मंत्रालय		Ministry of Civil Aviation			
3053-नागरिक विमानन	स्वीकृत	3053-Civil Aviation Voted:	...	4.62 (नत)	4.62
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section Voted:	5.40	97.61	103.01
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग		Department of Road Transport and Highways			
5054-सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges Voted:	0.57 (णु)	...	0.57
जोड़ पूँजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section Voted:	0.57	...	0.57
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary) Voted:	5.97	97.61	103.58

टिप्पणी: ऊपर दिए गए अतिरिक्त आवश्यकताओं के अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
विद्युत मंत्रालय		Ministry of Power			
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801-Power Voted:	...	-2.00	-2.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		Ministry of Food Processing Industries			
2408-खाद्य, भंडारण और भांडागारण		2408-Food, Storage and Warehousing	...	0.05	0.05
शहरी विकास मंत्रालय		Ministry of Urban Development			
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	2059-Public Works	...	-1.25	-1.25
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section	...	-3.20	-3.20
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION			
कृषि मंत्रालय		Ministry of Agriculture			
4425-सहकारिता पर पूँजी परिव्यय		4425-Capital Outlay on Co-operation	...	0.01	0.01
6425-सहकारिता हेतु ऋण		6425-Loans for Co-operation	...	0.15	0.15
जोड़ पूँजी भाग		Total Capital Section	...	0.16	0.16
जोड़ (वसूलियाँ)		Total (Recoveries)	...	-3.04	-3.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु माँगा गया है:-

The Supplementary Grant is sought for meeting additional expenditure on:-

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन।

(a) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.

(ख) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल शिक्षकों सहित जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान।

(b) Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat, including Primary School Teachers for payment of pay and allowances on account of implementation of Sixth Pay Commission recommendations.

- (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.84 करोड़ रुपए); छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सहित जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (0.69 करोड़ रुपए) और अस्थायी मजदूरों, औद्योगिक और वर्कचार्ज कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान (0.58 करोड़ रुपए)।
- (घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.07 करोड़ रुपए); छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर अस्थायी मजदूरों, औद्योगिक और वर्कचार्ज कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान (0.14 करोड़ रुपए) और कुक्कुट औषधि और कुक्कुट उपस्कर (0.20 करोड़ रुपए)।
- (ङ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.22 करोड़ रुपए); छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सहित जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (0.15 करोड़ रुपए) और मात्स्यिकी विभाग के हाईस्पीड डीजल के लम्बित बिल (1.62 करोड़ रुपए)
- (च) सेवा सहकारी और श्रम संविदा समितियाँ (1.00 करोड़ रुपए)।
- (छ) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सहित जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपए) और अस्थायी मजदूरों, औद्योगिक और वर्कचार्ज कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान (0.27 करोड़ रुपए)।
- (ज) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (1.28 करोड़ रुपए); डीजल पावर जेनरेटर्स के लिए एचएसडी तेल की खरीद के संबंध में डीजीएसएंडडी बिल (3.40 करोड़ रुपए) और स्टॉक प्रयोजन के लिए स्टोर्स की खरीद (1.00 करोड़ रुपए)।
- (झ) औषधियाँ चिकित्सा उपकरण आदि (0.40 करोड़ रुपए)।
- (ञ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (1.49 करोड़ रुपए); छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सहित जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (0.08 करोड़ रुपए) और डिस्पेंसरियों के लिए दवाईयों आदि की खरीद (0.23 करोड़ रुपए)।
- (ट) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.41 करोड़ रुपए) और संविदा आधार पर कार्यरत शिक्षकों को भुगतान (0.82 करोड़ रुपए)।
- (c) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.84 crore); Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances (Rs.0.69 crore) and payment of wages to temporary status labourers, Industrial and work charged employees (Rs.0.58 crore) on account of implementation of Sixth Pay Commission recommendations.
- (d) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.07 crore); payment of wages to temporary status labourers, Industrial and work charged employees (Rs.0.14 crore); and poultry medicines and poultry equipments (Rs.0.20 crore).
- (e) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.22 crore); Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances (Rs.0.15 crore) and pending bills of HSD Oil of fishery department (Rs.1.62 crore).
- (f) Service Co-operative and Labour Contract Societies (Rs.1.00 crore).
- (g) Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations (Rs.0.20 crore) and payment of wages to temporary status labourers, Industrial and workcharged employees (Rs.0.27 crore).
- (h) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1.28 crore); DGS&D bills towards procurement of HSD Oil for Diesel Power Generators (Rs.3.40 crore) and procurement of stores for stock purposes (Rs.1.00 crore).
- (i) Medicines, medical equipments, etc. (Rs.0.40 crore).
- (j) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.1.49 crore); Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances on account of implementation of Sixth Pay Commission recommendations (Rs.0.08 crore) and procurement of medicines etc. for dispensaries (Rs.0.23 crore).
- (k) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.41 crore) and payment to teachers working on contract basis (Rs.0.82 crore).

<p>(उ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों सहित जिला/ग्राम पंचायत में कार्यरत प्रशासन के विभागीय कर्मचारियों को सहायता अनुदान (9.00 करोड़ रुपए); विभिन्न द्वीपों में छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्रा (1.08 करोड़ रुपए) और उच्च अध्ययन के लिए प्रायोजित अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति, एकमुश्त अनुदान छात्रावास सब्सिडी (2.69 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ड) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय के लिए तारामंडल उपस्कर की खरीद (1.00 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ढ) यात्रियों को पोतारोहण/पोतावरोहण के लिए नाव किराया प्रभार (0.68 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ण) मेनलैंड से द्वीप और अंतर-द्वीप जलयानों के प्रचालन और रखरखाव और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भुगतान (57.32 करोड़ रुपए)।</p> <p>(त) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.65 करोड़ रुपए); विभिन्न सरकारी भवनों के रखरखाव और मरम्मत (0.25 करोड़ रुपए) और स्टॉक प्रयोजनों के लिए स्टोर्स की खरीद (1.40 करोड़ रुपए)।</p> <p>(थ) विभिन्न भवनों का रखरखाव और मरम्मत।</p> <p>(द) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन (0.54 करोड़ रुपए); और विभिन्न सरकारी भवनों का रखरखाव और मरम्मत (0.05 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ध) चिल्ड्रेन पार्क की भूमि का किराया संबंधी लम्बित बिलों का निपटाना (0.65 करोड़ रुपए)।</p> <p>(न) मेसर्स पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. को हेलीकॉप्टरों की किराया लागत संबंधी भुगतान (4.62 करोड़ रुपए)।</p> <p>(ण) विभिन्न द्वीपों के भूस्वामियों को भूमि की क्षतिपूर्ति का भुगतान (1.02 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 0.04 करोड़ रुपए की बचतों को देखते हुए 0.57 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।</p>	<p>(1) Grants-in-aid to the departmental staff of the Administration working in the District/Village Panchayat including Primary School Teachers for payment of pay and allowances on account of implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations (Rs.9.00 crore); educational tour for students in various Islands (Rs.1.08 crore) and payment of scholarship, lumpsum grant, hostel subsidy of Scheduled Tribe students sponsored for higher studies (Rs.2.69 crore).</p> <p>(m) Procurement of planetarium equipment for Science and Technology Museum (Rs.1.00 crore).</p> <p>(n) Boat hiring charges for embarkation/ disembarkation of passengers (Rs.0.68 crore).</p> <p>(O) Operation and maintenance of mainland to island and inter-island vessels and payment to the Shipping Corporation of India (Rs.57.32crore).</p> <p>(p) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.65 crore); maintenance and repairing of various Govt. buildings (Rs.0.25 crore) and procurement of stores for stock purposes (Rs.1.40 crore).</p> <p>(q) Maintenance and repair of various Govt. buildings.</p> <p>(r) Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.54 crore) and maintenance and repairing of various Govt. buildings (Rs.0.05 crore).</p> <p>(s) Clearing the pending bills towards land rent of Children Park (Rs.0.65 crore).</p> <p>(t) Payment to M/S Pawan Hans Helicopters Ltd. towards chartering cost of helicopters (Rs.4.62 crore).</p> <p>(u) Payment of land compensation to land owners of various islands (Rs.1.02 crore). After taking into account savings of Rs.0.45 crore available in the same section of the Grant, net cash outgo will be Rs.0.57 crore.</p>
<p>व्यय में से घटाकर वसूलियों के समायोजन के पश्चात् पूरक अनुदान में 100.54 करोड़ रुपए का व्यय होगा।</p>	<p>After adjustment of recoveries taken as reduction of expenditure, the supplementary will entail a net cash outgo of Rs.100.54 Crores.</p>

मांग संख्या DEMAND NO.100

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123, वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 128-129, और वर्ष 2008-09 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)।

(See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009, page 128-129 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009 and page 16 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	25.55	26.00	51.55
	स्वीकृत	Voted:	935.76	2019.38	2955.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	12.09	2100.00	2112.09
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	9.85	...	9.85
	स्वीकृत	Voted:	0.01	49.12	49.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		983.26	4194.50	5177.76
	भारित	Charged:	35.40	26.00	61.40
	स्वीकृत	Voted:	947.86	4168.50	5116.36

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2216-आवास	भारित	2216- Housing	Charged:	...	9.85 (का)
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217- Urban Development	Voted:	...	0.01 (खb)
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section		...	9.86	9.86
	भारित	Charged:	...	9.85	9.85
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4216- Capital Outlay on Housing	Voted:	49.11 (गc)	...
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4217- Capital Outlay on Urban Development	Voted:	0.01 (घd)	...
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section		49.12	...	49.12
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		49.12	9.86	58.98
	भारित	Charged:	...	9.85	9.85
	स्वीकृत	Voted:	49.12	0.01	49.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (क) अन्य आवास के अंतर्गत राष्ट्रपति की संपदा में स्थापना संबंधी व्यय हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी/भारित भाग में उपबल्ल 4 करोड़ रुपये की बचतों और अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से 5.85 करोड़ रुपये की बचतों को इस संबंध में अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।
- (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड के संस्थापन संबंधी व्यय के सम्बन्ध में सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपये)।

- (a) For establishment related expenses in President's Estate under Other Housing. As the savings of Rs.4 crore are available in the Capital/Charged Section of the Grant and savings of Rs.5.85 crore from the Revenue/Voted Section of the Grant will be surrendered on this account, this will not entail any cash outgo.
- (b) Grants-in-aid towards establishment related expenses of National Capital Regional Planning Board (Rs.0.25 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ग) जनरल पूल रेजिडेंशल एकांमोडेशन तथा अन्य आवासीय परियोजनाओं के तहत परियोजनाओं में व्यय तथा देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित आवासीय परियोजनाओं में स्थित घरों के उन्नयन पर व्यय हेतु (49.99 करोड़ रुपए)। चूंकि 2 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी तथा अनुदान के उसी भाग में स्थित 0.88 करोड़ रुपए की बचतों को लेखे में लेने के बाद, इसमें 47.11 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।
- (घ) बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (बीएमआरसी) में निवेश (21.99 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) For expenditure in projects under General Pool Residential Accommodation and Other Housing Projects and up-gradation of existing houses in Housing Projects situated at various places in the country (Rs. 49.99 crore). As savings of Rs.2 crore will be surrendered from the Revenue Section of the Grant and after taking into account the savings of Rs. 0.88 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs. 47.11 crore.
- (d) Investment in Bangalore Metro Rail Corporation (BMRC) (Rs.21.99 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 101

लोक निर्माण कार्य
PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 तथा वर्ष 2008-09 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 130 देखिए)।
(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 130 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-09).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	794.12	355.18	1149.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:	112.65	...	112.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	8.41	...	8.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		916.18	356.18	1272.36
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	915.18	355.18	1270.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059-लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत 2059- Public Works	Voted:	...	8.41
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	8.41

यह पूरक अनुदान कार्यालय भवनों तथा अन्य कार्यालय भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु परिनियोजित कार्य-प्रभारित कर्मचारीवृन्द के सम्बन्ध में संस्थापन सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

चूंकि समतुल्य राशि अनुदान के पूंजी/स्वीकृत भाग से इस लेखे पर अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for meeting establishment related expenditure in respect of work-charged staff deployed for maintenance and repairs of Office Buildings and Other Office Buildings.

As an equivalent amount will be surrendered from the Capital/ Voted Section of the Grant on this account, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 103

जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 132 देखिए)।

(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 132 of First Supplementary Demands for Grants of the Central Government for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	...	3.00
	स्वीकृत	Voted:	793.57	109.76
				903.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	112.70	1.61
				114.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
				0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	906.28	114.37	1020.65
	भारित	Charged:	...	3.00
	स्वीकृत	Voted:	906.28	111.37
				1017.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत 3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	...
				0.01

यह पूरक अनुदान राज्य सरकारों को लघु सिंचाई गणना कार्य पूरा करने के लिए सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियाँ प्रदान करने हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought to provide additional funds under Grants-in-aid to State Governments (Rs.3.00 crore) to complete the Minor Irrigation Census work. As savings are available within the same Section of Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.104

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127 और वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 134 देखिए)।
(See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 134 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	7262.00	...	7262.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	13.07	...	13.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	7275.09	...	7275.09

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235- Social Secutiry and Welfare			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	0.01	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) “एकीकृत बेसहारा बाल योजना” के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (2.50 करोड़ रुपए)।
- (ii) “कामकाजी बाल एवं जरूरत मंद बाल कल्याण एवं संरक्षण योजना” के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ख) (i) राष्ट्रीय लोक सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन आदि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.88 करोड़ रुपए)।
- (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशनों आदि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.16 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in aid for meeting the additional requirement under the “Integrated Scheme for Street Children” (Rs.2.50 crore).
- (ii) Grants-in aid for meeting the additional requirement under the “Scheme for the Welfare of working Children and Children in need of Care and Protection” (Rs.1.50 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid to National Institute of Public Cooperation and Child Development for meeting the additional requirement on account of salaries/pension etc. on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.88 crore).
- (ii) Grants-in-aid to National Commission for Women for meeting the additional requirement on account of salaries/pension etc. on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.16 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.105

यूवा मामले एवं खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 तथा वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 136 देखिए)।
(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2008-2009 and page 136 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2008-2009).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	977.29	134.52	1111.81
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	551.07	...	551.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.03	36.50	36.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	1528.39	171.02	1699.41

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग			REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
2204-खेल एवं यूवा सेवाएं	स्वीकृत	2204- Sports and Youth Services	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत	2251- Secretariat-Social Services	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग			CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4202- Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	1.50 (घd)	...	1.50
6202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण	स्वीकृत	6202- Loans for Education, Sports, Art and Culture	Voted:	...	35.00 (झe)	35.00
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	1.50	35.00	36.50
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	1.51	35.02	36.53

यह पूरक मांग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) (i) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण/सीपीडब्ल्यूडी को मूलभूत ढांचे के लिए अतिरिक्त आवश्यकता हेतु जारी किया जाना है (105.00 करोड़ रुपए)।

(a) (i) For meeting additional requirement for infrastructure to be released to Sports Authority of India/CPWD for Commonwealth Games, 2010 (Rs.105.00 crore).

(ख) (ii) दिल्ली विश्वविद्यालय (50.00 करोड़ रुपए) तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (2.00 करोड़ रुपए) में राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए प्रतियोगिता स्थलों और प्रशिक्षण स्थलों के विकास और उन्नयन/जीर्णोद्धार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।

(ii) For meeting additional requirement for development and upgradation/ renovation of competition venues and training venues for Commonwealth Games, 2010 at Delhi University (Rs.50.00 crore) and Jamia Millia Islamia University (Rs.2.00 crore).

(iii) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए अखिल भारतीय टेनिस संघ के तहत लॉन टेनिस के लिए आर.के. खन्ना स्टेडियम के

(iii) For meeting additional requirement for upgradation/ renovation of R.K. Khanna Stadium for Lawn

उन्नयन/जीर्णोद्धार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (10.00 करोड़ रुपए)।

- (iv) भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के अंशदान को पूरा करने के लिए "राष्ट्रीय खेल विकास निधियां" योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (40.76 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ख) (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन को बकाया वेतन और पेंशन अंशदान आदि के भुगतान आदि के भुगतान के लिए सहायता अनुदान (13.24 करोड़ रुपए)
- (ii) निम्नलिखित को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान:
1. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (0.25 करोड़ रुपए)
 2. भारतीय खेल प्राधिकरण (1.74 करोड़ रुपए)
 3. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (0.25 करोड़ रुपए)

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.59 करोड़ रुपए)

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (घ) युवा छात्रावास निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.50 करोड़ रुपए)?

चूंकि समतुल्य राशि राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ङ) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 की आयोजक समिति को आयोजना भिन्न ऋण प्रदान करने हेतु (35.00 करोड़ रुपए)

चूंकि समतुल्य राशि राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Tennis under All India Tennis Association for Commonwealth Games, 2010(Rs.10.00 crore).

- (iv) For meeting additional requirement under the scheme of 'National Sports Development Funds' to match the contribution of Board of Control for Cricket in India (Rs.40.76 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid to Nehru Yuva Kendra Sangathan for making the payment of arrears and Pension Contribution etc. (Rs.13.24 crore).
- (ii) Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission Recommendations as accepted by the Government to:
1. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (Rs.0.25 crore)
 2. Sports Authority of India (Rs.1.74 crore)
 3. Laxmibai National Institute of Physical Education (Rs.0.25 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) For meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission Recommendations as accepted by the Government (Rs.0.59 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) For meeting additional expenditure for construction of Youth Hostel (Rs.1.50 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

- (e) For providing Non-plan loan to the Organizing Committee for Commonwealth Games, 2010 (Rs.35.00 crore).

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2008-09 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2008-09.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2008-2009 Budget Estimates 2008-2009	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	पशुरोग नियंत्रण (मु.शी.3601) Animal Disease Control (M.H.3601)	64.10	19.00	योजना में निधि की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। To meet the additional requirement of fund in the scheme
2.	उर्वरक विभाग Department of Fertilisers	फसल कार्य मु.शी. 2401 (आयोजना भिन्न) देशी विनियंत्रित उर्वरक Crop Husbandry MH: 2401 (Non-Plan) Indigenous Decontrolled Fertilizers	6447.10	3200.00	निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। To meet additional requirement of funds.
3.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग Department of Information Technology	मानव शक्ति विकास कार्यक्रम (मुख्य शीर्ष 2852) Manpower Development Programme (Major Head 2852)	4.50	2.60	योजना में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। To meet the additional requirement of fund in the scheme.
		एसटीक्यूसी कार्यक्रम (मुख्य शीर्ष 2552) STQC Programme (Major Head 2552)	0.93	0.39	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। To meet the additional requirement for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
4.	विदेश मंत्रालय Ministry of External Affairs	मु.शी. 2061-विदेशी मामले 00.105-पासपोर्ट एवं उत्प्रवास व्यावसायिक सेवाएं - 01.01.28-अन्य प्रभार MH 2061-External Affairs 00.105-Passport and Emigration Professional Services - 01.01.28-Other Charges	0.10	0.49	पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रावधान इकाई (जीएमयू) के लिए विशेषज्ञों के वेतन एवं परिलाभों के भुगतान के व्यय की पूर्ति हेतु। (आदेश सं.1) For meeting expenditure on payment of Salary and emoluments to Experts for Project Management Unit (PMU) for the implementation of the Passport Seva Project (Order No. 1).
		मु.शी. 2061-विदेशी मामले 00.800-अन्य व्यय			हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंसेज में योग्य भारतीय छात्रों

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		03-अन्य योजनाएं - 03.03.50-अन्य प्रभार			द्वारा डॉक्टरेट अध्ययन हेतु अमर्त्य सेन फेलोशिप के निधियन हेतु भारत सरकार का अंशदान।
		MH 2061-External Affairs 00.800-Other Expenditure 03-Other Schemes - 03.03.50-Other Charges	1.50	22.50	Govt. of India's contribution for funding the Amartya Sen Fellowship for doctoral studies by deserving Indian Students at the Graduate School of Arts & Sciences at Harvard University (Order No. 2).
5.	वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग	राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालयी सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 10-व्यय विभाग 10.01.01-वेतन			सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन भुगतान तथा वर्धित उच्चतम सीमा पर आधारित बोनस भुगतान के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Finance/ Department of Expenditure	Revenue Section MH 2052 - Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure 10.01.01-Salaries	19.64	10.11	To meet additional expenditure on account of salaries on implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission, as accepted by the Government and bonus based on enhanced ceiling.
		मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 800-अन्य व्यय 31-महालेखा नियंत्रक (आईडीएफ अनुदान) कार्यालय का आधुनिकीकरण 31.00.12-विदेश यात्रा व्यय 31.00.28-व्यावसायिक सेवाएं MH 2070 - Other Administrative Services 800 - Other Expenditure 31-Modernisation of Office of Controller General of Accounts (IDF Grant) 31.00.12-Foreign Travel Expenses 31.00.28-Professional Services	0.30 0.05	0.25 0.25	आईडीएफ अनुदान में वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु।
					To meet committed expenditure under IDF Grant.
6.	वित्त मंत्रालय/ राजस्व विभाग	राजस्व भाग मु.शी. 2020-आय और व्यय पर कर संग्रहण (मु. शी.) 00.001-निर्देश और प्रशासन (मुख्य शीर्ष) 01-अन्वेषण 01.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
	Ministry of Finance/ Department of Revenue	Revenue Section MH 2020 - Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head) 00.001-Direction and Administration (Minor Head)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	01-Investigation				
	01.00.01-Salaries		8.30	3.51	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
	02-अनुसंधान सांख्यिकी एवं प्रकाशन				
	02.00.01-वेतन				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
	02-Research Statistics and Publication				
	02.00.01-Salaries		4.20	1.85	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
	02.00.50-अन्य प्रभार				यह बढ़ोतरी पुरस्कार और ईनाम तथा क्षति पूर्ति इत्यादि के कारण है।
	02.00.50-Other Charges		...	0.01	The increase is due to awards and prizes and compensation etc.
	03-संगठन एवं प्रबन्धन सेवाएं				
	03.00.01-वेतन				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
	03-Organisation and Management Services				
	03.00.01-Salaries		3.60	2.40	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
	03.00.02-मजदूरी				यह बढ़ोतरी मजदूरी दरों और आकस्मिक मजदूरों की आउटसोर्सिंग में वृद्धि के कारण है।
	03.00.02-Wages		...	0.02	The increase is due to hike in wage rates, outsourcing of casual workers.
	03.00.13-कार्यालय व्यय				इस शीर्ष में बढ़ोतरी का कारण 1 प्रतिशत प्रोत्साहन योजना, के तहत प्रचालन वाहन किराये करने सम्बन्धी व्यय सम्मेलन कक्षों का जीर्णोद्धार, आंकड़ा प्रकोष्ठ का सृजन, तथा सम्बन्धित आवर्ती व्यय है।
	03.00.13-Office Expenses		1.50	0.74	The increase in this head is on account of expenditure towards hiring of operational vehicles under 1% incentive scheme, renovation of conference rooms, creation of a data cell, meeting telephone bills, postage stamps and related recurring expenditure.
	03.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय				यह बढ़ोतरी फील्ड पे युनिटों के बकाया बिलों के भुगतान तथा उच्च रैंक वाले फील्ड अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने हेतु है।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		03.00.20-Other Administrative Expenses	0.01	0.01	The increase is to meet the payment of pending bills of field pay units, holding meetings with field officers of higher rank.
		04-निरीक्षण			
		04.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
		04-Inspection			The increase is due to im-
		04.00.01-Salaries	1.40	0.64	plementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
		00.101-संग्रहण प्रभार-आयकर (लघु शीर्ष)			
		01-आयुक्त एवं उनके कार्यालय			
		01.01.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
		00.101-Collection Charges- Income Tax (Minor Head)			
		01-Commissioners and their offices			
		01.01.01-Salaries	917.90	457.25	The increase is due to im- plementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
		01.01.13-कार्यालय व्यय			इस शीर्ष के तहत बढ़ोतरी वाहन, प्रचालनात्मक फील्ड यूनिटों द्वारा वाहन किराये पर लेने एवं आयकर फॉर्मों की छपाई का विकेन्द्रीकरण, आईटीआई संस्थानों को परिवहन सुविधा, सेवा डाक टिकट, स्टेशनरी एवं कार्यालय उपभोग की वस्तुओं की खरीद तथा राजस्व संग्रहण के 1 प्रतिशत प्रेरक से सम्बन्धित व्यय के कारण है।
		01.01.13-Office Expenses	278.78	94.72	The increase in this head is on account of expenditure towards operational vehicles and hiring of vehicles by field units, decentralisation of printing of income-tax forms, conveyance to ITIs, service postage stamps, purchase of stationery & office consumable and also 1% incentive of incremental revenue collection.
		02-आयकर एवं सम्पत्ति कर मामले निपटान आयोग			
		02.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
		02-Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases			
		02.00.01-Salaries	3.90	1.40	The increase is due to im- plementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		02.00.27-लघु निर्माण कार्य			निर्माणाधीन लघु निर्माण कार्यों की लागत की पूर्ति हेतु।
		02.00.27-Minor Works	0.02	0.02	To meet the cost of minor works which are under execution.
		04- प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय			
		04.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
		04- Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts			
		04.00.01-Salaries	18.00	5.60	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
		04.00.13-कार्यालय व्यय			यह बढ़ोतरी स्टेशनरी की वस्तुओं, फोटोकॉपी मशीन की एएमसी की दरों, फेक्स, मशीनों, सेवा कर और टेलीफोन बिलों आदि की लागत में वृद्धि के कारण है।
		04.00.13-Office Expenses	1.50	0.70	The increase is due to hike in cost of stationery items, rates of AMC of photocopy machines, fax machines, service tax and telephone bills etc.
		00.800-अन्य व्यय (लघु शीर्ष)			
		01-विभागीय केन्टीन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
		01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			
		00.800-Other Expenditure (Minor Head)			
		01-Departmental Canteens			
		01.00.20-Other Administrative Expenses	5.00	2.00	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
		02- ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग			
		02.00.01-वेतन			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बढ़ोतरी।
		02-Authority for Advance Rulings			
		02.00.01-Salaries	0.70	0.35	The increase is due to implementation of recommendations of 6th Central Pay Commission.
		02.00.14-किराया, दर एवं कर			यह बढ़ोतरी किराया दरों में संशोधन के कारण है।
		02.00.14-Rent, Rates & Taxes	0.33	0.51	The increase is on account of revision of rent rates.
		02.00.16-प्रकाशन			राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय करारोपण समबन्धी मुद्रण/प्रकाशनों की अधिप्राप्ति, आईटीआर ऑनलाइन करारोपण, टेक्समेन ऑनलाइन और ज्यूरिक्स को अंशदान।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		02.00.16-Publications	0.01	0.01	To meet the expenditure on printing/procuring publications on national and international taxation, subscription to the ITR online taxation, Taxman online and Jurix.
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (सचिवालय)				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
Ministry of Health and Family Welfare	2251.00.090.19-Deptt. of H & FW. (Sectt.)	26.00 (Non-Plan)	7.12		To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 2210.01.001.03	1.00 (Plan)	0.37		वर्धित संस्थापन सम्बन्धी व्यय Increased Estt. related expenditure.
	2210.01.001.03 D.G.H.S	24.62 (Non-Plan)	5.97		छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय 2210.01.001.04	14.19 (Plan)	4.98		विदेशी चिकित्सा पत्रिकाओं की अधिप्राप्ति Procurement of foreign medical journals.
	2210.01.001.04 National Medical Library	3.40 (Non-Plan)	0.27		छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना सीजीएचएस				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन एवं भत्तों सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय एवं दवाओं की खरीद तथा स्थानीय औषध विक्रेताओं की देयताओं के निपटान हेतु भी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.01.103.24	35.00 (Plan)	7.62		To meet additional expenditure on Pay and allowances due to implementations of Sixth Central Pay Commission recommendations and procurement of medicines & to clear liabilities of local chemists.
	2210.01.103.24 Setting up of Dispensaries/Hospitals - CGHS	339.00 (Non-Plan)	192.00		छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	सफदरजंग अस्पताल				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और अन्य संस्थापन अतिरिक्त संबंधी व्यय, उपभोज्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति, लघु निर्माण कार्य आदि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.01.110.19		30.00 (Plan)	31.00	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation and other Estt. related expenditure, procurmment of consumables, Minor Works etc.
	2210.01.110.19 Safdarjung Hospital		95.70 (Non-Plan)	45.4	छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और अन्य संस्थापन अतिरिक्त संबंधी व्यय, उपभोज्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति, लघु निर्माण कार्य आदि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.01.110.20		35.00 (Plan)	13.18	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation and other Estt. related expenditure, procurmment of consumables, Minor Works etc.
	2210.01.110.20 Dr.R.M.L.Hospital		68.85 (Non-Plan)	23.28	छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	केंद्रीय मनोचिकित्सा विज्ञान संस्थान, रांची				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.01.110.21		7.00 (Plan)	0.29	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	2210.01.110.21 Central Institute of Psychiatry, Ranchi		13.15 (Non-Plan)	6.05	छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
	2210.01.110.23		12.00 (Plan)	5.00	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations. छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.01.110.23 Kalawati Saran Children's Hospital, N. Delhi		13.00 (Non-Plan)	8.27	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.05.105.27		15.00 (Plan)	3.50	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	2210.05.105.27 Lady Hardinge Medical College (LHMC)		54.00 (Non-Plan)	29.37	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations, supply & materials, stipended & scholarship. छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर, सामग्री की आपूर्ति, वजीफा और छात्रवृत्ति संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	जवाहर लाल चिकित्सा कॉलेज, पुडुचेरी				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.05.105.32 Jawaharlal Medical College, Puducherry		29.76 (Non-Plan)	18.48	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	क्षेत्रीय पीजी केन्द्र				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.05.105.33 Regional P.G. Centre		35.00 (Plan)	21.00	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी				छटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.05.105.33 JIPMER, Pondicherry		30.00 (Non-Plan)	5.62	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर				छटे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.06.003.05 Regional Leprosy Training & Research Institute, Gauripur		1.50 (Plan)	0.75	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान				छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.06.101.07		7.00 (Plan)	1.74	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	2210.06.101.07 National Institute of Communicable Disease		14.00 (Non-Plan)	4.57	छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन				एआरवी ड्रग्स की अधिप्राप्ति को सुसाध्य बनाने के लिए सहायता प्राप्त परियोजना ग्लोबल फंड के तहत आपूर्ति एवं सामग्री सम्बन्धी वर्धित मांग की पूर्ति हेतु।
	2210.06.101.33 National Aids Control Organisation		993.00 (Plan)	23.36	To meet the increased demand on supply & materials under Global Fund assisted project in order to facilitate to procure ARV Drugs.
	शिशु देखभाल प्रशिक्षण केन्द्र, सिंगुर				छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.06.112.06 Child Care Training Centre, Singur		7.75 (Non-Plan)	2.80	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.
	तम्बाकू मुक्त पहल				डीएवीपी एवं प्रसार भारती के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण सम्बन्धी प्रभावशाली अभियान के लिए विज्ञापन एवं प्रचार सम्बन्धी वर्धित व्यय
	2210.06.800.19 Tobacco Free Initiative		24.00 (Plan)	9.00	Increased expenditure on Advertisement & Publicity for Massive Campaign on Tobacco Control through DAVP & Prasar Bharti.
	आपातकालीन चिकित्सा राहत ईएमआर (एवियन फ्लू)				एवियन फ्लू हेतु विश्व बैंक को 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की निधियां प्रदान करने की अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता की पूर्ति हेतु।
	2210.06.800.29 Emergency Medical Relief (Avian Flu)		2.30 (Plan)	10.00	To fulfil the international commitment of providing funds of US\$ 2 Million to World Bank for Avian Flu.
	राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2210.06.101.10 National Filariasis Control Programme		0.34 (Non-Plan)	0.13	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		रोध्य और अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम			11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित नई योजनाओं से संबंधित व्यय की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।
		2210.06.101.13			Additional funds are required to
		Trachoma and Blindness Control Programme	204.80	16.71	meet expenditure on new schemes approved for 11th Five Year Plan.
			(Plan)		
		राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम			नियमित मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण तथा यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम की गतिविधियों के सभी संघटकों का जिले में कार्यान्वयन हो; के कारण व्यय की वृद्धि की सूचना जिलों से प्राप्त हुई है। अतः अधिक निधियों की आवश्यकता है।
		2210.06.101.30	238.00	21.71	Due to regular monitoring & supervision and ensuring that all component of the programme activities are implemented in the district, there has been increase in the expenditure reported by the districts, Hence necessity of more funds.
		National T.B. Control Programme	(Plan)		
		राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (कन्डोमों के लिए)			एड्स नियंत्रण के लिए कन्डोमों की वर्द्धित आवश्यकता के कारण।
		2210.06.101.33			
		National AIDS Control Programme (for Condoms)	270.00	24.35	Due to increased requirement of Condoms for AIDS Control.
			(Plan)		
		मुख्यालय में तकनीकी स्कंध			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		2211.00.001.01	6.18	3.06	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
		Technical Wing at Headquarter	(Non-Plan)		
		क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		2211.00.001.03	8.94	3.14	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
		Regional Health Offices	(Plan)		
		परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		2211.00.003.03	1.35	0.47	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
		Family Welfare Training and Research Centre	(Non-Plan)		
		विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		2211.00.003.08	0.61	0.21	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
		Expenditure in UTs without Legislature	(Plan)		

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		आईयूडी और फेलोपियन रिंगों की परीक्षण सुविधाएं			परीक्षण हेतु अवयवों की उच्च निविष्टि लागत के कारण।
		2211.00.004.07	0.67	0.28	Due to higher input cost of ingredients for testing.
		Testing Facilities for IUD & Fallopian Rings	(Plan)		
		विधानमंडल रहित एवं राज्य क्षेत्रों में व्यय			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		2211.00.101.01	4.11	2.46	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
		Expenditure in UTs without Legislature	(Plan)		
		जनसमूह डाक योजना			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		2211.00.106.02	3.14	1.29	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
		Mass Mailing Scheme	(Non-Plan)		
		प्रजायी बाल स्वास्थ्य-मुख्यालय में व्यय			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
		2211.00.109.06	3.00	1.25	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
		Reproductive Child Health-Expenditure at Headquarters	(Plan)		
		राज्यों के पीआईपी के लिए प्रजायी बाल स्वास्थ्य लोचनीय पूल प्रणाली			चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत उपयोग की उच्च गति, "नसबन्दी के लिए क्षतिपूर्ति और नवजात शिशुओं के लिए नकद वाउचर योजना आरम्भ करने के कारण सहायता अनुदान में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
		2211.00.109.08	2235.75	502.54	Due to higher pace of utilization under Janani Suraksha Yojana (JSY), Compensation for Sterilization and introduction of Cash Voucher Scheme for Neonates during current financial year, additional amount is required in Grants-in-aid.
		Reproductive Child Health Flexible Pool for State PIPs	(Plan)		
		पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम			अधिक संख्या में पल्स पोलियो कार्यक्रमों के संचालन हेतु।
		2211.00.109.10	551.41	45.92	
			(Plan)		For conducting more number of Pulse Polio rounds.
		2211.00.109.10	503.62	49.29	
		Pulse Polio Immunization Programme	(Non-Plan)		
		मिशन लोचनीय पूल प्रणाली			चालू वित्तीय वर्ष में उपयोग की उच्च गति के कारण है।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	2211.00.800.15		1950.83	312.42	Due to higher pace of utilization during current financial year.
	Mission Flexible Pool		(Plan)		
	क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाएं				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2552.00.275.01		1.31	0.56	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
	Regional Health Offices		(Plan)		
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2552.00.276.03		1.30	0.33	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
	Health and Family Welfare Training Centre		(Plan)		
	बहुउद्देशीय निर्माण कार्य				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2552.00.276.04		0.50	0.52	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
	Multipurpose Workers		(Plan)		
	जनसांख्यिकीय और अन्य संचार अनुसंधान				पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीव्र मूल्यांकन सर्वेक्षण के कारण।
	2552.00.277.01		0.60	0.15	Due to rapid appraisal survey in North-Eastern Region.
	Demographic and other Communication Research		(Plan)		
	उपकेन्द्र				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2552.00.278.01		141.16	93.76	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
	Sub-Centres		(Plan)		
	शहरी एफडब्ल्यू केन्द्र				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	2552.00.279.02		3.00	14.58	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
	Urban F.W. Centres		(Plan)		
	राज्यों के पीआईपी के लिए आरसीएच लोचनीय पूल प्रणाली				चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत उपयोग की उच्च गति, "नसबन्दी के लिए क्षतिपूर्ति और नवजात शिशुओं के लिए नकद वाउचर योजना आरम्भ करने के कारण सहायता अनुदान में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
	2552.00.282.01		299.25	38.47	Due to higher pace of utilization under Janani Suraksha Yojana (JSY), Compensation for
	RCH-Flexible Pool for State PIPs		(Plan)		

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
					Sterilization and introduction of Cash Voucher Scheme for Neonates during current financial year, additional amount is required in Grants-in-aid.
	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (प्रचालन लागत)				अधिक संख्या में पल्स पोलियो कार्यक्रमों के संचालन हेतु।
	2552.00.282.03		13.40	14.27	For conducting more number of Pulse Polio rounds.
	Pulse Polio Immunization Programme (Operating Cost)		(Plan)		
	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम (प्रचालन लागत)				अधिक संख्या में पल्स पोलियो कार्यक्रमों के संचालन हेतु।
	2552.00.282.05		12.90	7.60	For conducting more number of Pulse Polio rounds.
	Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunization Programme		(Plan)		
	मिशन लोचनीय पूल प्रणाली				चालू वित्तीय वर्ष में के दौरान उच्च गति के उपयोग के कारण सहायता अनुदान में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।
	2552.00.284.04		334.17	5.82	Due to higher pace of utilization during current financial year, additional funds is required in Grants-in-aid.
	Mission Flexible Pool		(Plan)		
	राष्ट्रीय विषाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम				अधिप्राप्ति और आपूर्ति की वास्तविक स्थिति के आधार पर संशोधित दरों के कारण।
	2552.00.288.01		45.11	10.29	Due to revised rates on the basis of actual position of procurement and supply.
	National Vector Borne Disease Control Programme		(Plan)		
	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम				अधिक संख्या में पल्स पोलियो कार्यक्रमों के संचालन हेतु।
	3601.04.246.03		469.72	41.69	For conducting more number of Pulse Polio rounds.
	Pulse Polio Immunization Programme		(Plan)		
	शहरी एफडब्ल्यू केन्द्र				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	3602.04.236.01		4.30	11.69	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
	Urban F.W. Centres		(Plan)		
	शहरी एफडब्ल्यू केन्द्र की पुनः मरम्मत				छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	3602.04.236.02		2.32	5.48	To meet additional expenditure on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation.
	Revamping of Urban F.W. Centres		(Plan)		
	राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सामग्री सहायता				वैश्विक निधि और विश्व बैंक के लिए अधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण संयुक्त

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3606.00.249.01 Material Assistance for National T.B. Control Programme	40.00 (Non-Plan)	8.00	<p>राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय द्वारा अधिप्राप्ति में कमी हुई। परिणामस्वरूप, अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग के लिए वस्तु सहायता में वृद्धि की गई जिससे अतिरिक्त व्यय हुआ।</p> <p>The procurement by United Nations Office for Project Services for Globe and World Bank was reduced on account of delay in the procurement. As a result, the commodity assistance for Department for International Development was increased which led to additionality.</p>
		राष्ट्रीय विषाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम			<p>बिहार और वर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना राज्यों के क्षेत्र कामगारों/निगरानी कामगारों के लिए 396 दुपहियों वाहनों की अधिप्राप्ति के कारण।</p>
		4210.04.101.10 National Vector Borne Disease Control Programme	3.05 (Non-Plan)	3.39	<p>Due to procurement of 396 two wheelers for Bihar and Enhanced Malaria Control Project States for Field Workers/Surveillance Workers.</p>
8.	गृह मंत्रालय (विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोत परिवहन मंत्रालय 5052-पोत परिवहन संबंधी पूंजी परियोजना 80-सामान्य 80.796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 01-जलपोतों की खरीद 01.00.51-मोटर वाहन			<p>जलयानों के निर्माण हेतु, पोत-कारखानों के चरण-बद्ध भुगतानों के लिए।</p>
	Ministry of Home Affairs (UT without legislature) Andaman and Nicobar Islands	Ministry of Shipping 5052-Capital Outlay on Shipping 80-General 80.796-Tribal Area Sub-Plan 01-Purchase of Ships 01.00.51-Motor Vehicles	13.66	8.35	<p>For making stage payments to shipyards for construction of vessels.</p>
9.	श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	मुख्य शीर्ष-2230 01.111.02-कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			<p>पिछले वर्षों का बकाया और चालू वर्ष के देयों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों की अपेक्षा थी, अतिरिक्त व्यय हेतु सं.अ. 2008-09 चरण में सहमति हुई थी।</p>
	Ministry of Labour and Employment	Major Head -2230 01.111.02-Employees' Pension Scheme, 1995	967.22	200.00	<p>Additional funds were required for payment of arrears of previous years and current year dues. The additionality was agreed at Revised Estimates (RE) 2008-09 stage.</p>
10.	अल्पसंख्यक मंत्रालय	मुख्य शीर्ष-2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति			<p>अन्तिम वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रालय की अधिकांश योजनाएं/कार्यक्रम अनुमोदित हो</p>

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	कल्याण और अन्य पिछड़ा वर्ग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 11-अल्पसंख्यकों हेतु मीडिया अभियान 11.00.26-विज्ञापन तथा प्रचार				गयी हैं और उनमें से कुछ को इस वर्ष प्रारम्भ भी किया जा चुका है जिसे व्यापक विज्ञापित तथा प्रचार किए जाने की आवश्यकता है, तदनुसार अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।
	Ministry of Minority Affairs Major Head - 2225 -Welfare of Schedule Caste, Schedule Tribe & Other Backward classes 80- General 800-Other Expenditure 11-Media Campaign for Minorities 11.00.26 – Advertising and Publicity		2.50	1.25	Most of the schemes/programmes of the Ministry have been approved during the last financial year and out of them, some have been launched this year too which need wide advertisement and publicity. Accordingly, the additional amount is required.
11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	3601.4.377.03-मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (पिछड़े वर्ग) 03.00.31- सहायता अनुदान				पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु व्यय की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Social Justice & Empowerment 3601.4.377.03-Post Matric Matric Scholarship (Backward classes) 03.00.31-Grants-in-aid		118.75	1.30	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
	4225.80.190.16 कमजोर वर्गों हेतु राष्ट्रीय वित्त विकास निगम 16.00.54-निवेश 4225.80.190.16-National Finance Development Corporation for Weaker Sections 16.00.54- Investment		106.50	3.50	पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ हेतु व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
	2225.80.001.08-राष्ट्रीय खानाबदोश अर्द्ध खानाबदोश विमुक्त जनजाति आयोग 08.00.01.-वेतन 2225.80.001.08-National Commission for De-notified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes 08.00.01-Salary		0.12	0.17	वेतन व्यय की पूर्ति हेतु। For meeting salary expenditure.
	2235.02.001.06-मुख्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय 06.00.01-वेतन 2235.02.001.06-Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities 06.00.01-Salaries		0.48	0.28	छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण वेतन व्यय की पूर्ति हेतु। For meeting salary expenditure due to implementation of 6th Pay Commission Report.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
12.	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व भाग मुख्य शीर्ष-2052 सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 18-कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 01-स्थापना 18.01.01-वेतन			छटे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Statistics and Programme Implementation	Revenue Section Major Head -2052 - Secretariat General Services 00.090- Secretariat 18- Deptt. of Programme Implementation 01-Establishment 18.01.01 -Salaries	1.87	0.59	To meet the expenditure on salaries due to implementation of recommendations of VIth CPC.
		मुख्य शीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं 00.090-सचिवालय 32-सांख्यिकी विभाग 01-स्थापना 32.01.01-वेतन Major Head -3451 - Secretariat Economic Services 00.090- Secretariat 32- Deptt. of Statistics 01-Establishment 32.01.01 - Salaries	7.14	2.23	To meet the expenditure on salaries due to implementation of recommendations of VIth CPC.
		51-राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 01-स्थापना 51.01.01-वेतन 51- National Statistical Commission 01-Establishment 51.01.01 - Salaries	0.25	0.08	To meet the expenditure on salaries due to implementation of recommendations of VIth CPC.
		मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी 02-सर्वेक्षण और सांख्यिकी 02.201-राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 01-अधीनस्थ कार्यालय 32.01.01-वेतन Major Head -3454 -Census , Surveys and Statistics 02- Survey and Statistics 02.201- National Sample Survey Organisation 01-Subordinate Office 32.01.01 - Salaries	97.1	30.4	To meet the expenditure on salaries due to implementation of recommendations of VIth CPC.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
					due to implementation of re-commendations of VIth CPC and payment of salaries to the contract investigations for NREG Surveys.
	01.00.20-अन्य प्रशासनिक खर्च				एनआरईजी सर्वेक्षणों हेतु कॉन्ट्रैक्ट अन्वेषणों का प्रशिक्षण
	01.00.20- Other Admn. Expenses	0.04		0.36	Training of contract investigators for NREG surveys.
	02.202-भारतीय सांख्यिकी संस्थान				
	01-आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान				आईएसआई, कोलकाता के वेतन और अन्य पेंशन संबंधी लाभ की आवश्यकता की पूर्ति हेतु।
	01.00.31-सहायता अनुदान				
	02.202- Indian Statistical Institute				
	01-Grants-in-aid to ISI, Kolkata				
	01.00.31- Grants-in-aid	51.96		14.34	To meet the requirement of ISI, Kolkata on salaries and other pensionary benefit.
	02.203-कम्प्यूटर सेवाएं				
	01-संबद्ध कार्यालय				छटे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु।
	01.00.01-वेतन				
	02.203- Computer Services				
	01-Attached Office				
	01.00.01- Salaries	2.52		0.79	To meet the expenditure on salaries due to implementation of re-commendations of VIth CPC.
	02.204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन				
	01-संबद्ध कार्यालय				छटे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु।
	01-स्थापना				
	01.00.01-वेतन				
	02.204- Central Statistical Organisation				
	01-Attached Office				
	01-Establishment				
	01.01.01-Salaries	10.88		3.41	To meet the expenditure on salaries due to implementation of re-commendations of VIth CPC.
	02.800-अन्य व्यय				
	02-विभागीय कैन्टीन				छटे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु।
	02.00.20-अन्य प्रशासनिक खर्च				
	02.800- Other Expenditure				
	02-Departmental Canteen				
	02.00.20- Other Admn. Expenses	0.53		0.17	To meet the expenditure on salaries due to implementation of re-commendations of VIth CPC.
	योजना				
	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी (मु.शी.)				
	02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
	02.203-कम्प्यूटर विज्ञान				

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	05-कम्प्यूटर केन्द्र का सुदृढीकरण 01-स्थापना 05.01.01-वेतन PLAN 3454- Census Surveys and Statistics (MH) 02- Survey and Statistics 02.203- Computer Services 05-Strengthening of Computer Centre 01-Establishment 05.01.01 - Salaries		0.20	0.20	छटे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण वेतनों पर व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the expenditure on salaries due to implementation of recommendations of VIth CPC.
	204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 19-क्षमता विकास 01-स्थापना 19.01.12-विदेशी यात्रा खर्च 204- Central Statistical Organisation 19-Capacity Development 01-Establishment 19.01.12- Foreign Travel Expenses		0.28	0.14	यात्रा अनुदान खर्चों की पूर्ति हेतु। To meet the travel grant expenses.
	19.99.52-मशीनरी तथा उपस्कर 19.99.52- Machinery & Equipment		2.20	2.31	नासा के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की खरीद। Purchase of computer software for NASA.
	24-स्थानीय स्तर विकास हेतु बुनियादी सांख्यिकी 01-स्थापना 24.01.20-कार्यालय व्यय 24 - Basic Statistics for Local Level Development 01-Establishment 24.01.20- Office Expenses		1.50	1.00	अनुसूचियों के मुद्रण पर व्यय की पूर्ति हेतु To meet the expenditure on printing of schedules.
	24.01.20-अन्य प्रशासनिक खर्च 24.01.20- Other Admn. Expenses		1.00	0.25	राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण खर्चों की पूर्ति हेतु। To meet the training expenses of state govt. officials.
	2252-पूर्वोत्तर क्षेत्र 188-सर्वेक्षण और सांख्यिकी आर्थिक परामर्श तथा सांख्यिकी 01-सांख्यिकी क्षमता विकास 01.00.31-सहायता अनुदान 2252- North Eastern Areas 188-Survey and Statistics - Economic Advice and Statistics 01-Statistics-Capacity Development				चालू वर्ष की दूसरी किश्त जारी करना और पिछले वर्ष की लागत किश्तें

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		01.00.31 –Grants –in-aid	2.49	2.00	To release the II installment of current year and pending installments of previous year.
		पूँजी भाग			
		5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय			
		00.112-सांख्यिकी			
		01-वाहन/उपस्कर/भवन			
		27-क्षमता विकास			
		27.00.52-मशीनरी तथा उपस्कर			कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति।
		Capital Section			
		5475- Capital Outlay on Other General Economic Services			
		00.112- Statistics			
		01-Vehicles/Equipment/Building			
		27- Capacity Development			
		27.00.52- Machinery & Equipment	4.28	2.81	For procurement of computer hardware/software.
13. जल संसाधन मंत्रालय		3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान			बिहार में बाढ़ की आपदा को ध्यान में रखते हुए, बिहार राज्य सरकार को कोसी एवं गंडक परियोजना के रखखाव हेतु सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त निधियां जारी की गईं।
		03- केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान			
		786- बाढ़ नियंत्रण-अन्य अनुदान			
		03- नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं सामी क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य			
		03.00.31 सहायता अनुदान			
Ministry of Water Resources		3601- Grants-in-aid to State Governments			Additional funds were released as Grants-in-aid to State Government of Bihar for maintenance work of Kosi and Gandak Project in view of flood disaster.
		03- Grants for Central Plan Schemes			
		786- Flood Control-Other Grants			
		03- River Management Activities and Works related to Border Areas			
		03.00.31- Grants-in-aid	43.00	1.00	